ओ३म्

पाक्षिक परोपकारी

ऋग्वेद
यजुर्वेद
सामवेद
अथर्ववेद

वर्ष - ५५ अंक - २ महर्षि दयानन्द की स्थानापन्न परोपकारिणी सभा का मुखपत्र जनवरी (द्वितीय) २०१४

महर्षि
दयानन्द सरस्वती
महान् समाज सुधारक
व
वेदोद्धारक

ऋषि मेला-२०१३ **विद्वानों का सम्मान** झलकियाँ

महर्षि दयानन्द सरस्वती की उत्तराधिकारिणी परोपकारिणी सभा का मुख पत्र

वर्ष : ५५ अंक : २
दयानन्दाब्द: १८९
विक्रम संवत्: माघ कृष्ण, २०७०
कलि संवत्: ५११४
सृष्टि संवत्: १,९६,०८,५३,११४

सम्पादक
प्रो. धर्मवीर

प्रकाशक-परोपकारिणी सभा,
केसरगंज, अजमेर- ३०५००१
दूरभाष: ०१४५-२४६०१६४

मुद्रक-श्री मोहनलाल तँवर
वैदिक यन्त्रालय, अजमेर।
दूरभाष : ०१४५-२४६०८३१

-परोपकारी का शुल्क-

भारत में

वार्षिक-२०० रु., **द्विवार्षिक**-३९० रु., **त्रिवार्षिक**-५८० रु., **आजीवन**-(=१५ वर्ष)-२००० रु.।

विदेश में

वार्षिक-५० यू.के. पाउण्ड/८० यू.एस. डालर, **द्विवार्षिक**-९५ पा./१५२ डा., **त्रिवार्षिक**-१४० पा./२२५ डा., **आजीवन**-(=१५ वर्ष)-५०० पा./८०० डा.।

वैदिक पुस्तकालय : ०१४५-२४६०१२०
ऋषि उद्यान : ०१४५-२६२१२७०

लेख में प्रकट किए विचारों के लिए सम्पादक उत्तरदायी नहीं है। किसी भी विवाद की परिस्थिति में न्यायक्षेत्र अजमेर ही होगा।

ओ३म्

विद्याविलासमनसो धृतशीलशिक्षा:,
सत्यव्रता रहितमानमलापहारा:।
संसारदु:खदलनेन सुभूषिता ये,
धन्या नरा विहितकर्म परोपकारा:।।

RNI. No. ३९५९ / ५९

परोपकारी

जनवरी द्वितीय २०१४

अनुक्रम

१. लोकपाल - अण्णा की सफलता	सम्पादकीय	०४
२. अक्रोधेन जयेत् क्रोधम्	स्वामी विष्वङ्	०६
३. कुछ तड़प-कुछ झड़प	राजेन्द्र जिज्ञासु	०८
४. हम कब तक दबते रहेंगे	विरजानन्द दैवकरणि	१३
५. गृहस्थाश्रम की दीक्षा विवाह-संस्कार	मुमुक्षु मुनि	१७
६. 'कृण्वन्तो स्वयमार्यम्' तथा.....	आचार्य दार्शनेय	१९
७. अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द	डॉ. जगदेवसिंह	२५
८. राष्ट्रभाषा व प्रान्तीय भाषाओं के.....	इन्द्रजित् देव	२६
९. अन्याय का सामना	सुकामा आर्या	३३
१०. जिज्ञासा समाधान-५५	आचार्य सोमदेव	३५
११. संस्था-समाचार		३८
१२. आर्यजगत् के समाचार		४१

www.paropkarinisabha.com
email : psabhaa@gmail.com

- उपनिषद्, दर्शन, प्रवचन आदि सुनने हेतु बटन दबाएं -
www.paropkarinisabha.com → Daily Pravachan

सम्पादकीय

लोकपाल – अण्णा की सफलता

राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी संशोधनों के साथ लोकपाल विधेयक को पारित कर दिया। वर्तमान में अण्णा हजारे इस विधेयक के पारित होने के श्रेय के अधिकारी हैं। आज भ्रष्टाचार के विरोध में जो जन-जागरण हुआ है उसमें बाबा रामदेव का भी कम योगदान नहीं है। भ्रष्टाचार को लक्ष्य बनाकर बाबा रामदेव ने जब एक लाख से अधिक लोगों का सम्मेलन किया था, अनेक सामाजिक संघर्ष करने वाले नेताओं के साथ राष्ट्रिय मञ्च पर अण्णा हजारे भी थे। बाबा रामदेव के इस आन्दोलन को अरविन्द केजरीवाल ने अण्णा के माध्यम से बाबा के हाथ से झटक लिया। भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन के नायक अण्णा हजारे बन गये। अण्णा ने महाराष्ट्र में अनेक सरकार विरुद्ध आन्दोलन चलाये और सरकार को कार्यवाही करने के लिए बाध्य होना पड़ा और अण्णा की जीत हुई। जनता में अण्णा पर भरोसा हुआ, अण्णा की पकड़ मजबूत हुई। यही सामर्थ्य अण्णा को केजरीवाल के माध्यम से दिल्ली लाया। बाबा रामदेव के आन्दोलन में और अण्णा हजारे के आन्दोलन में जो मौलिक भेद था वह यह कि बाबा नारा भ्रष्टाचार मिटाने का, कालाधन का था परन्तु क्या किया जाय इसके लिए स्पष्ट विचार नहीं था। अण्णा ने जन लोकपाल को आधार बनाकर सरकार को क्या करना है, इसका रास्ता दिखाया। जनता को भी लगा यह हो सकता है और ऐसा करने पर भ्रष्टाचार से मुक्ति पाई जा सकती है। अण्णा के सामने सरकार झुकी परन्तु आन्दोलन स्थगित होने के बाद ऐसा लगा जैसे जनता ठगी गई परन्तु अण्णा ने अपना प्रयास निरन्तर जारी रखा। परिस्थितियाँ अनुकूल बनती गई। भ्रष्टाचार के आधार पर विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, देश में भाजपा ने विकल्प देने की बात, दिल्ली में केजरीवाल ने अण्णा से प्राप्त जन समर्थन को सरकार के विरुद्ध पार्टी बनाकर काम में लिया और चार प्रान्तों के चुनाव में कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। यही क्षण था जब लोकपाल का जन्म सम्भव हुआ। सरकार और विपक्ष एक हुए और पैंतालीस वर्ष का कार्य कुछ दिनों में पूरा हो गया। अण्णा ने असाधारण सदाशयता और दूरदर्शिता से सरकार द्वारा पारित विधेयक का समर्थन किया जिससे इसे पारित करने में सरकार को बल मिला।

अब जब लोकपाल विधेयक पारित हो गया है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ यह विधान में बदल जायेगा। आश्चर्य की बात है जो विधेयक पैंतालीस वर्ष से विचार में चल रहा था वह संशोधित रूप में १३ दिसम्बर को राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है और १७ दिसम्बर को पारित हो जाता है। १८ दिसम्बर को लोकसभा में प्रस्तुत होकर पारित हो जाता है, यह जनता के सामर्थ्य का प्रमाण है। १९६३ में सांसद लक्ष्मीमल सिंघवी ने इस शब्द का उपयोग किया, चौथी लोकसभा में १९६८ में शान्तिभूषण ने इसे प्रस्तुत किया परन्तु राज्यसभा में बिल पास होने से पहले लोकसभा भंग हो गई और की गई कार्यवाही समाप्त हो गई। आज अण्णा हजारे के प्रयत्न के साथ विधेयक यह रूप प्राप्त कर सका।

इस विधेयक को देखें तो इसके तीन भाग हैं- पहला भाग इसकी प्रस्तावना का है। दूसरा भाग संघ के सम्बन्ध में लोकपाल की क्या व्यवस्था होगी, इस पर प्रकाश डालता है। विधेयक के तीसरे भाग में राज्यों में लोकायुक्त के गठन की व्यवस्था बताई गई है। इस विधेयक में अन्वेषण पक्ष एवं अभियोजन पक्ष पर भी चर्चा की गई है। लोकपाल संस्था के व्यय का प्रावधान भारत के संचित निधि कोष से किये जाने का प्रावधान है। विधेयक में क्षेत्राधिकार के विषय में कहा गया है। इस में प्रधानमन्त्री से लेकर सी और डी वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जाँच का प्रावधान है। जबकि वर्ग बी, सी, डी के अधिकारियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही में सी.वी.सी. की मुख्य भूमिका है। इसमें लोकपाल के विरुद्ध भी जाँच व शिकायत का प्रावधान किया गया है। इसमें सी.वी.सी. केन्द्रीय जाँच आयोग का भी समावेश है। लोकपाल विधेयक की बड़ी विशेषता है कि इस विधान में लोकपाल द्वारा किसी जाँच के लिए किसी प्रकार की पूर्वानुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। सिद्ध होने पर भ्रष्टाचार से प्राप्त की गई सम्पत्ति को अपने अधिकार में लेने का भी इसमें प्रावधान किया गया है।

लोकपाल का चयन करने की प्रक्रिया में प्रधानमन्त्री, नेता विपक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश समेत पाँच सदस्य करेंगे। इसी प्रकार राज्यों में विधानसभा के पास लोकायुक्त नियुक्त करने का अधिकार है। राज्यों को यह कार्य एक वर्ष के अन्दर करने होंगे। लोकपाल के कार्य की एक विशेषता है कि किसी शिकायत के सम्बन्ध में पूछताछ साठ दिन के अन्दर तथा जाँच का कार्य छः मास की अवधि में पूरा कर लेना होगा। इस लोकपाल की सीमा में सरकारी पैसे से चलने वाली संस्थाएँ तथा ट्रस्ट लिये गये हैं। लोकपाल द्वारा दोषी पाये जाने पर दस वर्ष के दण्ड का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार प्रधानमन्त्री से सरकारी कर्मचारी तक सभी को लोकपाल की जाँच के क्षेत्राधिकार में लाया गया है। प्रधानमन्त्री की जाँच के सम्बन्ध में केवल इतनी छूट दी है कि उसकी जाँच खुले में न होकर बन्द कमरे में होगी।

अण्णा द्वारा इस विधेयक का समर्थन किये जाने पर केजरीवाल ने कहा था कि इससे सरकारी अधिकारी तो

क्या चूहे को भी जेल नहीं भेजा जा सकता। तब अण्णा ने उत्तर दिया कि वे इस विधेयक को ठीक से पढें, इसमें चूहा नहीं, शेर भी जेल में दिखाई देगा। अण्णा का सुझाव था इस कानून से जनता को बड़ी उपलब्धि हुई है और इसमें किसी प्रकार की कमी है तो उसे फिर से जन आन्दोलन के द्वारा दूर किया जा सकता है परन्तु कमियों के कारण इसे अस्वीकार करना उचित नहीं है। इस कानून में जिन न्यूनताओं का उल्लेख किया जाता है उनमें **प्रथम** है एक नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा। समाज में एक व्यक्ति को होने वाली शिकायतों का निश्चित समय में निस्तारण होना चाहिए जिसके बिना एक सामान्य नागरिक छोटी-छोटी बातों के लिए वर्षों तक धक्के खाता है। अलग-अलग कार्यालयों में व्यर्थ की दौड़-भाग करता है। रिश्वत देता है फिर भी काम नहीं हो पाता। ऐसे नागरिक कष्ट का निवारण किये बिना किसी कानून की कोई सार्थकता नहीं होती। कानून अन्तिम गरीब, असहाय व्यक्ति के लिये बना है। समर्थ लोग तो किसी न किसी प्रकार अपना काम निकाल ही लेते हैं। इस कानून की **दूसरी** न्यूनता के रूप में जो बात कही जाती है वह जो व्यक्ति संस्था के भीतर हो रही अनियमितता को उजागर करे, षड़यन्त्रों का भण्डाफोड करे, ऐसे लोगों को कानून से संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। भण्डाफोड़ किये गये कार्यों की जाँच एवं निगरानी का प्रावधान भी कानून में होना चाहिए, जिसके बिना व्यक्ति भय के कारण अपराधों को जानते हुए भी प्रकट करने का साहस नहीं करता, यदि कोई ऐसा साहस करता भी है तो उसे दण्डित किया जाता है, जान से मार दिया जाता है। देश और समाज के हित में ऐसे व्यक्ति को सुरक्षा देने वाला कानून आवश्यक है। इस कानून की **तीसरी** न्यूनता यह है कि कानून सरकारी व्यक्ति पर ही लागू होता है। जबकि भ्रष्टाचार का क्षेत्र सरकारी क्षेत्र से अधिक निजी क्षेत्र में होता है। कम्पनियाँ, बड़े विदेशी संस्थान, उद्योग व्यवसाय करने वाले सरकारी लोगों को रिश्वत देकर ठगती है और जनता को मूर्ख बनाकर ठगती है। इनके भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कड़े कानून की आवश्यकता है। बहुत बार ये कम्पनियाँ सरकारी लोगों को सेवा निवृत्ति के बड़े लाभ के पद देती हैं जिनसे उन विभागों के लाखों-करोड़ों काम टके में हो जाते हैं। आप नहीं कह सकते कि इसमें रिश्वत ली या दी गई है परन्तु सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लग जाता है। इसमें ऐसे कानून की आवश्यकता है, ऐसे आचरण और आचरणकर्त्ता को भ्रष्टाचार की परिभाषा में लिया जाय। इसी प्रकार सरकार द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों को प्राप्त करने में निजी लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं उनके लिए कड़े कानून की आवश्यकता है। इसके आगे भी भ्रष्टाचार का एक क्षेत्र बचा रहता है वह है चुनाव का क्षेत्र। राजनीति ने इस प्रकार भ्रष्ट कर दिया है कि चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशी धनबल और बाहूबल का खुलकर उपयोग करते हैं, उनका यह स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार है परन्तु इनको रोकने के लिए हमारे पास कोई कड़ा कानून नहीं है। जिसकी नितान्त आवश्यकता है। समाज में एक और बड़ा क्षेत्र कानून की पकड़ से बाहर है, वह है कालेधन का क्षेत्र। इसके लिए स्वामी रामदेव अनेक वर्षों से आन्दोलन कर रहे हैं। उन्होंने जनता के सम्मुख सारे आंकड़े और तथ्य रखे हैं जिससे इस रोग की भयंकरता का पता लगता है, परन्तु इसके उपाय के रूप में कोई महत्त्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है। जब आज लोकपाल कानून को बनवाकर जनता बहुत बड़ी विजय प्राप्त की है तो इन बातों पर भी जनता सरकार से कानून बनाने की माँग करेगी और सरकार को वह माँग माननी पड़ेगी और इन अपराधों को दूर करने में सहायता मिलेगी।

अन्तिम विचारणीय बात रहती है कि क्या लोकपाल कानून बनने से समाज या सरकार से अपराध दूर हो जायेगा? यह प्रश्न निरर्थक है। यदि परमेश्वर भी केवल नियम बना के छोड़ दे, उसके पालन करने और न करने का फल न दे तो उसके नियम को भी कोई नही मानेगा। फिर मनुष्य के नियम का क्या औचित्य रह जाता? नियमों की सम्पूर्णता तो केवल परमेश्वर में हो सकती है, वह पूर्ण है। मनुष्य तो स्वयं अपूर्ण है, उसके बनाये नियम तो सदा ही अपूर्ण रहेंगे तथा ईश्वर के यहाँ कर्म और कर्मफल के बीच सीधा सम्बन्ध है। समाज में कर्म कोई करता है, उसके फल का निर्णायक कोई और होता है, वह निर्णय शत-प्रतिशत ठीक करने से हो सकता है परन्तु किया गया प्रयास कभी निष्फल नहीं जाता, जब आन्दोलन करके लोकपाल कानून बनवाया जा सकता है तो अपराधी को दण्डित भी करवाया जा सकता है। आवश्यकता है कर्म करने की, सक्रिय होने की, जनता का क्या सामर्थ्य होता है यह इस देश ने पिछले आन्दोलनों में देखा। इसी कारण स्वामी दयानन्द सरस्वती ने लिखा है- राजा को सभा आधीन और सभा को राजा के आधीन रहने से शासन और न्याय में श्रेष्ठता आती है। प्रजातन्त्र की विशेषता है कि यहाँ सत्ता की कुञ्जी जनता के हाथ में होती है, जिस देश की जनता जागरुक होती है संसार में उस देश का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। यह प्रसन्नता की बात है कि लोकपाल ने देश को जागृति का मार्ग दिखाया। यह मार्ग आगे और भी प्रशस्त होगा। मनु महाराज ने कहा है- नेता सावधान व अपराधी को दण्ड का भय होता है तो प्रजा नियमानुसार चलती है, राज्य में सुख होता है।

यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति पापहा।
प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत्साधु पश्यति।।

- धर्मवीर

आध्यात्मिक चिन्तन के क्षण.....

अक्रोधेन जयेत् क्रोधम्

- स्वामी विष्वङ्

संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक प्रकार के मनुष्य वे होते हैं, जो उग्र स्वभाव के होते हैं। जिनका पूरा शरीर मानो भट्टी में जल रहा हो, वे क्रोध से, आवेश से ओत-प्रोत रहते हैं। वे जिस किसी पर भी गुस्सा निकालते हैं। वे यह नहीं देखते हैं कि इस पर गुस्सा करना चाहिए या नहीं? बस गुस्सा उगलते रहते हैं। गुस्सा करने के लिए समय, स्थान, परिस्थिति, छोटा, बड़ा, अधिकारी आदि कुछ भी न देखते हुए गुस्सा कर बैठते हैं। गुस्सा करना स्वभाव सा बन गया है। गुस्से के मूल में समझ काम करती है। यदि समझ, अज्ञान युक्त है, तो मनुष्य गुस्सा करता है। यदि समझ, तत्त्व ज्ञान युक्त है, तो मनुष्य गुस्सा नहीं करता। आत्मा, मनुष्य शरीर में रह कर ज्ञान-पूर्वक गुस्सा तो करता ही है, परन्तु मनुष्य से इतर योनियों में रह कर भी गुस्सा करता है। मनुष्य से इतर योनियाँ मनुष्य के ज्ञानातीत अनगिनत हैं, उन अनगिनत योनियों में रह कर अनगिनत गुस्सा कर-करके अनगिनत संस्कार बना चुके हैं। इन असंख्य-प्रतीत होने वाले संस्कारों से युक्त हो कर आज गुस्सेलु स्वभाव वाले अन्यों पर गुस्सा करने में लगे हुए हैं।

दूसरे प्रकार के वे मनुष्य होते हैं, जो गुस्से को झेलते हैं अर्थात् गुस्से से प्रभावित होते हैं। उनके गुस्से को सहन नहीं कर पाते हैं। तिल मिलाते हैं, दु:खी होते हैं, अप्रसन्न रहते हैं, मन में क्षोभ उत्पन्न कर लेते हैं। एक ओर से गुस्सा करने वाले गुस्से को छोड़ नहीं पाते और दूसरी ओर गुस्से को झेलने वाले गुस्से को सहन नहीं कर पाते हैं। गुस्सा करने वाले यद्यपि तात्कालिक सुखी, प्रसन्न तो दिखाई देते हैं, परन्तु वे जीवन को दु:खमय ही बना लेते हैं अर्थात् तात्कालिक सुख के बाद दीर्घ कालिक दु:ख सागर में डुबकी लगाते हैं। दूसरी ओर गुस्से को भुगतने वाले गुस्से से मिलने वाले दु:ख के प्रतिकार के लिए ऐसे-ऐसे उपायों को अपनाते हैं, जो उन्हें और दु:ख सागर में डुबाते हैं। गुस्सा करने वालों का गुस्सा, जन्म-जन्मान्तरों का गुस्सा है और गुस्से को भुगतने वाले भी जन्म-जन्मान्तरों से भुगतते हुए आ रहे हैं। यदि मनुष्य ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता है, तो सम्भव नहीं है कि वह जीत जाये, क्योंकि जितने भी उपाय अपना लिये जाये उतना ही दु:खी होते जायेंगे। क्योंकि गुस्सा करने वाले भी गुस्सा करने के उपायों को उतने ही अपनायेंगे, जितने हम अपनाते हैं। इसलिए 'जैसे को तैसा' वाला सिद्धान्त सफल नहीं हो पाता है।

ऐसा क्या करना चाहिए, जिससे गुस्सेलु गुस्से को त्याग करके सज्जन बन सके? हाँ इसका समाधान अवश्य है, परन्तु परिश्रम से सिद्ध होने वाला है। किसी संस्कृत कवि ने बड़े सुन्दर ढ़ंग से वर्णन किया है कि-

अक्रोधेन जयेत्क्रोधमसाधुं साधुना जयते्।
जयेत् कदर्यं दानेन सत्येनानृतवादिनम्।।

जो मनुष्य गुस्सा करते हैं, जिनका स्वभाव गुस्से से ओत-प्रोत है ऐसे गुस्सेलु मनुष्यों को जीतने के लिए प्रेम करो। प्रेम से ही गुस्से को जीत सकते हैं। प्रेम तो अपने लोगों से करते हैं, परायों से नहीं, फिर कैसे प्रेम करें? इसका समाधान यह है कि कोई अपना व पराया नहीं होता है। सब मनुष्य हैं, सब एक जैसे हैं 'वसुधैव कुटुम्बकम्' इस भूमि पर स्थित प्रत्येक मनुष्य अपना ही है, पराया नहीं। सब की माता, पिता, परमेश्वर है। हम सब परमेश्वर की सन्ताने हैं। सृष्टि की उत्पत्ति करना, पालन करना और अवसर आने पर प्रलय करना परमेश्वर के अधीन है। हमें सुख देना या दु:ख देना परमेश्वर-अधीन है। परमेश्वर के न्यायालय में सब समान हैं। परमेश्वर की दृष्टि से हमें चलना है। परमेश्वर ही मनुष्य के प्रयोजन को पूर्ण करता है। परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए ही अपने उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। शरीरधारी माता, पिता, पति, पत्नी आदि मनुष्य के उद्देश्य को पूर्ण कभी नहीं कर सकते। इसलिए कवि ने कहा है 'अक्रोधेन जयेत्क्रोधम्' क्रोधी को प्रेम से जीतो। क्रोधी मनुष्य से इतना प्रेम करो कि जिससे वह क्रोधी गुस्से को ही भूल जाये। कितना प्रेम किया जाये, जिससे क्रोधी गुस्से को भूल जाये? इसका समाधान है कि इतना प्रेम दो कि यह पता न चल सके कि कितना प्रेम किया अर्थात् न गणना करने योग्य असीम प्रेम करो। मन में यह विचार न आये कि इतने बार प्रेम किया और कितना करूँ? नहीं, यह बात मन में न आये और प्रेम करूँ, और प्रेम करूँ अर्थात् प्रेम कम पड़ रहा है और अधिक करना है.... और अधिक करना है। ऐसा करने पर ही क्रोधी को जीत सकते हैं। यह ही ईश्वरीय व्यवस्था है।

मनुष्य को ईश्वरीय सिद्धान्तों को जानना चाहिए कि ईश्वर मनुष्य को कितना अवसर देता है। हम एक जन्म के १०० वर्षों में ऊब जाते हैं। परमेश्वर अरबों वर्षों तक अवसर ही अवसर देता है। ऐसे दयालु ईश्वर की सृष्टि में रहते हुए ईश्वर-आज्ञा के विरुद्ध चल कर अपनी इच्छा-स्वेच्छानुसार विचरण करते हुए कैसे अपने उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है? कभी नहीं। इसलिए ऋषि-महर्षि, मुनि, महापुरुषों

ने प्रेम से ही क्रोधी को जीता है। इस कारण हमें भी प्रेम से ही क्रोधी को जीतना है। चाहे पाञ्च वर्ष लगे, चाहे दस वर्ष, चाहे मृत्यु पर्यन्त समय लगे। ऊबना नहीं है, केवल प्रेम से ही क्रोधी को जीतना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में सुखी, शान्त, प्रसन्न रह सकते हैं और अन्यों को भी सुखी बना सकते हैं। यदि ऐसा न करके वर्तमान जीवन शैली के अनुसार चलना स्वीकार करते हैं, तो 'जैसे को तैसा' वाले सिद्धान्त को अपना कर चल रहे जन समूह आज तक दु:ख सागर से पार नहीं कर पाया, तो हम कहाँ से तर पायेंगे इसका विवेक भी हमें ही करना चाहिए। इस घोर अन्धकार रूपी अज्ञान से ऊपर उठ कर चलना सीखना चाहिए। यह ही श्रेय-मार्ग कहलाता है, इस श्रेय-मार्ग में मनुष्य को ईश्वर तुल्य आचरण करना पड़ता है। इस मार्ग में अवधि-सीमा नहीं होती है कि मुझे इससे अधिक सहन नहीं होता। सीमा बनाने वाले तो प्रेय-मार्गी होते हैं, जो वर्तमान के चकाचौंध में विचरण करते हैं। स्वार्थ की पूर्ति करना प्रेय-मार्ग का लक्ष्य होता है और परार्थ की पूर्ति करना श्रेय-मार्ग का लक्ष्य होता है।

जिस ने अध्यात्म में कदम रखा है, तो समझ लीजिये कि वह श्रेय-मार्ग को अपना चुका है। फिर उसे ईश्वर-अनुकूल या ईश्वर-आज्ञा का पालन ही करना है, जिससे अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सकता है। ऐसी स्थिति में क्रोधी को जीतने के लिए प्रेम को अपनाना ही होगा। प्रेम को अपनाते हुए किसी भी प्रकार की सीमा-अवधि नहीं बान्ध सकते। बिना सीमा के क्रोधी के साथ प्रेम करने से आध्यात्मिक व्यक्ति का मन प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न मन से एकाग्रता बनेगी और एकाग्रता से कार्य उत्तम रीति से सम्पन्न होंगे। जिसके कार्य उत्तम रीति से सम्पन्न होते हैं, उसका श्रेय-मार्ग उत्कृष्ट बनता जायेगा। जिसका श्रेय-मार्ग उत्कृष्ट होता है, उसका लक्ष्य सम्मुख रहता है और लक्ष्य शीघ्र हस्तगत भी हो जाता है। देखिये प्रेम में कितना सामर्थ्य है, जो क्रोधी को क्रोध रहित बना कर हितैषी बना देता है और लक्ष्य को हस्तगत करवाता है। सैद्धान्तिक रूप से यह समझ में आता है कि सब से प्रेम करना चाहिए, परन्तु जो व्यक्ति बार-बार समझाने के बाद भी गुस्सा करता रहता हो, उसके लिए उत्तर तो देना पड़ता है। हाँ उत्तर देना पड़े, तो उत्तर अवश्य देवें, परन्तु प्रेम से देवें। उत्तर देने का तात्पर्य यह नहीं है कि 'जैसे को तैसा' उत्तर देवें। हम में और गुस्सा करने वाले में अन्तर होना चाहिए। यदि दोनों में अन्तर नहीं है, तो दोनों एक समान हुए। जब दोनों एक समान हो, तो हम अच्छे और गुस्सा करने वाले बुरे कैसे हुए? गुस्सा करने वाले बुरे उस स्थिति में हो सकते हैं, जिस स्थिति में हम प्रेम करने वाले बनते हैं। प्रेम न करके 'जैसे को तैसा' उत्तर दे कर कभी हम अच्छे नहीं कहला सकेंगे। न्याय का अभिप्राय यह नहीं है कि एक अनुचित करता है, तो दूसरा भी अनुचित रीति से उत्तर देवें। हाँ न्याय उसे कहते हैं, जिससे अनुचित करने वाले को अनुभूति करावें कि जो मैंने अनुचित व्यवहार किया वह गलत है फिर भी उन्होंने मेरे साथ उचित व्यवहार किया है।

यदि इस प्रकार सहन करते जाये, तो अनुचित करने वाले और अधिक अनुचित करेंगे। जिससे अव्यवस्था उत्पन्न होगी और अराजकता बढ़ेगी। हाँ यदि समाज में ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से अव्यवस्था व अराजकता बढ़ेगी। परन्तु हम यह नहीं कहना चाहते हैं कि समाज में ऐसा करें। समाज के दायित्व अलग प्रकार के होते हैं और पारिवारिक दायित्व अलग प्रकार के होते हैं। समाज में ऐसा होने पर सामाजिक दायित्व के अनुसार समाधान करना पड़ता है। परन्तु वह समाधान अपने अधिकार के क्षेत्र में हो। यदि अपने अधिकार क्षेत्र में है, तो भी समाधान सकारात्मक होना चाहिए अर्थात् प्रेम से तो हो परन्तु आगे अव्यवस्था उत्पन्न न कर सके, ऐसा उत्तर हो। यदि अपने अधिकार क्षेत्र का नहीं है, तो जिनके अधिकार में आता हो उनके माध्यम से उत्तर हो और अराजकता भी उत्पन्न न हो सके। अधिकांश उदाहरण पारिवारिक होते हैं या अपने आस-पास के लोगों के साथ होते हैं। ऐसी परिस्थिति में सहन करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं बचता है। यदि सहन न करने की स्थिति आती है, तो ऐसे व्यक्ति से अलग हो जाना चाहिए, जिससे जीवन सुखमय बन सके।

व्यक्ति अलग भी न हो और सहन भी न करे, ऐसी स्थिति में मनुष्य अधिक दु:खी होता है। इस परिस्थिति से उभरने के लिए मनुष्य को मनुष्य की स्वतन्त्रता को पहचानना चाहिए और अपनी स्वतन्त्रता का प्रयोग करके प्रेम करना चाहिए अर्थात् अनुचित करने वाला अपनी स्वतन्त्रता का प्रयोग करता हुआ अनुचित को त्याग नहीं करता है, तो उचित व्यक्ति को भी अपनी स्वतन्त्रता का प्रयोग करके प्रेम करना भी कभी त्यागना नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ अनुचित करने वाला अपना है, आत्मीय है, पारिवारिक है, निकटवर्ती है। अपने लोगों के साथ 'जैसे को तैसा' उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए। अपने लोगों के साथ ही नहीं पराये लोगों के साथ भी नहीं देना चाहिए। यहाँ पराये लोगों के साथ अधिकारी व्यक्तियों से उत्तर तो दिलाना चाहिए परन्तु उचित उत्तर ही होना चाहिए। यह ही मनुष्य की मनुष्यता है। इसी से मनुष्य मनुष्य कहलाता है। अन्यथा पशु और मनुष्य में क्या अन्तर रह जायेगा। इसलिए क्रोधी को प्रेम से ही जीतना चाहिए।

ऋषि उद्यान, पुष्कर मार्ग, अजमेर

कुछ तड़प-कुछ झड़प

– राजेन्द्र जिज्ञासु

पं. लेखराम वैदिक अभिलेखागार:- कुछ वर्षों से आर्यसमाज में हम अभिलेखागार की चर्चा व शोर तो बहुत सुनते आ रहे हैं। यह भी सुना कि नोएड़ा में बनेगा। बीच-बीच में दिल्ली में स्थापित करने की चर्चा सुनी। विचार तो अच्छा ही है परन्तु यह चाहिए, वह होना चाहिए- इस चाहियेवाद से तो कुछ भी बनने वाला नहीं। साम्यवाद, समाजवाद और गान्धीवाद ये सब गरीबी हटाने वाले चाहियेवाद ही तो थे परन्तु देश में ग़रीब बढ़ते गये। गरीबी हटाई न जा सकी। परोपकारी ने एक बार शोध विशेषाङ्क निकाला। हमने उसमें कई समाजों व संस्थाओं के विशाल पुस्तकालयों के साथ स्वामी दीक्षानन्द जी और जगदीश्वरानन्द जी के पुस्तकालयों की ओर आर्यों का ध्यान खींचा। अपने पुस्तकालय की भी संक्षिप्त चर्चा की। उसी अंक में मान्य भारतीय जी ने अपने पुस्तकालय की महिमा बताई।

दिल्ली में अभिलेखागार के सपने संजोने वाले स्वामी दीक्षानन्द जी तथा जगदीश्वरानन्द जी के पुस्तकालयों पर विहंगम दृष्टि डालने के लिए एक-एक दिन न दे पाये।

उपरोक्त शोध लेख में हमारे लेख का प्रयोजन भी तो यही था कि 'वैदिक पुस्तकालय' गुरुदत्त भवन के चुभते अभाव की कमी पूरी की जावे। हर्ष का विषय है कि कुछ सज्जनों के निरन्तर प्रयास से इस दिशा में कुछ ठोस कार्य हो पाया है। इस पर विस्तार से तो बाद में ही लिखा जायेगा। आज अत्यन्त संक्षेप से कुछ जानकारी दी जाती है।

परोपकारिणी सभा के विशाल पुस्तकालय की पूरी-पूरी देखभाल हो रही है। वृद्धि भी हो रही है। सभा के पास श्री मोहन जी जैसे कई समर्पित विद्वान् व युवा कार्यकर्ता हैं। सम्भालने वाले भी हैं और लाभ उठाने वाले भी हैं। पं. रामचन्द्र जी आर्य सोनीपत का अमूल्य पुस्तकालय तथा पं. शान्तिप्रकाश जी का ज्ञान भण्डार सभा को प्राप्त हो चुके हैं। शाजापुर म.प्र. के स्वर्गीय स्वामी सूर्यानन्द जी के परिवार वालों ने स्वामी जी का पुस्तकालय हमें देने का निर्णय लिया। हमारी विनती पर स्वामी जी के आर्य परिवार ने परोपकारिणी सभा को यह सम्पदा सौंप दी। मेरठ से भी बहुत कुछ मिला है।

विनीत जी के पुस्तकालय से भी थोड़ा-थोड़ा करके पर्याप्त अलभ्य सामग्री व स्रोत अजमेर पहुँचाये जा रहे हैं। अब समर्पित युवा विद्वान् जो समय देते हैं और निरन्तर सेवा करते हैं उनको समय-समय पर ऋषि उद्यान में डेरा डालकर अनुभवी विद्वानों के मार्गदर्शन में सभा पुस्तकालय का उपयोग करना चाहिए।

एक महापुरुष ने एक पुरुषार्थी सुयोग्य युवक से कहा, 'छोड़ो अजमेर को हमारे पास छह-सात सहस्र दुर्लभ ग्रन्थ हैं.....'

हमारा विचार है कि जहाँ कहीं भी कुछ है, सब अपना है। सबका लाभ उठाओ परन्तु 'छोड़ो अजमेर को' यह सूत्र आत्मघाती है।

मित्रो! हमें यह घोषणा करते हुए हर्ष होता है कि सभा के मार्गदर्शन में 'पं. लेखराम वैदिक अभिलेखागार' के पं. लेखराम बलिदान पर्व पर आर्य जनता को दर्शन करवा दिये जायेंगे। श्री नन्दकिशोर जी, श्री रामचन्द्र जी आर्य जैसे भ्रमणशील चरणों में बैठने से ही ऐसा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। श्री धर्मपाल आर्य मेरठ ने गुणियों के सत्संग से इस दिशा में एक ठोस कार्य किया। हमारे कृपालु श्री सत्यपालसिंह जी मुरादनगर की एतद्विषयक साधना को परोपकारी परिवार के अनेक जन जानते हैं। दिल्ली में भी कुछ हो हमारी भी यही कामना है।

अलभ्य दस्तावेज़:- ऋषि जीवन पर कार्य करते हुए हमें पहली बार यह पता चला कि रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित शास्त्रार्थ संग्रह में चाँदपुर आदि कई नगरों के शास्त्रार्थों से पं. लेखराम जी तथा पूज्य लक्ष्मण जी ने कुछ अधिक जानकारी दी है। हमने यह पता लगाने में पूरी शक्ति लगा दी कि चाँदपुर के शास्त्रार्थ के अन्त में पं. लेखराम जी तथा श्रद्धेय श्री लक्ष्मण जी ने जो अधिक और महत्त्वपूर्ण जानकारी दी है, **उसका स्रोत क्या है?** महीनों खोज पड़ताल, मिलान व भाग-दौड़ करने पर पं. लेखराम लिखित अतिरिक्त जानकारी की पुष्टि में तत्कालीन पत्रों से बहुत कुछ पुष्टि हो गई परन्तु हमारी पूरी तृप्ति न हो सकी। अभी कुछ कमी थी। इतना तो सन्तोष हो गया कि वीर शिरोमणि पं. लेखराम जी व तपोधन लक्ष्मण जी के वृत्तान्त पर अँगुली उठाने वाले को अब हम ललकार सकते हैं। ग्रन्थ का दूसरा भाग छप जाने पर किसी कृपालु द्वारा भेंट की गई एक दस्तावेज़ हमें अपने भण्डार से मिल गई। यह है 'सत्य धर्म प्रकाशक समाचार' उर्दू पुस्तिका।

यह दस्तावेज़ आर्यसमाज में कहीं भी नहीं। न जाने खोज करते-करते कहाँ किस यात्रा में किसी ऋषि भक्त ने यह धन हमें सौंपा। एक लिफाफे में यह दबा रहा। हम ही रखकर भूल गये। पं. लेखराम जी तथा लक्ष्मण जी का चाँदपुर शास्त्रार्थ का सारा वृत्तान्त शब्दश: इसी से लिया गया लगता है। इसका उल्लेख कभी किसी ने किया ही

नहीं। इस पर उर्दू में **मुन्शी समर्थदान जी के हस्ताक्षर भी हैं।** 'इतिहास के हस्ताक्षर' स्तम्भ में परोपकारी में यह पृष्ठ छप जायेगा। इस दस्तावेज़ में ऋषि जीवन की एक नई घटना भी मिलती है। इसका हिन्दी अनुवाद तो ऋषि जीवन के दूसरे भाग में छप चुका है तथापि पं. लेखराम जी ने भी शास्त्रार्थ की समाप्ति पर घटना से सम्बन्धित कुछ पंक्तियाँ छोड़ कर संक्षेप से वृत्तान्त दिया है। पुस्तकें संग्रहीत करना अच्छी बात है परन्तु उनकी सुरक्षा तो निरन्तर पठन-पाठन करने वालों से ही होती है। श्री प्रभाकर देव जी से पता चला कि स्वामी जगदीश्वरानन्द जी के पुस्तकालय से लाभ उठाने वाला अब तक तो एक भी भाई हिण्डौन नहीं पहुँचा।

जो समय देते हों:- संगठन की सुदृढ़ता व उन्नति के लिए ऐसे अधिकारियों व समाज सेवी सभासदों की आवश्यकता है जो प्रतिदिन समाज को समय देते हों। मञ्च संचालन करने वाले, युवा सम्मेलन, आर्य सम्मेलन, राष्ट्ररक्षा सम्मेलन, वेद सम्मेलन में वर्ष भर में एक-दो भाषण देने वाले संगठन को सुदृढ़ नहीं कर सकते। केवल भाषण देकर कोई अपनी लीडरी तो चमका सकता है परन्तु समाज सेवा तो प्रतिदिन समय माँगती है। जहाँ कहीं जाओ प्रधान मन्त्री का पता लगाना पड़ता है।

पंचकूला हरियाणा में श्री धर्मवीर जी बत्रा प्रधान नित्य प्रति समाज को दो-तीन घण्टे और इससे अधिक भी समय देते हैं। वृद्धावस्था में उनकी कर्मण्यता युवकों के लिए एक उदाहरण है। श्री गंगानगर (राजस्थान) में श्री भूपेन्द्र जी प्रधान भी समाज कार्यालय में नित्यप्रति दो घण्टे तो देते ही हैं। ऐसे सहस्रों व्यक्ति ऋषि मिशन को चाहिये।

श्री ठाकुर मुकन्दसिंह और ठाकुर भूपालसिंह जी:- गत तीन वर्षों में हमने परोपकारी में कई बार इन दो ऋषि भक्तों पर लिखा है। इसका फल यही निकला है कि परोपकारी के इस आन्दोलन से जुड़कर कुछ सज्जनों ने अन्य पत्रों में भी इन आर्यरत्नों पर लेख दिये हैं। गत पौन शताब्दी में ऐसा पहली बार ही हुआ है कि आर्यों ने नींव के पत्थर इन दो सपूतों को पहचाना व जाना है। हमसे प्रश्न पूछा गया है, क्या ये सगे भाई थे? हमारा नम्र निवेदन है कि ये दोनों भाई बन्धु तो थे परन्तु सगे भाई नहीं थे। ठाकुर मुकन्दसिंह जी व ठाकुर मुन्नासिंह जी तो सगे भाई थे परन्तु ठाकुर भूपालसिंह जी उन्हीं के कुटुम्ब से उनके चचेरे भाई लगते थे। पं. लेखराम जी का लेख इसका सबल प्रमाण है। ठाकुर मुकन्दसिंह जी के पिता का नाम ठाकुर नारायण सिंह था और ठाकुर भूपालसिंह जी के पिता का नाम ठाकुर कंचनसिंह था। अलीगढ़ के आर्यों ने भी हमें ऐसी ही जानकारी दी है कि ये चचेरे भाई थे।

एक शङ्का का समाधान:- महर्षि ने सत्यार्थप्रकाश के चौदहवें समुल्लास में कुरान की सब आयतों के पूरे पते दिये हैं परन्तु इस समुल्लास में जिस आयत की सबसे पहले समीक्षा दी है उसकी आयत संख्या नहीं दी गई। हमसे इसका कारण पूछा गया है। क्या ऋषि भूल गये या मुद्रण दोष से यह संख्या छूट गई? हमारे लिये यह आनन्ददायक बात है कि परोपकारी ने आर्यों में शंका समाधान की परम्परा फिर से चला दी है। आर्य जनता परोपकारी को ही शंकायें भेजती हैं। आपत्तिजनक लेखों का उत्तर देने के लिये सम्पादक परोपकारी को ही धर्मप्रेमी याद करते हैं।

उपरोक्त शंका के बारे में हमारा निवेदन है कि आयत संख्या न देने में न तो ऋषि जी से कोई भूल हुई है और न ही कुछ छूट गया है। फिर इस आयत की संख्या क्या है? पूरा पता क्या दिया जाये। प्रबुद्ध पाठक नोट करें कि यह आयत प्रत्येक सूरत के आरम्भ में दी गई है। अपवाद भी कुछ है सो पूरा पता देने की आवश्यकता ही नहीं थी। एक सौ से ऊपर सूरतों का पता लिखना हास्यास्पद हो जाता। आशा है कि विचारशील पाठकों को इस समाधान से पूरी सन्तुष्टि हो जायेगी। कुरान के किसी भी संस्करण में तथा सहस्रों इस्लामी ग्रन्थों का अवलोकन करते हुए हमने कहीं इस आयत के साथ कोई संख्या नहीं पढ़ी।

एक प्रेरक प्रसंग:- चौधरी मित्रसेन जी के गाँव के स्वर्गीय पं. स्वरूपसिंह जी गुरुकुल बठिण्डा में पढ़ाते थे। स्वाध्याय बहुत करते थे परन्तु व्याख्यान रजिस्टर से पढ़कर ही देते थे। एक बार आर्यसमाज के साप्ताहिक सत्संग में भाषण दे रहे थे कि एक विद्वान् संन्यासी सत्संग में आन विराजे। स्वरूपसिंह जी ने साधु को कभी देखा ही नहीं था इस लिये यथापूर्व भाषण देते गये। इस पर स्वामी जी महाराज ने अपनी स्वाभाविक सिंह गर्जना करते हुए कहा, ''यह कैसा वक्ता है कि बोले जा रहा है। इसे इतना भी ज्ञान नहीं कि स्वामी रुद्रानन्द जी पधार चुके हैं।'' स्वामी जी ने दर्शनों के अध्ययन की भी कुछ बात कह दी।

स्वामी रुद्रानन्द जी की उस युग में धाक थी। वह एक प्रसिद्ध शास्त्रार्थ महारथी थे। स्वरूपसिंह जी ने नाम तो सुन ही रखा था। भाषण बन्द कर दिया। स्वामी जी का व्याख्यान होना ही था। बात वहीं समाप्त हो गई। स्वामी जी कुछ रुककर बठिण्डा से चले गये। उनके जाते ही स्वरूपसिंह जी ने दर्शनों के कई भाष्य मंगवा लिये। दिन-रात दर्शनों के स्वाध्याय में तल्लीन रहने लगे।

तभी उन्हीं दिनों पूज्य स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज बठिण्डा समाज में पहुँच गये। आपने दर्शनों की टीकाओं से घिरे और स्वाध्याय में डूबे हुए पं. स्वरूपसिंह जी को

देखा। बोले, ''क्या बात है जो दर्शनों के इतने ग्रन्थ मँगवा रखे हैं?''

पं. स्वरूपसिंह जी ने उपरोक्त घटना सुनाकर कहा, ''अब मैं दर्शनों के ज्ञान में स्वामी रुद्रानन्द से आगे निकलकर दिखाऊँगा।''

इस पर महाराज ने अपनी सहज शैली में कहा, ''स्वरूपसिंह! तुम स्वामी रुद्रानन्द से आगे नहीं निकल सकते।''

स्वरूपसिंह बोले, ''स्वामी जी! स्वामी रुद्रानन्द आपके शिष्य हैं अतः आप यहाँ पक्षपात कर रहे हैं। मैं उनसे आगे क्यों नहीं निकल सकता?''

स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी ने कहा, ''जब तक तुम स्वामी रुद्रानन्द जी जितना ज्ञान प्राप्त करोगे तब तक रुद्रानन्द संसार से विदा हो जायेंगे।'' यह घटना हमें स्वरूपसिंह जी ने ही सुनाई। स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी का उत्तर अनुभवपूर्ण था।

हम देखते हैं कि दो चार लेख व तीन चार पुस्तकें देखकर कई महत्त्वाकांक्षी युवक वेद, दर्शन, इतिहास, कुरान, पुराण व बाइबिल लिखते हुए स्वयं को पं. चमूपति, पं. शान्तिप्रकाश, ठाकुर अमरसिंह की कोटि का अधिकारी विद्वान् मान लेते हैं, अतः भयंकर भूलें करते हैं। पूज्य पं. युधिष्ठिर जी का मत था कि किसी विषय का अधिकारी विद्वान् बनने के लिए बीस-पच्चीस वर्ष तो सतत् साधना करनी ही पड़ती है। अधीर उतावले युवक तो पाँच-सात वर्ष भी किसी विषय पर श्रम नहीं करते। जिन पुस्तकों व ग्रन्थों को पढ़कर अपनी विद्वत्ता दिखाते हैं उन नये पुराने लेखकों व विद्वानों के ग्रन्थों का नाम तक नहीं लेते। इससे विद्या की मौत होती है और ऐसे नवोदित लीड़रों व लेखकों के निर्माण व विकास में बाधा पड़ती है। हिन्दी सत्याग्रह के पश्चात् आर्यसमाज में 'उछल कूद कम्पनी' शब्द कई बार सुनाई दिया। आज आर्यसमाज को कर्मण्यता व निरन्तरता इन दो गुणों से विभूषित युवा आर्यवीरों की आवश्यकता है।

श्री स्वामी विवेकानन्द जी का विचारोत्तेजक लेखः- प्रभात आश्रम गुरुकुल के संचालक श्री स्वामी विवेकानन्द जी महाराज का कविवर दिनकर जी के ग्रन्थ 'संस्कृति के चार अध्याय' पर लेख विचारशील पाठकों ने पढ़ा होगा। हमने इसी विषय पर स्वामी जी का व्याख्यान भी सुना था। स्वामी जी के मौलिक लेख के पश्चात् इस विषय में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। कई वर्ष पूर्व स्वामी दीक्षानन्द जी ने उक्त ग्रन्थ के आर्यसमाज विषयक इसी लेख के प्रचार का अभियान चलाया था। हमने उन्हें कहा कि कुल मिलाकर दिनकर जी का यह लेख पाठकों को भ्रमित करने वाला है परन्तु स्वामी दीक्षानन्द जी को हमारी बात न जँची। अब उनके गुरु भाई यशस्वी विद्वान् स्वामी विवेकानन्द जी ने बहुत सुलझे ढंग से दिनकर जी के लेख की समीक्षा कर दी है। पुराने विद्वान् आँखें खोलकर, विचारकर दूसरों के उद्धरण देते थे। बिना टिप्पणी के सर्वांश में ऐसे लेखों की प्रशंसा से प्रक्षेप व वैचारिक प्रदूषण होता है। स्वामी विवेकानन्द जी ने यथार्थ ही लिखा है कि डिस्कवरी ऑफ इण्डिया की प्रशंसा पढ़कर ही उनका मन शंकित हो गया।

स्वामी विवेकानन्द जी का महर्षि को दी गई श्रद्धाञ्जलियों के सम्बन्ध में भी एक विचारणीय लेख छपा, बताया जाता है। इस विषय में कुछ लिखने वालों को भी स्वामी जी की सीख सामने रखकर लेखनी चलानी चाहिए। ऋषि से मतभेद रखने वाले भी उनके प्रशंसक रहे हैं परन्तु मतभेद रखने वालों तथा निन्दक वर्ग में भेद करना आवश्यक है।

श्री राम और श्री कृष्ण का अवमूल्यनः- संघ परिवार ने राम जन्म भूमि आन्दोलन छेड़ा परन्तु श्री राम के आर्योचित व्यवहार, ईश्वरभक्ति, वेदनिष्ठा, मर्यादा पालन आदि सद्गुणों व सदाचरण के प्रचार पर शक्ति नहीं लगाई। हिन्दू केवल राम-राम रटता रह गया और हिन्दू ही श्री राम के व्यवहार पर मूर्खतापूर्ण आक्षेप व आपत्तियाँ करके विधर्मियों की खपत के लिये सामग्री उपलब्ध करवाते रहे। श्री राम जेठमलानी जैसे ऊँचे वकील ने जो कुछ कहा उसका समुचित उत्तर किसी संघी, महन्त, सन्त, शंकराचार्य ने नहीं दिया। एक आर्य विचारक धर्मवीर जी सम्पादक परोपकारी का उत्तर पढ़कर राम भक्त वाह! वाह!! कह उठे। धर्मवीर जी पर श्री राम पर एक उत्तम ग्रन्थ लिखने का दबाव डाला गया। पौराणिक ने आर्यसमाज की सुनी कब? अवतारवाद ही इन्हें ले डूबा। आज नये-नये भगवान् तथा नये-नये अवतार श्री राम-कृष्ण को बहुत पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल गये।

साई बाबा, सत्य साईं बाबा, सिद्धि विनायक तथा तिरुपति के भगवानों के मूल्यवान् मुकटों और चढ़ावों के सामने किसी राम मन्दिर और कृष्ण मन्दिर का कुछ भी महत्त्व नहीं रहा। अब राम कृष्ण के मन्दिर कम और साई बाबा के मन्दिर अधिक हो रहे हैं। माधवाचार्य तो इसका दोष भी आर्यसमाज पर मढते थे। उनका कथन था कि आप शास्त्रार्थ करते थे तो अवतारवाद का खण्डन करते हुए श्री राम कृष्ण की महानता तो जन-जन के सामने रखते। अब नकली अवतारों की बाढ़ आ गई है। भक्त रामशरणदास जी भी पं. रामचन्द्र जी देहलवी आदि आर्य विद्वानों के प्रशंसक थे। नकली अवतारों व गुरुडम वालों

पर उनकी अन्त:वेदना भी सनातनियों ने न सुनी। संस्थावादियों के पास सम्पदा थी उन्होंने आर्य विद्वानों को अवतारवाद मूर्त्तिपूजा के खण्डन से रोका। अस्तित्व बचाना है तो ऋषि की सुनो व मानो।

उत्तर प्रत्युत्तर क्यों नहीं देते?:- कभी हर आर्यसमाजी धर्म रक्षक व धर्म प्रचारक हुआ करता था। स्वातन्त्र्य वीर सावरकर ने लिखा है कि ''प्रत्येक आर्यसमाजी जन्मन: धर्मवीर होता है।'' महात्मा नारायण स्वामी कभी कलैक्टर कार्यालय में कार्यरत थे। महात्मा मुन्शीराम जी वकील, केशराव जज, मथुराप्रसाद जी सुपरवाईज़र, श्री सन्तराम अजमानी तार विभाग में थे, बैरिस्टर लक्ष्मीनारायण ने विद्यार्थी रूप में, अमरसिंह जी पटवारी ने विरोधियों, विधर्मियों से लोहा ले लेकर एक इतिहास बनाया। झज्जर, कुरुक्षेत्र, रायकोट, कांगड़ी, पोठोहार, झेलम के गुरुकुल आर्य धर्म के दुर्ग थे। यहाँ बैठे विद्वान् आर्य धर्म पर होने वाले हर वार का उत्तर देते थे। अब का क्या कहें? राष्ट्रधर्म ने ऋषि पर प्रहार किया, खुशवन्तसिंह ने ओ३म् और गायत्री पर आपत्तिजनक लेख लिखे। जमायते इस्लामी ने सत्यार्थप्रकाश आदि पर वार किये। टंकारा वाले, सत्यार्थप्रकाश न्यास वाले, स्कूलों, कॉलेजों और गुरुकुलों वाले सब चुप्पी साधे रहते हैं। स्वामी विवेकानन्द जी अवश्य उत्तर देने को कटिबद्ध रहते व उत्तर देने की प्रेरणा देते हैं। अपनी पुस्तकों की गिनती कर-कर बताने व सूचियाँ बनाने वाले लेखक विरोधियों के सामने आज तक खड़े होने का साहस नहीं दिखा सके। आर्यवीर दल व परिषदें स्वामी दर्शनानन्द मिशन के लिए एक भी व्यक्ति का निर्माण नहीं कर सके। सारे विश्व को मेहता जैमिनि जैसा मिशनरी देने वाला पंजाब प्रदेश..... शून्य हो चुका है। स्वामी वेदपति जी के पश्चात् पंजाब से ब्र. समर्थ हमने ऋषि उद्यान भेजा है। पंजाब से एक युवा विद्वान् रोजड़ पहुँचा है। तीन से क्या बनता है। तीन सौ भी थोड़े हैं। वेद गोष्ठियों में (सेमिनारों में) कहीं एक बार भाग लेने से तो पं. लेखराम जी की कमी तो पूरी नहीं होगी। आर्यो! चेतो! जागो!!

आर्यसमाज में इतिहास प्रदूषण:- आर्यसमाज के आरम्भिक काल में कुछ लोगों ने 'आर्यसमाज के इतिहास' नाम से दो तीन पुस्तकें लिखीं। इनमें पं. लेखराम जी, स्वामी दर्शनानन्द जी, वीर तुलसीराम आदि का नामोल्लेख भी नहीं थे। सर प्रतापसिंह को ऐसे कई लेखकों ने ऋषि भक्त लिखकर महिमा मण्डित किया। इससे विद्वान् व जनसाधारण भी भ्रमित हुए। यह इतिहास प्रदूषण नहीं तो क्या था। गत चालीस वर्षों से किसी के निर्देश से पुन: प्रतापसिंह की कल्पित ऋषि भक्ति पर पृष्ठों के पृष्ठ काले होने लगे। प्रतापसिंह की आत्मकथा की दुहाई दी जाने लगी। इसे सन् १९३९ में महात्मा हंसराज जी के दामाद ने हिन्दी में सम्पादित करके छपवाया। यह ग्रन्थ हमने भी पढ़ा है। इस समय हमारे सामने है। इसके १३ अध्याय और सम्पादक लिखित १५ पृष्ठ का एक परिशिष्ट है। सर प्रतापसिंह लिखित १३ अध्यायों में अंग्रेज भक्ति की तो पचासों घटनायें हैं। तथाकथित ऋषिभक्त सर प्रतापसिंह ने ऋषि का कहीं नामोल्लेख भी नहीं किया। कोई प्रेरक प्रसंग नहीं दिया। आर्यसमाज की, ऋषि की और परोपकारिणी सभा तथा ऋषि के देह-त्याग की चर्चा तक नहीं की। यदि कहीं है तो कोई हमें उसका पृष्ठ आदि बता दें। महात्मा हंसराज की चर्चा तो उनके दामाद ने अच्छी कर दी है। सम्पादक जी ने ऋषि की थोड़ी-सी कहीं-कहीं चर्चा की है। सम्पादक ने बारह वर्ष तक प्रतापसिंह की सर्विस की। प्रतापसिंह की ऋषि-भक्ति पर लिखने वाले क्या अब भी यह झूठ परोसेंगे?

वेद सदन, अबोहर-१५२११६ (पंजाब)

परोपकारी के सुधी पाठकों के लिए आवश्यक सूचना

परोपकारी शुल्क भेजते समय नये या पुराने ग्राहक के उल्लेख के साथ-साथ ग्राहक संख्या अवश्य लिखें अन्यथा व्यक्ति के नाम से शुल्क जमा करने में कठिनाई आती है। फलस्वरूप पाठकों के पास पत्रिका नहीं पहुँच पाती है। ऐसे ही अपना नाम हटवाते व जुड़वाते समय दूरभाष संख्या सहित अपना पूरा विवरण लिखकर भेजें। ई.एम.ओ. के द्वारा शुल्क भेजने वाले ग्राहक भी सन्देश के साथ अपनी ग्राहक संख्या सहित पूरा विवरण भेजें। परोपकारिणी सभा आप सभी का सहयोग चाहती है।

अकेला पुरुष यथोक्त राजशासन कर्म नहीं कर सकता इस कारण और श्रेष्ठ पुरुषों का सत्कार करके राज कार्य्यों में युक्त करे। **-महर्षि दयानन्द, यजुर्वेद, भावार्थ ७.३१**

वैचारिक क्रान्ति हेतु सत्यार्थप्रकाश व ऋषि जीवन चरित्र प्रचार-प्रसार की भव्य योजना

विचार किसी भी देश, समाज व जाति की अमूल्य निधि (सम्पत्ति) है। जिसके पास में ठोस श्रेष्ठ विचार नहीं या फिर विचार को फैलाने के साधन नहीं हैं या फिर जो व्यक्ति, समाज व राष्ट्र अपने विचारों की अवहेलना करते रहते हैं, उनका अस्तित्त्व भी एक दिन समाप्त प्राय: हो जाता है। आज हर सम्प्रदाय, समाज, समूह व देश अपने विचारों का प्रचार-प्रसार बड़ी प्रबलता से हर क्षेत्र में व हर साधन से कर रहे हैं, लेकिन काफी समय से आर्यसमाज में वैचारिक शिथिलता देखी जा रही है। इस शिथिलता को दूर करने का मात्र एक ही उपाय है कि हम सभी आर्य जन ऋषि दयानन्द सरस्वती कृत **अमर ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश व ऋषि जीवन चरित्र का प्रचार नये शिक्षित लोगों में करें।** इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर सभा के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला २०१४ दिल्ली में प्रचार-प्रसार की योजना तैयार की गयी है।

सत्यार्थप्रकाश ही क्यों?-१. यदि कोई व्यक्ति, समाज, समूह, संस्था या राष्ट्र एक ग्रन्थ (पुस्तक) पढ़कर विस्तृत ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो यह सत्यार्थप्रकाश से ही सम्भव है। **२.** आज के दूषित वातावरण में वैदिक वाङ्मय को ठीक-ठीक जानने हेतु, पढ़ने-पढ़ाने हेतु प्रथम सत्यार्थप्रकाश और महर्षि के अन्य ग्रन्थों का पढ़ना-जानना अत्यन्त आवश्यक है। **३.** दर्शनशास्त्र, इतिहास, भारतीय परम्परा, कर्त्तव्य, धर्म-अधर्म, उचित-अनुचित, न्याय-अन्याय, सत्य-असत्य तथा मानवता आदि क्या हैं? यह सारी जानकारी सत्यार्थप्रकाश से प्राप्त होती है व होगी। **४.** पाखण्ड, मक्कारी, कुरीतियों व बुराइयों का नाश भी सत्यार्थप्रकाश से सम्भव है। **५.** सत्यार्थप्रकाश व ऋषि के अन्य ग्रन्थों की उपस्थिति में कोई विधर्मी अपनी शेखी नहीं मार सकता तथा किसी भी हिन्दू को बहकाकर विधर्मी नहीं बना सकता। **६.** सत्यार्थप्रकाश के प्रभाव ने न जाने कितनों का जीवन ही बदल डाला। सत्यार्थप्रकाश के जोड़ की दूसरी पुस्तक दुर्लभ है, जिसमें ज्ञान का अमूल्य खजाना भरा पड़ा है। इसलिए इसका प्रचार-प्रसार अनिवार्य है, जरूरी है। **योजना का विवरण निम्न प्रकार का होगा-१.** सत्यार्थप्रकाश हिन्दी में आकार लगभग ६०० पृष्ठ व साईज डमई आकार में होगी। लागत मूल्य ५०/- रुपये प्रति पुस्तक। **२.** ऋषि जीवन चरित्र हिन्दी में लगभग २०० पृष्ठ व साईज डमई आकार में। लागत मूल्य ३०/- रुपये प्रति पुस्तक। **३.** सत्यार्थप्रकाश हिन्दी से इतर (अन्य) भाषियों के लिए सी.डी.या डी.वी.डी. के माध्यम से उपलब्ध करवाया जायेगा। इस डी.वी.डी. में लगभग १८ भाषाओं में सत्यार्थप्रकाश होगा। लागत मूल्य लगभग २५/- होगा। **४.** संक्षिप्त ऋषि जीवन चरित्र अंग्रेजी में। लागत मूल्य १०/- रुपये।

नोट-यह साहित्य वैचारिक क्रान्ति के लिए व वैदिक धर्म प्रचार-प्रसार के लिए गैर आर्यसमाजी सज्जनों व संस्थानों आदि को नि:शुल्क या अल्प मूल्य में वितरित किया जायेगा। साहित्य का ठीक-ठीक उपयोग हो व योग्य शिक्षित विचारवान् व्यक्तियों तथा संस्थानों तक पहुँचे इसके लिए अच्छी वितरण व्यवस्था की जाएगी। योग्य प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का चयन कर कार्य में नियुक्त किया जायेगा। प्रत्येक व्यक्ति, संस्था आदि से एक फार्म भरवाया जायेगा, जिसमें उनका पूर्ण पता सम्पर्क आदि हो। जिससे भविष्य में परिणाम का मूल्यांकन किया जा सके। ग्रन्थों की प्रामाणिकता, शुद्धता व साज-सज्जा सुन्दरता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। इस प्रचार-प्रसार योजना का उद्देश्य सत्यार्थप्रकाश व महर्षि के जीवन-चरित्र के प्रचार-प्रसार के माध्यम से मानव मात्र का कल्याण करना है। यह प्रचार-प्रसार मुख्य रूप से शिक्षित गैर आर्यसमाजी लोगों के लिए होगा। यह कार्य पूर्णरूप से महर्षि के मन्तव्यों के अनुरूप हो इसका विशेष ध्यान रखा जायेगा। इस कार्य की सफलता के लिए सभी आर्यजनों से, समाजों से व संस्थानों से निवेदन है कि इस महान् कार्य में तन-मन-धन से अपना सहयोग करने व अपने इष्ट मित्रों को भी सहयोग करने की प्रेरणा करें।

नोट-अपना आर्थिक सहयोग आप परोपकारिणी सभा अजमेर के नाम प्रेषित करते समय **सत्यार्थप्रकाश प्रचार-प्रसार शीर्षक** अवश्य लिखें। धन प्रेषित करने हेतु आप चैक, ड्राफ्ट व सीधे राशि सभा के बैंक खाते में जमा करवाकर जमा पर्ची की प्रतिलिपि प्रेषित कर देवें या फिर ईमेल, दूरभाष द्वारा सूचित कर सकते हैं। धन्यवाद।

खाता धारक का नाम-**परोपकारिणी सभा, अजमेर।**

१. बैंक का नाम-**भारतीय स्टेट बैंक, डिग्गी बाजार, अजमेर।**
बैंक खाता संख्या-**10158172715**
IFSC-SBIN0007959

२. बैंक का नाम-**आई.डी.बी.आई**, पावर हाऊस के सामने, जयपुर रोड़, अजमेर।
बैंक खाता संख्या-**091104000057530**
IFSC-IBKL0000091
email : psabhaa@gmail.com

नोट : इस योजना हेतु दिया गया दान आयकर की धारा ८० जी के अन्तर्गत कर मुक्त होगा।

सम्पर्क : मन्त्री, परोपकारिणी सभा, अजमेर

हम कब तक दबते रहेंगे

क्षान्त्या भीरुर्यदि न सहते प्रायशो नाभिजातः

- विरजानन्द दैवकरणि

सबको सन्तुष्ट करना सर्वथा असम्भव होता है। यदि कोई व्यक्ति क्षमाशील है तो उसे सामान्य लोग भीरु कहने लग जाते हैं। यदि वह किसी से नहीं दबने की चेष्टा करता है तो उसे अकुलीन और अभिमानी कहा जाता है। ऐसी स्थिति में अस्थिरमति लोग किंकर्त्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं।

आज भारत की राजनीति में जनहित की भावना का अभाव होता जा रहा है तथा अपने पद की सुरक्षा को सर्वोपरि महत्त्व देने के लिए छल, कपट, झूठ, चापलूसी आदि सभी प्रकार के हीन उपायों का सहारा लेने में कोई संकोच नहीं किया जाता। परिणाम यह है कि हिन्दू जनता का बाहुल्य होते हुए भी वोट के लोभ में हिन्दुओं की उपेक्षा करके भारत, भारतीयता और भारतीय संस्कृति के कट्टर विरोधी मुस्लिम सम्प्रदाय को अनावश्यक प्रोत्साहन देकर उनका वर्चस्व स्वीकारा जा रहा है। परिणाम स्वरूप भारत देश में भीतर ही भीतर अनेक पाकिस्तान बने हुए हैं। जिन लोगों ने राजगद्दी की प्राप्ति हेतु सदा अपने बन्धुओं के रक्त से हाथ रंगे हों, उनसे भारत के प्रति आस्था रखने की आशा करना ऐतिहासिक भूल का दोहराना ही होगा। उदाहरण के लिये आप देख सकते हैं-

मुगल शासक जहांगीर ने मेवाड़ को जीतने के लिए १७ बार सेना भेजी, परन्तु वह सदा ही हार कर लौटी। इस बार-बार की पराजय से जहांगीर खीझ गया और अपने पुत्र शाहजादा खुर्रम (शाहजहाँ) को मेवाड़ विजय के लिये विशाल शाही सेना के साथ भेजा। लगातार अनेक युद्धों के होते रहने से सीमित राजपूत सेना क्षीण होती चली गई थी, अतः शाहजहाँ के आगे न टिक सकी और वीर प्रताप का वंशज अमरसिंह पराजित हो गया। इसी प्रकार की विजयों से शाहजहाँ भावी बादशाह बनने के स्वप्न देखने लगा। परन्तु उसका बड़ा भाई खुसरों गद्दी प्राप्ति में बाधक दिखाई दिया। फलस्वरूप अपने पिता जहाँगीर के साथ मिलकर षड्यन्त्र किया और जहाँगीर ने अपने ही पुत्र खुसरों को कारागार में डालकर हथकड़ी भी पहना दी, उसकी आखों की पलकें भी सी दी गई, जिससे वह कोई उपद्रव न कर सके।

मुगलिया संस्कृति का यह उदाहरण पिता-पुत्र और भाई-भाई का अतुलनीय 'प्यार' प्रदर्शित कर रहा है। जब शाहजहाँ का सितारा चमकने लगा तो उसके पिता जहाँगीर को चिन्ता हुई कि यह तुझे हराकर बादशाह न बन जाए इसलिए उसे कन्धार विजय के लिए सुदूर पश्चिम में भेज दिया। शाहजहाँ ने कहा यदि मुझे गद्दी सौंपी जाएगी तो ही मैं कन्धार को जीतने जाऊँगा, इस बात का आश्वासन दिया जाना चाहिए। इस पर जहाँगीर ने अपने पुत्र शाहजहाँ को सेनापति पद से हटा दिया और उसके स्थान पर शहरयार को नियुक्त कर दिया और अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे पास जितनी धनराशि और सेना है वह सब शहरयार को सौंप दो।

इस आज्ञा से शाहजहाँ जहाँगीर के विरुद्ध उसी प्रकार विद्रोह कर बैठा, जिस प्रकार जहाँगीर ने अकबर के विरुद्ध किया था। जैसे को तैसा मिल ही जाता है।

अकबर के समय से एक विश्वस्त सेनापति महावत खाँ चला आता था, इसके द्वारा शाहजहाँ के विद्रोह को जहाँगीर और नूरजहाँ ने दबवाया। जब विद्रोह शान्त हो गया तो महावत खाँ का अपमान कर दिया गया। परन्तु महावत खाँ ने नीति से जहाँगीर को कैद कर लिया। पुनः शाहजहाँ बादशाह बना।

ऐसी कृतघ्नताएँ मुस्लिम शासकों में सदा चलती रही हैं। शाहजहाँ के साथ उसके पुत्र औरंगजेब ने भी वही व्यवहार किया और अपने ही बादशाह पिता को दस वर्ष तक कारावास में रखा। अपने भाई दाराशिकोह, शुजा और मुरादबख्श की हत्या करके राजगद्दी पर अधिकार कर बैठा।

औरंगजेब ने अपने पुत्रों पर भी विश्वास नहीं किया। वह सदा सभी को सन्देह की दृष्टि से देखता था। उसने अपने शासन काल में अत्याचारों की सीमा का उल्लंघन कर दिया था। गद्दी पर बैठते ही उसने इस्लाम भक्ति का परिचय देना आरम्भ कर दिया। जैसे-

१. औरंगजेब से पहले सभी शासक अपनी मुद्राओं पर कलमा खुदवाया करते थे परन्तु औरंगजेब ने अपनी मुद्राओं पर से कलमा यह कहकर हटवा दिया था कि यह पवित्र है और काफिरों के हाथों में और पैरों के नीचे भी आ सकता है। कलमा पैर के नीचे आने से गुनाह हो जाता है।

२. लोगों को शरीयत के अनुसार चलाने और काफिरों को दण्ड देने के लिए पृथक् से अधिकारी की नियुक्ति की गई।

३. पुरानी मस्जिदों की मरम्मत और रक्षा की गई। सब में चौकीदार और इमाम नियुक्त किये गए। केवल

दिल्ली की ६०० मस्जिदों के लिये प्रति वर्ष उस समय एक लाख रुपये व्यय किए जाते थे।

४. राजदरबार से संगीतज्ञों को बाहर निकाल दिया गया और संगीत पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया, जिससे १००० संगीतज्ञ बेरोजगार हो गए।

५. आगरा के किले के द्वार पर पत्थर के दो हाथी बनवाकर लगावाए हुए थे, औरंगजेब ने उन्हें यह कहकर हटवा दिया कि चित्रकला शरीयत के विरद्ध है।

६. बादशाह के जन्म दिन पर सोने-चान्दी से तुलने की प्रथा चली आती थी, वह भी मजहब के विरुद्ध होने से बन्द कर दी गई।

७. ज्योतिषियों पर प्रतिबन्ध लगाकर जन्म पत्री बनाना और भविष्यत् की बातें बताना बन्द करवा दिया।

८. इस्लाम विरोधी मुस्लिम फकीरों को भी मृत्यु दण्ड दे दिया गया।

औरंगजेब ने जहाँ उपर्युक्त कार्य किए वहाँ कुछ अच्छे आदेश भी निकाले जैसे शराब पीने और बेचने पर प्रतिबन्ध लगा दिए और शराब की दुकान करने वालों के एक हाथ और एक पैर काटने की आज्ञा दे दी गई। भांग पीने और बेचने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया। वेश्यायें और नर्तकियाँ या तो शादी कर लें अन्यथा देश छोड़कर चली जाएँ। जुँए पर भी रोक लगा दी गई।

इन आज्ञाओं में सुधार की भावना कम परन्तु शरीयत के अनुसार शासन चलाने की भावना अधिक थी। होली के हुडदंग और सतीदाह पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया। इस्लामी राज्य में कोई काफिर नहीं रह सकता, यदि रहे तो धनधान्य वाला नहीं हो सकता, उसे किसी उच्चपद पर आसीन नहीं किया जा सकता। वह मुसलमान का गुलाम बनकर रहे। मुसलमान की बराबरी नहीं कर सके। शरीयत के अनुसार हिन्दू जाति लगान देने वाली जाति है। यदि लगान वसूल करने वाले उनसे चान्दी माँगे तो हिन्दू उन्हें सोना दे। यदि वे उनके मुख पर धूल डालें तो उन्हें अपना मुख खोलकर धूल को भीतर ले लेना चाहिए। काफिरों को तब तक दबाओं जब तक वे अपने हाथ से जजिया कर देकर अपमानित न हों। रसूल ने मुसलमानों को आज्ञा दी है कि वे काफिरों को मारें, लूटें और कैद करें। काफिरों की सब पाठशालाएँ और मन्दिर नष्ट कर दिये जाएँ और उनकी धार्मिक शिक्षा बन्द कर दी जाए। यह है आदर्श इस्लामी राज्य का एक नमूना। इसी आदर्श की पालना करते हुए औरंगजेब ने ऐसे आदेश प्रसारित किये थे।

औरंगजेब ने राज्यारोहण से पूर्व ही इस्लामी जोश के कारण कुछ और भी दुष्कृत्य किए थे, जैसे अहमदाबाद के चिन्तामणि मन्दिर में गोहत्या कराई। गुजरात और ओडिशा के अनेक मन्दिर तुड़वाएँ। काशी के पण्डित के नाम आदेश प्रसारित करके उसे मन्दिर निर्माण करने से सर्वथा रोक दिया। राज्यारोहण के पश्चात् औरंगजेब ने हिन्दू दलन के लिए जो-जो प्रयास किए, उनका संक्षिप्ततम विवरण इस प्रकार है-

१. सोमनाथ के मन्दिर को तोड़कर यह आज्ञा दी कि यदि काफिर यहाँ दुबारा पूजा आरम्भ करें तो इस खण्डहर को ऐसा उजाड़ो, मिट्टी में ऐसा मिलाओ कि इसका चिह्न तक भी शेष न रहे।

२. काशी के विश्वनाथ मन्दिर का विध्वंस कराया।

३. मथुरा में वीरसिंह बुन्देला ने ३३ लाख रुपये व्यय करके (कृष्ण जन्म स्थान पर) केशवराय का मन्दिर बनवाया था, उसे तोड़कर उसके स्थान में मस्जिद बना दी गई। उस मन्दिर में स्वर्ण, रजत और रत्नजड़ित मूर्तियाँ थी, उन्हें तोड़कर आगरा में जहाँनारा की मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया गया जिससे वे पैरों के तले रौंदी, कुचली जाती रहें। दिल्ली से आगरा आते-जाते समय मथुरा के विशाल हिन्दू मन्दिरों के गगनचुम्बी कलश औरंगजेब के हृदय में शूल से चुभते थे। उसने आदेश दिया कि सारे मथुरा शहर को उजाड़ कर यहाँ इस्लामाबाद बसाया जाये।

४. उज्जैन की भी यही अवस्था की गई।

५. जोधपुर के मन्दिरों को गिराकर उनकी मूर्तियाँ तोड़ दी और उन्हें ठेलों में लाद कर जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दिया। नीचे के अधिकारी भी इस इस्लामी जोश के कारण मन्दिर ध्वंसन प्रक्रिया को बड़े उत्साह के साथ चालू किए रहे। जिसके कारण उदयपुर के निकटवर्ती १८२ मन्दिर, चित्तौड़ के ६३ मन्दिर और अम्बर के ६६ मन्दिर भूमिसात् कर दिए। ऊपर दिए गए उदाहरण औरंगजेब के राज्य में घटित हुई घटनाओं का शतांश भी नहीं है। लगभग ६० वर्ष तक उसने भारत के हिन्दुओं पर मनमाने अत्याचार किए।

हिन्दू जनता के साथ इस प्रकार के अत्याचार और पक्षपात केवल औरंगजेब ने ही किए हों, ऐसी बात नहीं है, किन्तु जब से मुस्लिम आक्रमण आरम्भ हुए हैं तभी से भारत के मूल निवासियों पर इस प्रकार के अत्याचार सभी मुस्लिम शासक करते रहे हैं।

जनता को भ्रमित करने के लिए कहा जाता है कि अकबर हिन्दू-मुस्लिम जनता के लिए समान रूप से सद्भाव रखता था, परन्तु अकबर भी हिन्दुओं पर अत्याचार करने में कसर नहीं छोड़ता था। अपनी काम-पिपासा शान्त करने के लिए हजारों हिन्दू लड़कियों को बलपूर्वक अपने रणिवास में डाल लेता था। उसके दुराचारी होने का प्रमाण उसके द्वारा लगाया जाने वाला मीना बाजार प्रत्यक्ष उदाहरण

है। यदि वह हिन्दू-मुस्लिम एकता का पक्षपाती होता तो एक भी मुस्लिम कन्या का विवाह किसी भी हिन्दू के साथ क्यों नहीं करवाया। विवाह करने के लिए वर कन्या के घर पर जाता है किन्तु अकबर ने ऐसा न करके कन्या के डोले अपने पास मंगवाये हैं। डोले देने वाले हिन्दू भी ऐसे ही नपुंसक, भीरु, स्वार्थी और ईर्ष्यालु थे, जिन्हें अपनी मान-मर्यादा और देशभक्ति का किंचित् भी ध्यान नहीं था। राजपूत लोग मुसलमानों की सेना में भर्ती होकर अपने ही जाति भाईयों का खून बहाते रहे। यदि ये वीर लोग एकता करके मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करते तो इस देश को ऐसे दुर्दिन नहीं देखने पड़ते।

इन सब अत्याचारों का मूल कुरान का पक्षपाती नियम है जब तक कुरान और उसके आदेश पालक लोग हैं, तब तक विश्व में शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। अपितु दंगा, फसाद, लड़ाई, झगड़े, बलात्कार, लोभवश मत परिवर्तन जैसे कार्य होते रहेंगे। यदि हिन्दू एकता करके इन दुष्कर्मों का विरोध आरम्भ कर दें और सरकार अत्याचार और धमकी के सन्मुख न झुक कर न्यायाचरण करे तो हिन्दू जनता सुख की सांस ले सकती है अन्यथा ऐसे ही दबने की प्रक्रिया अजस्र चलती रहेगी। आज हिन्दू नाम से जाना जाने वाला समाज इतना कायर और दब्बू बन गया है कि अपनी सही मांग उठाने का भी साहस नहीं कर रहा। पुरानी भूलों से शिक्षा ग्रहण नहीं करता कि सैंकड़ों वर्ष पूर्व मुस्लिम आक्रान्ताओं ने मूर्तियाँ और मन्दिर नष्ट करके अपार सोना चाँदी लूट लिया था, उसी प्रकार आज भी मन्दिरों में असंख्य सोना, चान्दी, रुपये आदि भेंट करके मुसलमानों के द्वारा स्वयं को लुटने और मरने का अवसर दे रहा है। ऐसे लोगों की तुष्टि के लिए भारत की कांग्रेस सरकार आज भी हिन्दू जनता को दबाती जा रही है। प्रमाण यह है कि सरकार दंगे रोकने के नाम पर ऐसा कानून लाना चाहाती है जिसके अनुसार यदि कोई अल्पसंख्यक कहाने वाला ईसाई या मुसलमान किसी बहुसंख्यक कहाने वाले हिन्दू के विरुद्ध झूठी शिकायत कर देगा तो उस निरपराध हिन्दू को ही दण्ड भोगना पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस सरकार ने यह मानसिकता बना ली है कि अल्पसंख्यक तो कभी अपराध कर ही नहीं सकता, किन्तु अपराध तो बहुसंख्यक ही करते हैं। इस पर विडम्बना यह है कि झूठी शिकायत करने वाले का नाम पता भी उसे नहीं बताया जाएगा, जिसकी शिकायत की गई है। इससे अधिक अत्याचार और पक्षपात हिन्दू जनता के साथ और क्या हो सकता है। भारत की कांग्रेस सरकार वोट के लोभ में ऐसे-ऐसे कुकर्म करती जा रही है। भारत में जितने भी दंगे होते हैं, उनकी जाँच करने पर पता लगता है कि प्राय: सभी दंगे अल्पसंख्यक कहे जाने वाले मुस्लिम सम्प्रदाय और ईसाइयों की ओर से ही प्रारम्भ किये जाते हैं।

अब हिन्दू जनता को सोचना है कि वह ऐसे अन्याय और अत्याचार को कब तक चुप रहकर सहन करती रहेगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि इन लोगों को सद्बुद्धि दे जिससे ये अपने दब्बू और कायर स्वभाव को त्यागकर आत्म गौरव का अनुभव कर सकें। वेद की शिक्षा अत्याचार करने और सहने को पाप की संज्ञा से अभिहित करती है। अत: हमें वैदिक मर्यादा का पालन करने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए जिससे हम अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने का साहस जुटाकर दब्बूपन से दूर रहें।

निदेशक, हरियाणा पुरातत्त्व संग्रहालय

धनराशि भेजने हेतु सूचना

चैक, ड्राफ्ट, धनादेश (मनीआर्डर) द्वारा राशि भेजने वाले उस पर '**मन्त्री परोपकारिणी सभा**' अवश्य लिख दें। दानी महानुभाव ऑनलाइन भी राशि जमा करवा सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक में एक सहस्र तक की राशि जमा कराने वाले **२५ रु. बैंक सेवा शुल्क के रूप में अतिरिक्त** जमा करवाने की कृपा करें। कृपया राशि निम्नांकित बैंकों में ऑनलाइन भिजवाकर, जमा कराई गई स्लिप के साथ उद्देश्य लिखकर सभा कार्यालय को सूचित करवाने का कष्ट करें।

खाताधारक का नाम - परोपकारिणी सभा, अजमेर

१. बैंक खाता संख्या-09110400005753O बैंक का नाम-आई.डी.बी.आई. बैंक, पावरहाउस के सामने, जयपुर रोड, अजमेर।

IFSC - IBKL0000091

२. बैंक खाता संख्या -10158172715 बैंक का नाम - भारतीय स्टेट बैंक, डिग्गी बाजार, अजमेर।

IFSC - SBIN0007959

शतहस्त समाहर सहस्रहस्त सं किर

(अथर्ववेद ३.२४.५)

(सौ हाथों से कमाओ, हजार हाथों से दान करो।)

ओडिशा पीड़ितों की सहायता के लिए अपने हाथ बढ़ाइये

आप सबको विदित है कि देश के अनेक भागों में बाढ़ का प्रकोप चल रहा है, जैसा कि उत्तराखण्ड में बाढ़ का भीषण प्रकोप हुआ था। १२/१०/२०१३ एवं १३/१०/२०१३ को ओडिशा आन्ध्र प्रदेश के समुद्र तटीय पर तूफान आया। ओडिशा के गोपालपुर क्षेत्र गन्जाम जिले में बहुत जन हानि हुई। घरबार उजड़ गये। खेत नष्ट हो गये। मकान धराशायी हो गये। ग्रामीण जन बेघर हो गये। ऐसे में उनको आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। अत: श्रद्धानुसार सहयोग की अपेक्षा है। यातायात व संचार व्यवस्था टूट गई। जिन लोगों के घर बह गये हैं, जिनके परिजन बिछड़ गये हैं, जो आज जीवन-यापन के साधनों का अभाव झेल रहे हैं, उन्हें आवास, भोजन, चिकित्सा के साधनों की अत्यन्त आवश्यकता है।

गरीब असहाय लोगों तक पहुँच कर उनकी सहायता, सहयोग करना, सभी देशवासियों का कर्त्तव्य है। इस कार्य के लिए परोपकारिणी सभा का सेवादल ओडिशा में पहुँच गया और युवा लोग सेवा कार्य में जुट गये हैं।

हम सब मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ायें। अत: हमारा सबका कर्त्तव्य है तन-मन-धन से इस कार्य में सभा की सहायता करें। आप जितनी शीघ्रता से अपना सहयोग प्रदान करेंगे हम उतनी शीघ्रता से उसे पीड़ितों तक पहुँचा सकेंगे।

आप अपना धन-बाढ़ पीड़ित सहायता कोष में भेजें। धन भेजने का पता निम्न प्रकार है-

१. बैंक खाता संख्या - 091104000057530 बैंक का नाम-आई.डी.बी.आई. बैंक, पावरहाउस के सामने, जयपुर रोड, अजमेर।
IFSC - IBKL0000091

२. बैंक खाता संख्या - 10158172715 बैंक का नाम - भारतीय स्टेट बैंक, डिग्गी बाजार, अजमेर।
IFSC - SBIN0007959

जो कार्यालय में आकर देना चाहे वे कार्यालय समय में १०.३० से ५.३० बजे तक कार्यालय परोपकारिणी सभा, दयानन्द आश्रम, केसरगंज, अजमेर, राज. पर देवें। अन्य समय में ऋषि उद्यान, पुष्कर मार्ग, अजमेर सम्पर्क कर अपना सहयोग जमा करा सकते हैं।

जो बैंक में राशि जमा कराना चाहें वे उपरोक्त पते पर जमा करा सकते हैं।

दिल्ली व आसपास के लोग अपनी सहायता निम्न पते पर दे सकते हैं-

श्री सत्यानन्द आर्य,
रोड़ सं. ४६-ए, आर्यसमाज मन्दिर,
पंजाबी बाग पश्चिम, दिल्ली।
एवं सहयोग जमा कराकर रसीद प्राप्त कर सकते हैं।

आपके सहयोग की प्रतीक्षा में **परोपकारिणी सभा, अजमेर।**

सम्पर्क : दूरभाष-०१४५-२४६०१६४, ईमेल-psabhaa@gmail.com

गृहस्थाश्रम की दीक्षा
'विवाह-संस्कार'

- मुमुक्षु मुनि

ऋषियों ने मानव जीवन में सोलह संस्कारों का विधान किया है। संस्कारों में विवाह एक विशेष स्थान रखता है। विवाह एक अटूट बन्धन है, जो आपसी स्नेह, दो दिलों का मेल है। यद्यपि विवाह सम्बन्ध सामाजिक समझौते पर आधारित है। फिर भी इसकी पवित्रता और अटूट प्रेम इस बन्धन को और अधिक दृढ़ बनाये रखती है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका प्रारम्भिक पालन पोषण परिवार पर ही आधारित है और विवाह सम्बन्ध के बिना किसी भी परिवार का अस्तित्व सम्भव नहीं। अत: विवाह की महत्ता और बढ़ जाती है।

प्रत्येक मनुष्य को तीन ऋणों से मुक्त होना अनिवार्य है- पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। जिनमें प्रथम ऋण तो सन्तानोत्पत्ति के द्वारा अपनी वंश परम्परा को संचालित रखने से पूरा होता है। दूसरा देव ऋण सन्ध्या, उपासना और यज्ञादि पुण्य कर्मों के करने से पूरित होता है। अन्तिम तीसरा वेदादि शास्त्रों का पढ़ना-पढ़ाना और उससे सम्बन्धित संस्थाओं को यथा-सम्भव सहयोग करना ऋण मुक्ति का साधन कहा है। यहाँ हमारा विषय प्रथम ऋण से है।

प्रत्येक प्राणी अपने वंश को संचालित रखना चाहता है। मनुष्य एक मननशील प्राणी होने के कारण इसकी महत्ता अधिक है। एक मनुष्य को नि:सन्तान होना पाप है। उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य अपनी वंश परम्परा को जीवित रखना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होते हुए एक बौद्धिक जीव है। अपने वंश संचालन के उत्तरदायित्व के साथ-साथ उसे अपने समाज और संस्कृति को भी ऊपर उठाना है। न तो अकेले पुरुष और न अकेले महिला ही दूसरे व्यक्ति को जन्म देकर अपने वंश की वृद्धि कर सकता/सकती है। अत: पुरुष और नारी के पवित्र सम्बन्ध की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। अत: विवाह का मुख्य उद्देश्य केवल जनवृद्धि ही नहीं बल्कि समाज और संस्कृति को उन्नत करना है।

नव युगल को अपने पारिवारिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिये नियमित जीवन अपनाना होगा। महर्षि दयानन्द संस्कार विधि में कहते हैं कि 'गृहाश्रम संस्कार' उसको कहते हैं कि जो ऐहिक और पारलौकिक सुख प्राप्ति के लिये विवाह करके अपने सामर्थ्य के अनुसार परोपकार करना और नियतकाल में यथाविधि ईश्वरोपासना और गृहकृत्य करना और सत्य धर्म में ही अपना तन, मन, धन लगाना तथा धर्मानुसार सन्तानों की उत्पत्ति करनी। लोगों को वैवाहिक जीवन में अपने बच्चों को श्रेष्ठ शिक्षा देने के लिये और उत्तम नागरिक बनाने के लिये ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिये।

अब हम विवाह संस्कार पर विचार करते हैं। वैदिक विवाह पद्धति में नवयुगल को एक आवश्यक जीवनोपयोगी शिक्षा दी जाती है। जिस पर आचरण करने का नवयुगल वचन देता है। इस पूर्ण पद्धति को सात भागों में नियन्त्रित किया जा सकता है:-

(क) वर का वधू के दरवाजें पर वधू पक्ष द्वारा स्वागत। **(ख)** प्रधान होम। **(ग)** पाणि-ग्रहण। **(घ)** शिलारोहण। **(ङ)** सप्तपदी। **(च)** सूर्य, ध्रुव, अरुन्धती दर्शन। **(छ)** वधू का वर गृह में स्वागत।

प्रथम वर का वधू-पक्ष द्वारा स्वागत किया जाता है। वर मुख्य मेहमान एवं वधू मुख्य यजमान होती है। वर को बैठने का आसन दिया जाता है। फिर पैर धोने को, मुँह धोने को फिर आचमन करने को तीन बार जल दिया जाता है। तत्पश्चात् मधुपर्क (दही और मधु अथवा घृत) प्रस्तुत किया जाता है। जहाँ वर कुछ औपचारिकतायें पूरी करके खाता है। फिर आचमन करता है। दोनों वर-वधू वस्त्र बदलते हैं। तत्पश्चात् दोनों सभी उपस्थित लोगों के सामने यह मन्त्र बोलते हैं-

ओ३म् समञ्जन्तु विश्वेदेवा: समापो हृदयानि नौ।
सं मातरिश्वा सं धाता समु देष्ट्री दधातु नौ।।

हमारे दोनों के हृदय जल के समान शान्त और मिले हुए रहेंगे। जैसे प्राणवायु हमें प्रिय है वैसे हम एक दूसरे से सदा प्रसन्न रहेंगे। जैसे धारण करने हारा परमात्मा सबमें मिला हुआ, सब जगत् को धारण करता है वैसे हम एक दूसरे को धारण करेंगे.....।

प्रधान होम वैदिक शिक्षा का एक प्रधान अध्याय है, जो कि मनुष्य को परिवार के प्रति, समाज के प्रति एवं राष्ट्र के प्रति कर्त्तव्यों की शिक्षा देता है।

पाणिग्रहण का भी विवाह संस्कार में विशेष महत्त्व है। पाणिग्रहण एवं सप्तपदी विवाह संस्कार को मान्यता प्रदान करती है। इनके बिना हिन्दू-विधि में वैदिक विवाह

को मान्यता प्राप्त नहीं होती।

पाणिग्रहण में वर वचन देता है कि मैं तेरा हाथ सौभाग्य के लिये उन्नति के लिये ग्रहण करता हूँ। मैं अपना पूरा कर्त्तव्य निभाऊँगा। आज से तू मेरी धर्म की पत्नी और मैं तेरा धर्म का पति हूँ।

हे पत्नी! जिस सृष्टि रचयिता ने तुझे मुझकों दिया है, मैं तेरा पूरा भरण-पोषण करूँगा। मेरे वंश की वृद्धि करने वाली तू सौ वर्ष और उससे अधिक मेरे साथ पूरी सुरक्षा एवं आनन्द के साथ मेरी पत्नी बनके रहेगी। यही प्रतिज्ञा पत्नी भी करती है।

शिलारोहण एवं लाजा होम- वधू को वर पत्थर पर अपना दाहिना पैर रखने को कहता है और कहता है कि शिलारोहण करके तू स्वयं चट्टान की भाँति दृढ़ बन जा। अपने शत्रुओं और विरोधियों को सदा नीचा दिखाती रहना।

पवित्र अग्नि में खीलों को आहुति देती हुई पत्नी अपने पति को दीर्घ आयु की कामना करती हुई, परिवार के सभी लोगों तथा सम्बन्धियों को सदैव खुशियाँ मनाते हुए फलते-फूलते रहने की प्रार्थना करती है।

सप्तपदी को पूरा करने के लिये वर-वधू ईशान कोण की दिशा में सात कदम चलते हुए सात मर्यादाओं में बान्धते हुए वचन लेते हैं-

(क) प्रथम कदम- अन्नादि की वृद्धि का प्रतीक।
(ख) द्वितीय कदम- ऊर्जा-बल सम्पादन के लिये।
(ग) तृतीय कदम- धन व ज्ञान की सम्पुष्टि के लिये।
(घ) चतुर्थ कदम- सुख आनन्ददायिक जीवन के लिये।
(ङ) पंचम कदम- सन्तानों के पालन हेतु।
(च) षष्ठ कदम- ऋतु अनुसार व्यवहार।
(छ) सप्तम कदम-सखा-मैत्री-घनिष्ठता का व्यवहार हेतु।

सूर्य अवलोकन के साथ सौ वर्ष तक ज्ञानवान होके देखते रहने, सौ वर्ष तक ज्ञान वर्धक बातों को सुनते, बोलते और अदीन होकर जीने की कामना करते हैं।

एक दूसरे के हृदयों को स्पर्श करते हुए दोनों व्रत लेते हैं कि ''मेरा और तेरा हृदय एक होवे। मेरी बुद्धि तेरे अनुसार, तेरी बुद्धि मेरे अनुसार होवे। मेरे से निकले शब्द तेरे होवे। ईश्वर सर्वदा मुझे तुझसे जुड़ा रखे।''

दोनों प्रतिज्ञा करते हैं कि दोनों विवाह की पवित्रता को बनाये रखेंगे। वधू अपने पति के प्रति अपने को समर्पित करती है। वह वैवाहिक जीवन को निर्वाह के लिये अपनी स्वतन्त्रता को समर्पित कर देती है और अपने पति को सदैव पवित्र मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रहती है।

स्वागतार्थ उपस्थित लोगों के समक्ष वर वधू को इंगित करते हुए कहता है-

ओ३म् सुमंगलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत।
सौभाग्यमस्यै दत्वा याथास्तं विपरेतन।।

अर्थात् हे विद्वानो! यह वधू मंगल स्वरूप है, अतः इसके साथ मेल रखो और इसे मंगल दृष्टि से देखो तथा इसके लिये सौभाग्य का आशीर्वाद देकर अपने-अपने घर के प्रति जाओ। और विशेष रूप से पराङ् मुख होकर न जाओ। किन्तु पुत्रादि की मंगल आशा से फिर भी आने के लिये होकर जाओ।

सभी आये हुए लोग आशीर्वचन बोलते हैं-

ओ३म् सौभाग्यमस्तु, ओ३म् शुभं भवतु।

यह रही वैदिक विवाह संस्कार की प्रक्रिया संक्षेप में। हाँ यदि इसके आदर्शों को जीवन में उतारा जाता है, तो भावी गृहस्थ जीवन फलता-फूलता हुआ अभ्युदय सुख को प्राप्त करेगा।

ऋषि उद्यान, पुष्कर मार्ग, अजमेर

ई-मेल द्वारा परोपकारी निःशुल्क

परोपकारी के पाठकों को प्रसन्नता होगी कि अब परोपकारी ई-मेल द्वारा भी भेजी जा रही है। परोपकारिणी सभा की वेब-साइट पर तो परोपकारी पहले से ही निःशुल्क उपलब्ध है। विश्व में कहीं भी कोई भी इसे वेब-साइट पर पढ़ सकता है। इसके साथ ही अब यह सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है कि परोपकारी आपके पास ई-मेल द्वारा पहुँच जाये। इससे यह पत्रिका शीघ्र व अधिक सुन्दर रूप में आप तक पहुँच सकेगी। आप जहां भी रहें, कभी भी पढ़ना चाहें, यह आपके पास रहेगी। डाक की अव्यवस्था से छुटकारा मिल सकेगा। यह आपको नियमित मिलती रहेगी। इससे रासायनिक रंगों व कागज का उपयोग भी कम होगा, खर्च भी घटेगा। अतः पाठकों से अनुरोध है कि **कृपया अपना ई-मेल पता सभा को ई-मेल से भिजवा देवें।** आप जिन इष्ट-मित्रों, परिजनों व संस्थाओं को परोपकारी भिजवाना चाहते हैं, उनके ई-मेल पते भी भिजवा देवें, उन्हें भी यह निःशुल्क भेज दी जायेगी। ई-मेल- psabhaa@gmail.com

-व्यवस्थापक

'कृण्वन्तो स्वयमार्यम्' तथा श्री मोहन कृति आर्ष तिथि पत्रक

- आचार्य दार्शनेय लोकेश

क्या आपको यह विदित है कि वैदिक पंचांग की गणना कर ली गई है? जी हाँ, अवश्य कर ली गई है और 'श्री मोहन कृति आर्ष तिथि पत्रक' उस एकमात्र वैदिक पंचांग का ही नाम है।

पंचांग के मामले में कुछ प्रबुद्ध जनों को छोड़कर आर्य समाज के अधिसंख्यक लोग हिन्दुओं से भी कई अधिक गुमराह हैं। उन्होंने जन्मपत्री को नकारने के चक्कर में पूरे ज्योतिष, जो कि स्वयं में एक **वेदांग** है, को ही नकार दिया है। वे समझते हैं कि ज्योतिष मात्र वह ही है जिससे कि जन्मपत्री बनाई जाती हैं। जबकि सत्य तो यह है कि जन्मपत्री ज्योतिष नहीं है, अपितु ज्योतिष का एक अर्थ संधानिक उपयोग/दुरुपयोग है। इस 'जातक ज्योतिष' के फलने-फूलने का एक कारण आर्यसमाज की ज्योतिष के प्रति अज्ञानता व उपेक्षा भी है। समस्या तब और भी गम्भीर हो जाती है जब व्यक्ति न तो स्वयं कुछ जानता है और न ही उनकी मानता है जो कि जानते हैं। आर्यजनों को इस एक रोग से बाहर आने की आवश्यकता प्रतीत होती है जो कि हमें एक समाजी तो बनता है किन्तु आर्य नहीं। इसलिये मैं पहिले भी एक सुझाव दे चुका हूँ कि '**कृण्वन्तो विश्वमार्यम्**' से पहले '**कृण्वन्तो स्वयमार्यम्**' के नारे को बुलन्द किये जाने का वक्त आ गया है।

मुझे प्राय: आर्यसमाज के सामान्य तो क्या, पुरोहित जनों तक से यह सुनना पड़ता है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज तो पंचांग को मानते ही नहीं थे। स्वामी जी ज्योतिष या पंचांग को कितना जानते व मानते थे इस बात को जताने हेतु मेरे पास ६ प्रमाण हैं जिनमें से ४ तो स्वयं स्वामी जी के श्रीमुख से ही अभिव्यक्त हैं। सच्चाई तक पहुँचने के लिये कृपया स्वामी जी महाराज के लिखे गये निम्नलिखित प्रथम ४ उद्धरणों पर गम्भीरता से ध्यान देवें और सार को समझें।

उद्धरण १- जैसे ऋग्यजु:, साम और अथर्व चारों वेद ईश्वरकृत हैं वैसे ही ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ, ब्राह्मणग्रन्थ, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष, ये छ: वेदांग, मीमांसा आदि छ: शास्त्र, वेदों के उपांग, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद और अर्थवेद, ये चार वेदों के उपवेद इत्यादि सब ऋषि मुनि के किये ग्रन्थ हैं। इनमें से जो वेद विरुद्ध हैं उस को छोड़ देना क्योंकि वेद ईश्वरकृत होने से निर्भ्रान्त अथवा स्वत: प्रमाण अर्थात् वेद का प्रमाण वेद से ही होता है। ब्राह्मण आदि सब ग्रन्थ परत: प्रमाण अर्थात् इनका प्रमाण वेदाधीन है।

अनुशीलन- वेदों के प्रति ऐसी दृढ़ आस्था यदि किसी के मन मस्तिष्क में न हो तो उस व्यक्ति को भारतीय संस्कृति की सारभूत बातें नहीं समझाई जा सकती हैं क्योंकि उसके लिये '**नास्तिको वेद निन्दक:**' या '**वेदोऽखिलो धर्ममूलं सर्वज्ञानमयो हि स:**' जैसे उपदेशों का कोई अर्थ नहीं बनता। वेद अगर सकल ज्ञानकोष हैं तो ज्योतिष उस सकल ज्ञानकोष अर्थात् 'वेद' का ही एक अंग है। इस ज्ञान के अभाव से आप संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, संक्रान्तियाँ, पक्ष, सौर (गते) एवं चन्द्र तिथियाँ, प्रहर, मुहुर्त, लग्नादि, सूर्यचन्द्रादि का उदयास्त और ग्रहण इत्यादि नहीं जान सकते हैं। ऐसे में वैदिक संस्कृति का तीज-त्यौहार ही नहीं नित्यचर्या पूर्वक ठीक-ठीक अनुपालन आप नहीं कर सकते हैं। वेद में सक्रान्तियों, पूर्णिमा और अमावस्याओं में खासतौर पर यज्ञायोजनों का उपदेश है। अब २२ दिसम्बर को मकर संक्रान्ति है (इस सत्य को पूज्यपाद शंकराचार्य भी मान चुके हैं)। अब अगर आप १४ जनवरी को मकर संक्रान्ति मानते-मनाते हैं तो भला आप से बड़ा **वेद निन्दक** कौन हो सकता है? मकर संक्रान्ति के बाद जो भी शुक्ल पक्ष आयेगा वह भी माघ शुक्ल पक्ष होता है। यह वैदिक मार्गदर्शन है। अब आप समझ सकते हैं कि माघ शुक्ल के गलत निर्धारण मात्र से आपके पूरे संवत् के सौर मास एवं दिनांकन और चान्द्रमास व्यवस्था की गड़बड़ हो जायेगी और आप पूरे वर्ष भर अपने त्यौहारों को गलत तिथियों में मनाने के लिये विवश बने रहेंगे। इतना सब जो नुकसान हो रहा है वह सब ज्योतिष को न जानने या गलत जानने से ही होता चला आ रहा है।

उद्धरण २- ज्योतिषशास्त्रे प्रतिदिनचर्याअभिहितार्यै: क्षणमारभ्य कल्पकल्पान्तस्य गणितविद्यया स्पष्टं परिगणितं कृत्मद्यपर्यन्तमपि क्रियते प्रतिदिनमुच्चर्यते ज्ञायते चात: कारणादियं व्यवस्थैव सर्वैर्मनुष्यै: स्वीकर्तुं योग्यास्ति नान्येति निश्चय:। कृतो ह्यार्यैर्नित्यम् 'ओं तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वतीयप्रहरार्द्धे.....मासपक्षदिननक्षत्रलग्नमुहुर्तेऽत्रेदं कृतं क्रियते च' इत्याबालवृद्धै: प्रत्यहं..... .....।

अनुशीलन- स्वामी जी का पूर्ववर्ती, तात्कालिक और पश्चातवर्ती आर्यो पर पंचांगीय अनुपालना का कितना

बड़ा विश्वास था, देखिये तो सही। स्वामी जी कह रहे हैं कि 'आज का दिन कौन सा है' यह जानने की आर्यों की ज्योतिष शास्त्र सम्मत एक नित्य चर्चा है। उसको '**संकल्प**' कहते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप करते हैं संकल्प की इस नित्य चर्चा को? यदि नहीं तो क्यों नहीं? यदि हाँ तो फिर कैसे? स्वामी जी तो यह भी कह रहे हैं कि 'अत्रेदं कृतं क्रियते च' इत्याबालवृद्धैः प्रत्यहं.....। अब यदि नित्य का यह 'संकल्प' आप करते हैं तो निश्चित है कि अवैदिक पंचांगों के अनुसार ही करते होंगे और नहीं करते हैं तो तब भी आप स्वामी जी की अपेक्षा के अन्तर्गत (प्रतिदिनचर्याअभिहितार्यैः अर्थात् आर्यानुकूल) आचरण नहीं करते हैं। मैं पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि आप गलत कार्य क्यों करते हैं? इस बात को यहीं छोड़ते हैं, मुख्य बात ये है कि आज से ही सही, आपने अब सत्य 'आर्य आचरण' की इस चर्या को स्वीकार करना है कि नहीं?

उद्धरण ३- पृथ्वी से लेके आकाश पर्यन्त की विद्या को यथावत् सीख के अर्थ अर्थात् जो ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला है, उस विद्या को सीख के ज्योतिष शास्त्र, सूर्य सिद्धान्त आदि जिस में बीज गणित, अंक गणित, भूगोल, खगोल और भूगर्भ विद्या है, इसको यथावत सीखें।

अनुशीलन- आकाश पर्यन्त की विद्या को यथावत सीख के ज्योतिष शास्त्र, सूर्य सिद्धान्त आदि..... मैं सामान्य से लेकर विद्वाज्जनों तक सभी को पूछना चाहता हूँ कि इन वाक्यों को पढ़ने के बाद भी क्या किसी को ये शंका बनी रह सकती है कि स्वामी जी ज्योतिष (पंचांग) को तो मानते ही नहीं थे? यह भी स्पष्ट करता चलूँ कि महर्षि ने पंचांग के अर्थ में '**तिथिपत्रक**' शब्द को स्वीकारा है और मैंने वही '**तिथिपत्रक**' शब्द ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका से अपने वैदिक पंचांग के लिये लिया है।

उद्धरण ४- तत्पश्चात् सब प्रकार की हस्तक्रिया, यन्त्रकला आदि को सीखें, परन्तु जितने ग्रह, नक्षत्र, जन्मपत्र, मुहुर्त आदि के फल के विधायक ग्रन्थ हैं उनको झूठ समझ के कभी न पढ़ें और पढ़ावें।

अनुशीलन- ''यन्त्रकला'' शब्द का उपयोग ही यह तथ्य सिद्ध करता है कि स्वामी जी को ज्योतिष का कितना गहरा ज्ञान हो चुका था। इस ''यन्त्रकला'' जिसको वेध सिद्धान्त भी कहते हैं, से ही यह यथार्थ ज्ञान हो पाता है कि वास्तविक मेष (माधव), कर्क (नभस), तुला (ऊर्ज) और मकर (तपस) आदि कोई भी संक्रान्ति कब होती है। वेध सिद्धान्त ही है जो आपको बतायेगा कि क्यों मकर संक्रान्ति २१ दिसम्बर २०१३ को रात्रि १०.४१ बजे होगी और क्यों १४ जनवरी तो क्या पूरे वर्ष में अन्यत्र किसी भी तिथि में घटित नहीं हो सकती है।

उद्धरण ५- विश्व की समस्त आर्य समाजों को संकल्पित भाव से ये बातें जाननी और माननी होंगी कि पण्डित रघुनन्दन शर्मा पहले ही अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ''वैदिक सम्पत्ति'' में (श्री घूडमल प्रहलादकुमार आर्य धर्मार्थ न्यास प्रकाशन) पंचांगों के 'ऋतुबद्ध सायन' आधार की प्रामाणिकता घोषित कर चुके हैं। वे कहते हैं कि ..... परन्तु संवत्सर, ऋतु, अयनादि की यथावत सन्धियों का ज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक की सायन गणनानुसार ज्योतिष का ठीक-ठीक ज्ञान न हो।

अनुशीलन- तथ्यों को स्पष्ट करने और अब तक के ''असम्भव'' वैदिक पंचांग को ''सम्भव'' कर लेने के बाद भी अगर आर्यसमाज के सुधी सज्जन नहीं चेते और अवैदिक पंचांग को ही शिरोधार्य करके चलते रहे तो इस से बड़ी ''शोक की बात'' क्या कुछ हो सकती है?

उद्धरण ६- ''ज्योतिष विवेक'' नामक अपनी प्रसिद्ध रचना में स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती (पूर्व नाम वेदव्रत जी मीमांसक) का यह अभिप्राय आर्यों के मार्गदर्शन के लिये पर्याप्त होना चाहिये था कि यदि संक्रान्तियों को सायन गणनानुसार शुद्ध रूप से नहीं लिया गया तो आगे ऐसा भी वक्त आयेगा जब आज भी यथार्थ से २४ दिनों की अशुद्धि से मनायी जा रही माघ संक्रान्ति हमारे लोग जून माह में उस दिन मना रहे होंगे जब कि वास्तव में सूर्य दक्षिणायन हो रहा होगा।

अनुशीलन- ऐसी गलती सभी संक्रान्तियों के बारे में हो रही है और इस एक मात्र वैदिक पंचांग ''**श्री मोहन कृति आर्ष तिथि पत्रक**'' के सिवाय भारत के सारे पंचांग ऐसी ही गलती करते आये हैं और करते ही रहेंगे। बोधाभाव में आर्यसमाज भी इस ही गलती की विडम्बना से गुजरता रहेगा।

सज्जनो! मैंने वह चिर प्रतीक्षित कार्य कर दिया है जिसके बिना पूरा समाज एक भटकाव में चलते रहने को विवश था। ३७ वर्षों के मेरे सतत् कार्य का ही प्रतिफल है यह ''**वैदिक पंचांग**''। अब आपको क्या करना है, ये आप जानें और आपको जानना भी चाहिये। परन्तु भूल से भी ये न कहें कि महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती तो पंचांग को मानते ही नहीं थे। याद रहे कि आपकी प्रतिबद्धता इसमें है कि सत्य को स्वीकारने और असत्य को त्यागने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिये।

सम्पादक एवं गणित कर्ता, श्री मोहन कृति आर्ष तिथिपत्र, सी-२७६, गामा-।, ग्रेटर नोएडा-२०१३१० (उ.प्र.)

(परोपकारिणी सभा द्वारा संचालित)

योग–साधना शिविर (द्वितीय स्तर)

दिनांक १५ से २२ जून २०१४

आज समाज के अनेक क्षेत्रों में अनेक प्रकार से लोग साधना के लिए प्रयासरत हो रहे हैं। अनेक प्रशिक्षकों द्वारा इस विषयक ज्ञान–विज्ञान भी प्रदान किया जा रहा है। फिर भी साधकों को साधना की सन्तुष्टिदायक स्थिति प्राप्त नहीं हो पा रही है। इसका कारण है कि साधना के विषय **साध्य, साधन, साधक व अन्य साधकों-बाधकों** के ज्ञान का वैदिक परम्परा से दूर होना। इस योग–साधना शिविर में इन्हीं विषयों का वैदिक–दर्शनों के द्वारा ज्ञान करवाया जायेगा, उससे सम्बन्धित जिज्ञासाओं का समाधान व आत्मनिरीक्षण के द्वारा अपनी उन्नति का मापदण्ड बताया जायेगा। यह शिविर अवश्य ही आपकी साधना की उन्नति में विशेष साधन बनेगा, जिससे कि मानव जीवन के मुख्य व चरम लक्ष्य की प्राप्ति उत्तरोत्तर काल में आप अपने निकट अनुभव करने लगेंगे। साथ ही पढ़ाये गये विषयों की लिखित परीक्षा व आपके द्वारा पालन किये गये शिविर के अनुशासन का भी आंकलन किया जायेगा, इसी आधार पर प्रमाण–पत्र भी दिये जायेंगे। इस दिशा में अब तक दो शिविरों के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर सफल प्रयास किया गया है। **इस द्वितीय स्तर के शिविर में वे ही भाग ले सकेंगे, जिन्होंने प्राथमिक स्तर वाले शिविर में भाग लिया है।** इस शिविर में प्राथमिक स्तर वाले शिविर की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता से विषयों का अनुभव करवाया जाएगा और वैसा ही सूक्ष्मता से, कठोरता से नियम व अनुशासन होगा।

प्रार्थियों हेतु नियम व अनुशासन

१. प्रत्येक प्रार्थी के लिए पूर्ण मौन अनिवार्य होगा।
२. दिनचर्या के कुछ भाग में आकृति मौन भी अनिवार्य होगा।
३. प्रार्थी [illegible] के स्तर की योग्यता अनिवार्य है। इस हेतु प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि लाना आवश्यक है।
४. शिविर के काल में किसी साधक के द्वारा नियम व अनुशासन भंग करने पर उसे शिविर के मध्य में ही शिविर छोड़ने के लिए बाध्य किया जा सकता है।
५. शारीरिक व मानसिक सात्विकता के लिए यथासम्भव भोजन की मात्रा निश्चित होगी।
६. पूरे शिविर में साधक के द्वारा किसी भी माध्यम से बाह्य–सम्पर्क करना निषिद्ध रहेगा।
७. शिविर काल में किसी भी साधक को ऋषि उद्यान परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
८. साधकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ऋषि–उद्यान परिसर में ही की जायेगी।
९. बाह्य–वृत्ति उत्पादक साधनों जैसे समाचार–पत्र पढ़ना, आकाशवाणी श्रवण व दूरदर्शन देखना, पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।
१०. किसी प्रकार का शारीरिक रोग यथा सर्दी, खाँसी, जुकाम अथवा अन्य कोई ध्वनि उत्पादक रोग वाले को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
११. बच्चों को साथ लाये जाने पर प्रार्थी को शिविर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
१२. किसी भी मादक द्रव्य, चाय–कॉफी आदि का सेवन निषिद्ध होगा।
१३. शिविर के प्रारम्भ दिन से लेकर समापन–सत्र पर्यन्त पूर्ण रूप से शिविर में भाग लेना अनिवार्य होगा।
१४. नियम व अनुशासन के पालन को आवेदन में ही लिखित स्वीकार करना होगा।

उपरिलिखित किसी भी नियम व अनुशासन का पालन करने में असमर्थ व अयोग्य प्रार्थी को शिविर में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

प्रार्थियों के लिए सूचनाएँ–मंत्री परोपकारिणी सभा, केसरगंज, अजमेर (राज.) से संपर्क कर शिविर से पूर्व

शुल्क जमा करवा कर अपने नाम का पंजीयन करा लें। शिविर में माता-बहिनें भी भाग ले सकती हैं। पुरुषों एवं महिलाओं के आवास की सामूहिक व्यवस्था पृथक्-पृथक् की जाती है। पृथक् कक्ष चाहने वालों को अतिरिक्त शुल्क १००० से २००० रु. देय होता है। पृथक् कक्ष की व्यवस्था पूर्व सूचना व उपलब्धता के अनुसार की जाती है। ऋषि उद्यान में दरी, गद्दे, तकिए एवं बर्तन उपलब्ध हैं शेष दैनिक उपयोग की वस्तुएँ यथा मंजन, ब्रश, साबुन, तेल, दवाएँ, बिछाने-ओढ़ने की चादरें, लिखने के लिए संचिका (नोटबुक), लेखनी, करदीप (टार्च) आदि को साधक अपने साथ लाएँ। वस्त्र सादगी एवं शिष्टाचार के अनुकूल हों, आभूषणों एवं सुगन्धित द्रव्यों का उपयोग न हो। आपके पास योगदर्शन हो तो साथ लाएँ अन्यथा यहाँ भी क्रय किया जा सकता है। सतर्कता की दृष्टि से कीमती वस्तुएँ साथ न लायें। यदि आपको कोई संक्रामक रोग, तेज खांसी, दमा, मिर्गी आदि मानसिक रोग, वायु विकार या अन्य गंभीर रोग हो, तो कृपया शिविर में आना स्थगित रखें। यदि अपने कार्य स्वयं न कर सकते हों तो सहायक साथ में लायें। अजमेर या निकटवर्ती स्थल (पुष्कर) देखना चाहें, तो शिविर से पूर्व या पश्चात् अतिरिक्त समय निकाल कर आयें। लौटने का रेल-आरक्षण शिविर में आने से पूर्व करवा लें। अजमेर पहुँचने की सूचना घर पर देनी हो तो शिविर स्थल में प्रवेश से पहले दे देवें। खाने पीने की वस्तुएँ साथ न लावें।

यह शिविर परोपकारिणी सभा, अजमेर के सौजन्य से आयोजित किया जा रहा है। शिविर शुल्क १००० रु. मात्र जमा करना होगा। शिविर में भाग लेने वालों को शिविर के प्रारंभ दिनांक को सायं चार बजे तक शिविर स्थल ऋषि उद्यान, पुष्कर मार्ग, अजमेर में पहुँच जाना आवश्यक है क्योंकि इसी दिन शाम को शिविर के अनुशासन एवं विभिन्न व्यवस्थाओं संबन्धी महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ दी जाएँगी। शिविर का समापन अन्तिम दिन दोपहर एक बजे तक होगा। शिविर समाप्ति से पूर्व जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

शिविर से आपका जीवन श्रेष्ठतर व पवित्रतर बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ।

मंत्री, परोपकारिणी सभा, केसरगंज, अजमेर दूरभाष : ०१४५-२४६०१६४
email:psabhaa@gmail.com

: मार्ग :

ऋषि उद्यान शिविर स्थल पर पहुंचने के लिए फॉयसागर की ओर जाने वाली सिटी बस या ऑटो-रिक्शा, रेल्वे स्टेशन व बस स्टेण्ड से (वाया-आगरा गेट/फव्वारा चौराहा) सर्वदा सुलभ रहते हैं।

-संयोजक

परोपकारिणी सभा द्वारा आयोजित आगामी कार्यक्रम

विशेष- ११ से १५ मार्च,२०१४ में होने वाली **सन्ध्या गोष्ठी** स्थगित की गई है। पुन: निर्धारण होने पर सूचित किया जायेगा।

१. १३ से २० अप्रैल, २०१४ **ध्यान प्रशिक्षक प्रशिक्षण शिविर,** सम्पर्क : ०९४१४००३७५६, समय : मध्याह्न १.३० से २.३० बजे।

२. १६ से २३ मई, २०१४ **आर्यवीर शिविर,** सम्पर्क- ०९४१४४३६०३१

३. २४ से ३१ मई, २०१४ **संस्कृत सम्भाषण शिविर,** सम्पर्क- ०९४१४७०९४९४

४. १ से ८ जून, २०१४ **आर्य वीराङ्गना शिविर,** सम्पर्क- ०९४१४४३६०३१

५. १५ से २२ जून, २०१४- **योग-साधना शिविर (द्वितीय स्तर),** सम्पर्क- ०१४५-२४६०१६४

विशेष- परोपकारिणी सभा द्वारा आयोजित पूर्व दो ध्यान-प्रशिक्षक-प्रशिक्षण शिविरों में प्रथम व उच्च प्रथम श्रेणी प्राप्त प्रशिक्षकों के लिए भी योग साधना शिविर (द्वितीय स्तर) में भाग लेने का अवसर रहेगा।

ध्यान प्रशिक्षण योजना

ध्यान का महत्त्व सदा से रहा है। आज के तनाव व प्रतिस्पर्धा के वातावरण में यह अधिक आवश्यक हो गया है। नई पीढ़ी यज्ञादि कर्मकाण्ड की अपेक्षा-ध्यान में अधिक रुचि व आकर्षण रखने लगी है। प्रौढ़ों व वृद्धों की आध्यात्मिक उन्नति की चाह ध्यान के माध्यम से पूरी हो सकती है। समाज सुधार व उन्नति के इच्छुक व इसमें प्रयत्नशील आर्यों को ध्यान प्रशिक्षण का उपाय सार्थक लगेगा। ऐसी इच्छा वाले सज्जन अपने यहाँ किसी भी आर्यसमाज, आर्य संस्था, विद्यालय, महाविद्यालय, गुरुकुल, सार्वजनिक स्थान आदि में 'ध्यान-प्रशिक्षण' करवाना चाहते हों, तो कृपया अपने व कार्यक्रम-स्थान, समय आदि की पूरी सूचना के साथ सम्पर्क करें।

परोपकारिणी सभा द्वारा प्रशिक्षित अनेक ध्यान-प्रशिक्षक इस कार्य में सेवा के लिए तैयार हैं। ये ध्यान-प्रशिक्षक आपके जनपद के निकट भी उपलब्ध हो सकते हैं। आयोजकों को कार्यक्रम हेतु स्थान, बैठक-व्यवस्था, आवश्यक हो तो माईक आदि की व्यवस्था, प्रशिक्षक के निवास, भोजन, आवागमन यात्रा आदि की व्यवस्था करनी होगी।

सम्पर्क-संयोजक, ध्यान प्रशिक्षण योजना, परोपकारिणी सभा, केसरगंज, अजमेर, ३०५००१, दूरभाष-०१४५-२४६०१६४, ईमेल-psabhaa@gmail.com

ध्यान प्रशिक्षक प्रशिक्षण शिविर

१३ से २० अप्रैल, २०१४, ऋषि उद्यान, पुष्कर मार्ग, अजमेर। अधिकतम संख्या-५०। मात्र पूर्व पञ्जीकृत प्रतिभागियों के लिए। इसमें विद्वद् गोष्ठी द्वारा निर्धारित आर्यसमाज की ध्यान पद्धति का प्रशिक्षण दिया जायेगा व ध्यान करवाने का अभ्यास भी करवाया जायेगा। लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा के बाद योग्य व्यक्तियों को परोपकारिणी सभा द्वारा प्रशिक्षक-प्रमाण पत्र भी दिये जायेंगे। शिविर शुल्क १००० रु. है। १३ अप्रैल सायं ४ बजे तक पहुँचना अनिवार्य है। विलम्ब से आने वालों की शिविर में सहभागिता नहीं हो पायेगी। शिविर का समापन २० अप्रैल को सायं ५ बजे तक हो जायेगा। इच्छुक व्यक्ति, कृपया सम्पर्क करें-९४१४००३७५६, समय-मध्याह्न १.३० से २.३०।

विशेष- प्रतिभागी अपना आवेदन १५ मार्च २०१४ तक भेज देवें जिसमें कि नाम, पत्र व्यवहार का पूरा पता, अपना चित्र, दूरभाष संख्या स्पष्ट लिखा हो। स्वीकृति मिलने पर ३० मार्च तक अपना शुल्क अवश्य ही जमा करवाकर अपना पंजीयन करवा लेवें।

५० की सीमित संख्या में प्रथम पंजीयन करवाने वाले को ही शिविर में भाग लेने की अनुमति होगी।

पता-संयोजक, ध्यान प्रशिक्षक प्रशिक्षण शिविर, परोपकारिणी सभा, दयानन्द आश्रम, केसरगंज, अजमेर, राज. ३०५००१। ईमेल-psabhaa@gmail.com

अतिथि यज्ञ के होताओं से अनुरोध

अतिथि यज्ञ के होताओं से उनकी वैवाहिक वर्षगांठ अथवा जन्मदिन व विभिन्न अवसरों पर ५१०० रु. प्रतिवर्ष सभा को प्राप्त होते रहते हैं। जो महानुभाव संकल्प के साथ इस पुनीत कार्य से जुड़े हुए हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि वे अपनी राशि भेजते समय जन्म तिथि/वैवाहिक वर्षगांठ आदि व दूरभाष संख्या सूचित करना न भूलें। साथ ही यह भी अवश्य सूचित करा देवें कि पहले से भिजवा रहे हैं अथवा नया शुरू किया है। आप अपनी राशि सभा के बैंक खाते में नगद अथवा चैक द्वारा जमा करा सकते हैं।

।। ओ३म् ।।

अलग-अलग स्तरों में योग-साधना शिविर

परोपकारिणी सभा द्वारा संचालित ऋषि-उद्यान, अजमेर में वर्षों से अब तक योग्य आचार्यों द्वारा योग-साधकों का निर्माण करने के लिए वर्ष में दो बार योग से सम्बन्धित व ध्यान से सम्बन्धित शिविरों का आयोजन किया जाता रहा है और साधकों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किया जाता रहा है। समाज में और अधिक योग्य व आदर्श साधकों की आवश्यकता अनुभव करते हुए इस वर्ष जून मास के शिविर में नवीन पाठ्यक्रम की विधि अपनाकर इस दिशा में एक नया मोड़ दिया गया है।

परोपकारिणी सभा द्वारा ऋषि उद्यान में योग-साधना शिविर (प्राथमिक स्तर) के दो शिविर लगाये जा चुके हैं। यह शिविर ध्यान से सम्बन्धित, ईश्वर-जीव-प्रकृति के वास्तविक स्वरूप को जानने से सम्बन्धित, योगदर्शन व सांख्यदर्शन के कुछ प्रमुख विषयों के सूत्रों के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर योगदर्शन व सांख्यदर्शन को जानने-समझने से सम्बन्धित, आत्मनिरीक्षण में कुछ नये विषयों को सूक्ष्मता से समझने से सम्बन्धित, दिनचर्या को अनुशासित व सात्त्विक बनाने से सम्बन्धित तथा विभिन्न सैद्धान्तिक व व्यावहारिक विषयों के ज्ञान से सम्बन्धित प्रारम्भिक स्तर के योग के इच्छुक साधकों के लिए लगाया गया। इस योग-साधना शिविर को आगामी वर्षों में चतुर्थ स्तर तक लगाने की योजना बनाई गई है। प्रारम्भिक स्तर से लेकर द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्तर तक के शिविरों में पूर्व सूचित पाठ्यक्रमित विषयों में अधिक से अधिक सूक्ष्मता, दिनचर्या में और अधिक अनुशासन व सात्त्विकता, आहार-शुद्धि से लेकर मन, आत्मा की शुद्धि पर्यन्त अनुभवात्मक स्तर पर योग-साधकों को ज्ञान करवाया जाएगा। प्रत्येक स्तर के साधकों को उनके सैद्धान्तिक व व्यावहारिक ज्ञान से सम्बन्धित तथा उनके व्यक्तिगत आचरण व अनुशासन को दृष्टि में रखते हुए परीक्षा-पद्धति के माध्यम से प्रथम-श्रेणी व उच्च प्रथम-श्रेणी के प्रमाण-पत्र दिए जायेंगे। इस प्रकार की विधि से योग्य साधकों को समाज में सम्मान मिलेगा तथा वे और अधिक उत्साह से समाज व देश के कल्याण के लिए कार्यरत होंगे, उन्हें देखकर अन्य साधक भी प्रेरित होंगे।

परोपकारिणी सभा व गुरुकुल ऋषि उद्यान के योग्य आचार्यों व संयोजकों द्वारा नवनिर्मित इस योजना के प्राथमिक स्तर में पर्याप्त उपलब्धि हुई है। भविष्य में इस योजना में आप सब के सहयोग की आवश्यकता है।

लेखकों से निवेदन

परोपकारी में उन लेखों, कविताओं, रचनाओं को दिया जाता है, जो **मौलिक व अप्रकाशित** हों। अत: सभी लेखकों से निवेदन है कि वे अपनी उन्हीं रचनाओं को भेजें जो मौलिक व अप्रकाशित हों।

अनेक लेखक मौलिक व अप्रकाशित रचना तो भेजते हैं, किन्तु उसे एक साथ **अनेक पत्रिकाओं को भेजते हैं।** अत: लेखकों से यह भी निवेदन है कि वे कृपया परोपकारी को वे ही रचना भेजें, जो अन्य पत्रिकाओं के लिए न भेजी हो। परोपकारी में छपने के बाद यदि अन्यत्र भेजना चाहें तो यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है।

कृपया लेख के अन्त में अपना **पूरा पता व चल-दूरभाष संख्या अवश्य लिखें।** लेख के स्वीकृत-अस्वीकृत होने की सूचना चल-दूरभाष पर संक्षिप्त संदेश द्वारा प्रेषित कर दी जायेगी। **परोपकारिणी सभा द्वारा रचनाओं के लिए किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाता है।**

रचयिता अपनी रचना की एक प्रति कृपया अपने पास रखकर भेजें, क्योंकि **अस्वीकृत रचनायें डाक द्वारा लौटाई नहीं जाती हैं।** स्वीकृत रचना परोपकारी के किसी आगामी अङ्क में देखी जा सकती है। रचना के प्रकाशन में छ: माह या अधिक समय भी लग सकता है, अत: कृपया तब तक रचना को अन्यत्र न भेजें। **-संपादक**

अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द

- डॉ. जगदेवसिंह विद्यालंकार

धन्य है जालन्धर जिले के तलवन ग्राम की वह भूमि जहाँ नानकचन्द के घर में १८५६ में स्वामी श्रद्धानन्द सरीखे राष्ट्रपुरुष ने जन्म लिया । यद्यपि मुन्शीराम का आरम्भिक जीवन पिता के उच्च पदस्थ एवं धनसम्पन्न होने के कारण कुमार्गगामी हो गया था और शराब, मांस आदि के सेवन से अत्यधिक दुर्व्यसनी हो गया था, परन्तु शीघ्र ही उनके जीवन का सौभाग्य उदय हो गया। संयोग से महर्षि दयानन्द उस बरेली नगर में वेद प्रचार करने के लिए पहुँच गए जहाँ मुन्शीराम के पिता नानकचन्द शहर कोतवाल थे और महर्षि के प्रवचनों के प्रबन्धक थे। जब नानकचन्द ने भव्य ऋषि के भव्य प्रवचन सुने तो उन्हें विश्वास हो गया कि मेरे पथ भ्रष्ट पुत्र को ये ही सन्मार्ग पर ला सकते हैं और हुआ भी वही। ऋषि के व्याख्यान सुनकर मुन्शीराम महात्मा मुन्शीराम बन गए और जीवन में कुछ कर गुजरने का संकल्प कर लिया।

उस दिव्य ऋषि के दिव्य शिष्य ने फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखा। त्याग और संयम की भट्ठी में स्वयं को ऐसा झोंका कि कुन्दन बनकर निकले। छत्तीस वर्ष की आयु में विधुर होने के बाद कठोर ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। राजा जनक की भाँति निर्लिप्त भाव से गृहस्थ धर्म के उत्तरदायित्व को पूरा किया। शीघ्र ही स्वामी दयानन्द द्वारा बताए हुए सन्देश को कार्यान्वित करने के लिए गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को प्रारम्भ करने हेतु संकल्प लिया और केवल छह महीने के समय में तीस हजार रुपये एकत्रित कर लिए जो आज के तीस करोड़ के बराबर थे। महात्मा मुन्शीराम की पारखी बुद्धि ने यह जान लिया था कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ही वह सरणी है जिस पर चलकर इस देश का युवा स्वावलम्बी, स्वाभिमानी और आत्म सम्मानी बन कर राष्ट्र की पराधीनता की जंजीरों को काट सकता है तथा धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टि से पतनोन्मुख राष्ट्र को सन्मार्ग पर प्रशस्त कर सकता है ।

उपह्वरे गिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत।

इस वेद मन्त्र को मन में संजोकर १९०२में हरिद्वार के निकट कांगडी गाँव में गंगा की दो धाराओं के मध्य गुरुकुल की स्थापना कर दी और सबसे पहले अपने दोनों पुत्रों हरिशचन्द्र और इन्द्र को गुरुकुल में प्रविष्ट कर दिया। वह गुरुकुल कांगडी आज एक विशाल विश्वविद्यालय का रूप लिए हुए है, उस गुरुकुल ने एक से बढ़कर एक विद्वान्,साहित्यकार, पत्रकार, लेखक और वक्ता प्रदान किए। नारी शिक्षा के लिए भी महात्मा मुन्शीराम ने जालन्धर में कन्या विद्यालय की स्थापना की ।

स्वामी श्रद्धानन्द त्याग और तप की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति दान में दे दी। प्रेस और किले के आकार की भव्य कोठी को भी आर्यसमाज को दे दिया। ऐसा सर्वमेध यज्ञ करने वाला कोई विरला ही होता है। अपने गुरु महर्षि दयानन्द के आदेश का स्वामी श्रद्धानन्द ने अक्षरश: पालन किया। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों में साहस, धैर्य, सूझबूझ और कर्मठता से कार्य किया। संन्यास लेने के बाद स्वामी जी ने गुरुकुल को छोड़ दिया और दिल्ली में रहकर स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया। महात्मा गाँधी स्वामी जी को अपना बडा भाई मानते थे और उनके सम्मान में चरणस्पर्श करते थे। जलियाँबाग वाले निर्मम हत्याकांड के तुरन्त बाद अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन स्वामी श्रद्धानन्द ने अपने बलबूते पर करवाया और स्वयं स्वागताध्यक्ष बने तथा अपने स्वाभिमान और राष्ट्रप्रेम का परिचय देते हुए हिन्दी में भाषण दिया।

रोल्ट एक्ट के विरोध में बड़े भारी जुलूस का नेतृत्व करते हुए दिल्ली के चान्दनी चौक में घण्टाघर के पास जब गोरे सिपाहियों ने संगीनें तान दी तो अदम्य साहसी, निर्भीक स्वामी जी ने अपनी छाती अड़ा दी और गरजकर कहा हिम्मत है तो चलाओ गोली, तब स्वामी श्रद्धानन्द की हुंकार सुनकर गोरों की संगीनें झुक गई। स्वामी श्रद्धानन्द की निर्भीकता, निष्पक्षता और मानवता को देखकर ही मौलाना अब्दुल्ला चूड़ी वाले ने जामा मस्जिद में भाषण देने के लिए आमन्त्रित किया और स्वामी जी ने जामा मस्जिद के मिम्बर पर खड़े होकर वेदमन्त्रों का उच्चारण करते हुए एक घण्टे का भाषण दिया और उसके दो दिन बाद फतहपुरी मस्जिद में भी स्वामी जी का भाषण हुआ। स्वामी जी ही एक मात्र ऐसे हिन्दू नेता थे जिन्होंने मस्जिद में भाषण दिया भाईचारे का सन्देश दिया। यदि स्वामी श्रद्धानन्द जीवित रहते तो देश का विभाजन न होता और अखण्ड भारत को स्वतन्त्रता मिलती।

स्वामी जी ने शुद्धि आन्दोलन बहुत जोर-शोर से चलाया और जो स्वेच्छा से हिन्दू बनना चाहते थे उन्हें स्वामी जी शुद्ध करके हिन्दू आर्य बना देते थे। स्वामी जी के इस कार्य के महत्त्व को समझे बिना कुछ संकीर्ण, स्वार्थी महत्त्वाकांक्षी व्यक्तियों ने मुसलमान भाइयों को भड़काने और गुमराह करने का दुष्कृत्य किया जिसके परिणाम स्वरूप अब्दुल रशीद नाम के एक धर्मान्ध मुसलमान ने रुग्णावस्था में विश्राम करते हुए स्वामी जी पर २३ दिसम्बर १९२६ को तीन गोली मार कर शहीद कर दिया । ऐसे अदम्य साहसी, धुन के धनी, सत्योपासक, मानवता के सेवक, महान् देशभक्त, वीर बलिदानी शताब्दियों बाद जन्म लेते हैं। ऐसे महान् राष्ट्रवादी महापुरुष को बार-बार प्रणाम।

- तिलकनगर, रोहतक, हरियाणा

राष्ट्रभाषा व प्रान्तीय भाषाओं के विकास में बड़ी बाधकः अंग्रेजी

- इन्द्रजित् देव

ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत तेलुगु लेखक डॉ. सी.नारायण रेड्डी ने दो वर्ष पूर्व एक पत्रिका 'मिलिन्द' की प्रथम वर्षगाँठ के अवसर पर बोलते हुए यह कहा था कि प्रान्तीय भाषाओं के विकास से ही राष्ट्रभाषा का विकास सम्भव है परन्तु उन्होंने यह बताने का साहस पूर्ण कर्त्तव्य नहीं निभाया था कि प्रान्तीय भाषाओं के विकास-मार्ग में बाधक कौन है?

पूरा राष्ट्र जानता है कि प्रान्तीय भाषाओं को राष्ट्रभाषा का भय दिखाकर विगत ६६ वर्षों से विदेशी भाषा का साम्राज्य दृढ़ता से स्थापित किया गया है जबकि हिन्दी का जन्म इस देश की स्वतन्त्रता के हथियार के रूप में हुआ था। इसने देश को स्वतन्त्र कराया तथा अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ा परन्तु अंग्रेजीपरस्त नेताओं व नौकरशाहों के अंग्रेजी-प्रेम ने हिन्दी को हाशिये पर पहुँचाने में मुख्य भूमिका निभाई। इस सम्बन्ध में अंग्रेजों के ही देश की एक रेडियो सेवा 'बी.बी.सी.' को महात्मा गाँधी का १५ अगस्त, १९४७ ई. को दिया यह सन्देश स्मरणीय है-

''जाओ और दुनियाँ को बता दो कि गाँधी अब अंग्रेजी जानता नहीं। यदि मेरे हाथों में तानाशाही सत्ता हो तो मैं आज से विदेशी भाषा के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा को बन्द करा दूँ। सारे शिक्षकों और प्रोफ़ेसरों से यह माध्यम तुरन्त बदलवा दूँ अन्यथा बर्खास्त करा दूँ।''

उन्होंने यह भी कहा था-

''अब हम समाज व राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा जो कर सकते हैं, वह यही है कि हमने जो भ्रम व अन्ध विश्वासपूर्ण मान्यता पाल रखी है, इससे अब स्वयं मुक्त हो जाएँ व राष्ट्र को भी मुक्त करें कि सर्वोत्तम विचार व सर्वोत्कृष्ट प्रतिभा का प्रकटीकरण अंग्रेजी के द्वारा ही किया जा सकता है। वस्तुतः कोई विदेशी भाषा नौजवानों पर थोपने से उनकी स्वाभाविक प्रतिभा कुंठित व लुंठित हो रही है तथा इसे विदेशी शासन की सबसे बड़ी बुराई ही माना जाएगा। यदि विदेशी माध्यम से शिक्षा देना इसी प्रकार जारी रहा तो इस से राष्ट्र की आत्मा का हनन होगा।''

महात्मा गान्धी के इन विचारों को केवल अनेक कथित भक्तों ने ही नहीं, राष्ट्रीय व प्रान्तीय नेताओं ने भी हाशिए में डालकर अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा है। प्रान्तीय भाषाओं को ही नहीं, प्रान्तीय बोलियों को भी उकसाकर हिन्दी को उनका विरोधी सिद्ध करने का दुष्कर्म चलता रहा है। सत्य इसके विपरीत है। संस्कृत रूपी माता की सभी बेटियाँ हैं- हिन्दी, मराठी, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, उड़िया, बंगला, तेलुगु आदि भाषाएँ। संस्कृत के इनमें से किसी भाषा में लगभग ५० प्रतिशत शब्द हैं, तो किसी में ६० प्रतिशत शब्द विद्यमान हैं। परस्पर क्रिया-भेद अवश्य है। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है, जब हिन्दी ने किसी प्रान्तीय भाषा की उन्नति का मार्ग अवरुद्ध किया हो। हिन्दी अपनी माँ संस्कृत की बड़ी बेटी है व वह अपनी बहनों से विवाद क्यों करेगी? शताब्दियों से ये सह-अस्तित्व के नियम का पालन करती रही है। इन सबकी उन्नति में बड़ी बाधा अंग्रेजी है। यदि अंग्रेजी की अनिवार्यता देश भर में समाप्त कर दी जाए तो केन्द्रीय स्तर पर हिन्दी व प्रान्तीय स्तर पर प्रान्तीय भाषाएँ स्वतः अपना उचित स्थान पाकर रहेंगी। एक प्रान्त के व्यक्ति को दूसरे प्रान्त में जाकर तत्रस्थ लोगों से जोड़ने वाली हिन्दी के सिवा कोई अन्य भाषा नहीं है। अतः इसे प्रान्तीय भाषाओं का विरोधी नहीं, सहायिका ही माना जाता रहा है।

हिन्दी इस देश की सर्वजनीन भाषा है व इसे लागू करने का वचन महात्मा गाँधी सहित अन्य कई नेताओं ने स्वतन्त्रता पूर्व दिया था। लोकतन्त्र की ताकत उसकी अपनी भाषाओं की उन्नति में निहित है परन्तु अधिक नेता अपने वचन को भंग करने में व्यस्त हो गए व हमारा लोकतन्त्र अंग्रेजी की मुट्ठियों में आज कैद होकर तड़फड़ा रहा है। यह एक टकसाली सत्य है कि हमें यह विश्वास दिया गया था कि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी से, लोकतन्त्र-व्यवस्था लागू होते ही हिन्दी को स्वयमेव पंख लग जाएंगे परन्तु इसके पंख कुतरने की अप्रत्यक्ष योजना तो उसी दिन बन गई थी जिस दिन संविधान सभा ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा मानने की प्रस्ताव पारित किया था। प्रसिद्ध राष्ट्रभक्त नेता बलराज मधोक के अनुसार सभा से बाहर निकलते हुए तत्कालीन शिक्षा मन्त्री मौ. अब्दुल कलाम आज़ाद ने साथ चल रहे संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान् व राष्ट्रभक्त डॉ. रघुवीर को यह कहा था कि

''संख्या बल से तो तुम लोगों ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित करा लिया है परन्तु इसे लागू करने का दिन न देख पाओगे।''

यह कथन सत्य सिद्ध हो गया है तथा आज स्थिति यह है-

अफ़सर व नेता हो गए अंग्रेज़ी के दास।
हिन्दी अब तक काटती घर में ही वनवास।।

यदि नेतागण ईमानदारी से लोकतन्त्र की शक्ति-जनता

के प्रति समर्पित रहते तो हिन्दी देश में ही नहीं, पूरे विश्व में आज राज करती हुई दिखाई देती। संसार भर में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं में हिन्दी का स्थान द्वितीय है। भारत से छोटे देशों की भाषाएँ राष्ट्रसंघ में स्थान पा गई हैं। परन्तु हम दश बार विश्व हिन्दी सम्मेलनों में इच्छा व संकल्प प्रकट कर चुकने के बावजूद राष्ट्रसंघ में हिन्दी को स्थान नहीं दिला सके। क्योंकि 'अंजुम' के शब्दों में-

हिन्दी तेरे देश में यह किसकी जयकार,
पटरानी को भूलकर, नगर वधू से प्यार।

इसके कुछ कारणों पर विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। एक कारण यह है कि यह प्रचारित किया गया है कि अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है। यह कथन सर्वथा झूठ है। वास्तविकता यह है कि अंग्रेजी मात्र इंग्लैण्ड, अमेरिका, कनाड़ा, आस्ट्रेलिया व हॉलैण्ड की ही भाषा है। शेष सभी देश अपनी-अपनी भाषा से काम चलाते हैं व अपनी भाषा के बल पर ही जीवित रहे हैं। ऐसे देशों में रूस, चीन, जर्मन, जापान, इस्रायल व फ्रान्स आदि देशों ने अंग्रेजी के बिना विश्व में अपनी वैज्ञानिक, शैक्षणिक, राजनैतिक व आर्थिक ध्वजा फहराई है। ऐसा ये देश कर सकते हैं तो आधुनिक वैज्ञानिकों व भाषा-शास्त्रियों द्वारा संसार की सर्वश्रेष्ठ व वैज्ञानिक लिपि देवनागरी व प्राचीन वैदिक संस्कृतिवाहक संस्कृत-भाषा व इसके विश्वव्यापी व्याकरण एवं वैज्ञानिक स्वरमाधुर्यता का दिग्दर्शन कराने वाला भारतवर्ष क्यों नहीं कर सकता? दूसरा निवेदन हमारा यह है कि विश्व में हिन्दी भाषियों की संख्या ३० प्रतिशत है जबकि अंग्रेजी भाषी विश्व में १३ प्रतिशत से अधिक नहीं है। पूरे विश्व की जनसंख्या इस समय ७ अरब है। इसमें चीन देश की जनसंख्या लगभग पौने दो अरब है। वह अपनी भाषा का प्रयोग अपने ही देश में करते हैं व चीन ने राष्ट्रसंघ का सदस्य बनते ही अपनी भाषा को राष्ट्रसंघ में कार्य करने की मान्यता प्राप्त करा ली है। इसके विपरीत हिन्दी भारत के बाहर के नेपाल, मॉरिशस, भूटान व फ़िजी आदि २० देशों में प्रचलित है। यह क्यों नहीं राष्ट्रसंघ में स्थान पा सकी? फ्रैंच भाषी लोग संसार में ५ प्रतिशत, स्पेनी ९ प्रतिशत व रूसी ८ प्रतिशत हैं। उन्होंने अंग्रेजी के अन्तर्राष्ट्रीय होने के कथित दावे के बावजूद अपने देशों में अंग्रेजी को पसरने नहीं दिया। लगभग ६ करोड़ अरबी भाषियों ने राष्ट्रसंघ में अरबी को प्रयोग होने वाली छठी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त करके ही चैन लिया है। इस सम्बन्ध में हमारा एक निवेदन यह भी है कि अन्तर्राष्ट्रीय बनने से पूर्व हमें राष्ट्रवादी बनना होगा। जो राष्ट्रवादी न बन सका, वह कभी अन्तर्राष्ट्रवादी भी न बन सकेगा। बहस के लिए हम थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि अंग्रेजी एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है तो हमारा प्रश्न यह होगा कि विदेशी परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय भाषा होने के कारण हमने अंग्रेजी को ग्रहण करना ही है तो हमें बताया जाए कि क्यों विदेशी परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय शासकों (=अंग्रेज़ों) को हमने अपने देश से निकाला था? उनके राज्य में तो सूर्य कभी न डूबता था अर्थात् उनका शासन संसार में बहुत अधिक देशों पर चलता था। वे तो अन्तराष्ट्रीय शासक थे।

इस सम्बन्ध में एक पूर्व सांसद श्रीमती सरोजनी महिषी का प्रसंग यहाँ उद्धृत करना मुझे उचित प्रतीत हो रहा है। एक बार उनसे एक व्यक्ति ने यह पूछा था- ''आप अंग्रेजी में भाषण क्यों नहीं देतीं? यह तो एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है। आपकी मातृभाषा कन्नड़ है। फिर भी आप हिन्दी में ही क्यों बोलती हैं?'' उत्तर में उन्होंने कहा था- ''मैं भारत माता की बेटी हूँ तथा हिन्दी इसी माँ की भाषा है। अंग्रेज़ी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा नहीं है। यदि है तो भी मैं इसका प्रयोग नहीं करूँगी क्योंकि मेरी माँ चाहे कितनी भी निर्धन, अशक्य, असमर्थ, लूली व लंगड़ी क्यों न हो, मैं उसकी उपेक्षा नहीं कर सकती।''

स्वाभिमान व राष्ट्रीय प्रेम का यह अत्युत्तम आदर्श है। एक विदेशी भाषा के मानसिक दासों की इससे शिक्षा लेनी चाहिए।

हिन्दी १४ सितम्बर १९४९ को राष्ट्रभाषा के रूप में जब मान्यता प्राप्त कर पाई थी तो उसका मुख्य कारण था- उस समय का प्रबलतम् रूप से प्रचण्ड जन समर्थन। उस समय अंग्रेजी को त्यागने व हिन्दी को स्वेच्छा से अपनाने को सम्पूर्ण राष्ट्र तैयार था। इस समर्थन को तैयार करने में अहिन्दी भाषी महापुरुषों व राष्ट्रभक्तों का पुरुषार्थ मुख्य कारण था। गुजराती मातृभाषी महर्षि दयानन्द सरस्वती व महात्मा गान्धी, मराठी मातृभाषी काका कालेकर व बाल गंगाधर तिलक, पंजाबी मातृभाषी स्वामी श्रद्धानन्द, बंगला मातृभाषी केशवचन्द्र सेन, सुभाषचन्द्र बोस व रविन्द्रनाथ टैगोर, तमिलनाडू के सुब्रह्मण्यम भारती, कर्णाटक के भालचन्द्र शेट्टी व केरल के डॉ. एम.जी.के. मेनन व शंकर करूप आदि अनेक अहिन्दी राष्ट्रभक्तों ने हिन्दी की राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकार किया व इसका यशोगान किया है। संविधान निर्मात्री सभा में जब राष्ट्र भाषा का निर्णय करने का अवसर आया तो हिन्दी का प्रस्ताव अनन्त शयम् अयंगार ने तथा इसका समर्थन हरे कृष्णा मेहताब (ओडिशा निवासी) ने किया था। राजगोपालाचार्य सन् १९३६ ई. में जब मद्रास (=वर्तमान तमिलनाडू) के मुख्यमन्त्री बने तो उन्होंने वहाँ हिन्दी की पढ़ाई अनिवार्य कर दी थी। ऐसे और भी तथ्य हैं जो अहिन्दी भाषियों द्वारा हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन करने के अभियान में उनके

योगदान के प्रमाण हैं परन्तु संविधान द्वारा आश्वस्त होने पर भी हिन्दी पूरे राष्ट्र की राजभाषा क्यों न बन पाई?

मेरे विचार में इसके दो कारण मुख्य हैं। एक हिन्दी भाषियों की निष्क्रियता व राष्ट्रविरोधी शक्तियों का दुष्चक्र। डॉ. रघुवीर व मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के मध्य एक संवाद का वर्णन इस लेख में किया जा चुका है। एक दूसरी घटना भी उद्धृत करना अपेक्षित है। जब राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी के अनुमोदन का प्रश्न रखा गया था तो तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था– ''भारत के सभी संसद सदस्य अपने–अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अत: उन्हें पुन:–पुन: राष्ट्रभाषा के विषय में विचार करके ही समर्थन करना होगा अन्यथा भविष्य में उनकी मातृ भाषा का प्रश्न भी महत्त्वपूर्ण होने पर मान्य न हो सकेगा।'' यह अहिन्दी भाषी प्रान्तों को हिन्दी के विरुद्ध खड़ा करने का अप्रत्यक्ष व गुप्त संकेत था। इन्हीं नेहरू जी ने कालान्तर में यह भी कहा था– ''हिन्दी किसी पर थोपी न जाएगी। जब तक एक भी राज्य हिन्दी का विरोध करेगा, अंग्रेजी चलती रहेगी।'' उनका चाह कथन सदैव के लिए हिन्दी विरोध का प्रमुख अस्त्र बन गया है। तब हिन्दी–विरोध का एक भी स्वर भारत में सुनाई न पड़ रहा था। सभी के मन में हिन्दी के प्रति विश्वास व निष्ठा थी। दु:खद आश्चर्य तो यह रहा कि तब संसद के अत्यधिक बहुमत पक्षीय हिन्दी मातृभाषी व अहिन्दी भाषी हिन्दी समर्थक वर्ग ने प्रधानमन्त्री से यह नहीं पूछा कि आपकी घोषणा के अनुसार हिन्दी तो किसी पर थोपी न जाएगी किन्तु राष्ट्रभाषा हिन्दी के स्थान पर पूरे देश पर विदेशियों द्वारा थोपी उनकी भाषा अंग्रेजी स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भी क्यों थोपी जाती रहेगी?

सन् १९६५ ई. का वर्ष जब आने वाला था, तब हिन्दी का राज्याभिषेक होना था क्योंकि संविधान में यह वचन दिया गया था कि १५ वर्षों के पश्चात् हिन्दी राजभाषा के रूप में अपनाई जाएगी। वनवास काल पूरा होने से एक वर्ष पूर्व ही संविधान में परिवर्तन करके घोषणा कर दी गई कि अंग्रेजी तब तक द्वितीय राजभाषा के रूप में जारी रहेगी जब तक सभी राज्यों की विधान सभाएँ व संसद के दोनों सदन हिन्दी को पूर्णत: लागू करने के प्रस्ताव पारित नहीं करेंगे। यह कैसा लोकतन्त्र है जिसमें सर्वसम्मति से राजभाषा का निर्णय करने की परम्परा आरम्भ की गई थी? इस प्रस्ताव को पारित कराने वालों से यह बात पूछने का जनता को पूर्ण अधिकार है कि देश का कोई एक भी प्रधानन्त्री निर्वाचित होने से पूर्व क्या सभी विधानसभाओं व संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित किए गए थे या केवल लोकसभा में बहुमत के नेता होने के कारण ही उन्हें निर्वाचित किया गया है? लोकतन्त्र में सर्वसम्मति से निर्णय करने का नियम हिन्दी पर ही क्यों लागू किया गया?

इस अपराध के लिए हिन्दी प्रान्तों के नेता अधिक दोषी हैं जो निष्क्रिय व मौन रहे। पूर्वोक्त संशोधन केन्द्र सरकार पर लागू होता है। हिन्दी भाषी प्रान्त व उनकी जनसंख्या देश का लगभग ५० प्रतिशत भाग है। यदि ये पूरी निष्ठा तथा दृढ़ सक्रियता से अपने यहाँ निम्नलिखित व्यवस्था कर लेते तो अंग्रेजी का देश पर स्थापित साम्राज्य स्वत: ढीला होता जाता:–

१. अपने यहाँ सम्पूर्ण राजकाल हिन्दी में शुरू करते।

२. केन्द्र व सभी प्रान्तों से सम्पूर्ण पत्राचार हिन्दी में आरम्भ करते।

३. हिन्दी एक प्रादेशिक तथा संस्कृत भाषा की पढ़ाई अनिवार्य की जाती। पढ़ाई का माध्यम हिन्दी ही होता।

४. अपने प्रान्तों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त करके अंग्रेजी, फ्रैंच, चीनी या जर्मनी आदि भाषाओं में से किसी एक विदेशी भाषा की पढ़ाई वैकल्पिक की जाती।

हिन्दी प्रान्त यदि ऐसी व्यवस्था कर लेते तो इससे सभी अहिन्दी भाषी प्रान्तों तथा केन्द्र को हिन्दी का महत्त्व, लाभ व अनिवार्य प्रबन्ध करना अनुभव होता। उन्हें विश्वास हो जाता कि हिन्दी को आधे देश ने जब अपना लिया तो इसके बिना हम लगभग आधे देश से विमुख हो जाएंगे। वे भी हिन्दी को पूर्णत: अपना लेते। अंग्रेजी न हिन्दी भाषियों ने त्यागी, न ही अहिन्दी भाषियों ने हटाई। हिन्दी प्रान्तों की तरह अहिन्दी प्रान्तों को भी इस कार्य में एक समयबद्ध कार्य योजना बनानी चाहिए थी:–

१. बच्चों की पढ़ाई का माध्यम मातृ भाषा ही हो। हिन्दी व संस्कृत अनिवार्यत: दूसरी व तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाई जातीं।

२. फ्रैंच, जापानी, अंग्रेजी, चीनी तथा जर्मनी आदि में से कोई एक विदेशी भाषा का ज्ञान वैकल्पिक उच्च श्रेणी व्यवस्थित होता, न कि अंग्रेजी की ही अनिवार्य पढ़ाई कराई जाती।

३. अहिन्दी प्रान्तीय सरकारें अपना समस्त राजकाज अपनी प्रान्तीय भाषा में करतीं परन्तु हिन्दी प्रान्तों की सरकारों व केन्द्र सरकार से पत्राचार हेतु केवल हिन्दी को ही माध्यम बनातीं।

हिन्दी प्रान्तों ने ही जब हिन्दी, संस्कृत व अहिन्दी प्रान्तीय भाषाओं को ईमानदार निष्ठा तथा समर्पित दृढ़ सक्रियता से नहीं ग्रहण किया तो अहिन्दी प्रान्तों से कैसी शिकायत?

मनुष्य को अधिक से अधिक भाषाएँ पढ़नी चाहिए,

इसका विरोध हम नहीं करते परन्तु किसी भाषा को सब पर थोपना मानवता व लोकतन्त्र के किसी मानदण्ड की माँग नहीं। दार्शनिक विद्वान् पं. गंगा प्रसाद उपाध्याय, सुप्रसिद्ध हिन्दी कवि हरिवंशराय बच्चन आदि ने अंग्रेजी साहित्य की कई रचनाओं का अनुवाद हिन्दी में किया था तथा भारत के हिन्दी पाठकों ने अंग्रेजी के रचनाकारों बर्नाड शॉ, शेक्सपीयर, कीट्स व बर्डस्वर्थ आदि की साहित्यिक कृतियों का आनन्द भी लिया। विदेशी भाषा की रचनाओं का साहित्यिक स्तर पर स्वाद लेना असंगत नहीं परन्तु मातृभाषा व राष्ट्रभाषा की उपेक्षा व त्याग करके दैनिक जीवन के प्रत्येक स्तर पर विदेशी भाषा, वह भी विदेशी आक्रान्ताओं द्वारा थोपी गई भाषा को गले लगाए रखना स्वाभिमान, राष्ट्रीय एकता व सद्भावना के मान्य मानदण्डों के सर्वथा प्रतिकूल है। मातृभाषा में दी गई शिक्षा बालक के लिए सहज ही ग्राह्य होती है। दूर देश की भाषा का मानसिक बोझ हमारे देशवासियों ने उन्नति के साधन के रूप में स्वीकार कर लिया है तथा यह देश अंग्रेजी बिना अब नहीं जी सकेगा, यदि इस कथन की परीक्षा लेनी हो तो तुरन्त अंग्रेजी की हर स्तर पर अनिवार्यता समाप्त करके देखिएगा, हर स्तर पर मातृभाषा, राष्ट्रभाषा या अंग्रेजी में से किसी एक भाषा को चुनने का लोकतान्त्रिक व राष्ट्रीय अधिकार प्रजा को देकर परीक्षण करिएगा। अंग्रेज़ी को पाँच प्रतिशत लोग भी नहीं अपनाएंगे- शर्त यह है कि जितना समय व जितने साधन व उपाय अंग्रेजी की शोषणकारी जड़ें जमाने के लिए प्रयोग किए गए हैं, उनके पाँच प्रतिशत भाग का प्रयोग मातृभाषाओं व राष्ट्रभाषा के प्रयोग हेतु ईमानदारी से किया जाए। आवश्यकता है, सभी भारतीय भाषाओं के लेखक, समाजशास्त्री व राष्ट्रचिन्तक मिलकर राजनेताओं से स्पष्ट कह दें कि भाषा के विषय में निर्णय लेने का अधिकार भाषा-शास्त्रियों का है, तुम्हें नहीं है क्योंकि राजनेता तो कोई भी निर्णय तो अपने-अपने वोट-बैंक के आधार पर ही करते हैं।

- चूना भट्ठियाँ, सिटी सैन्टर के निकट,
यमुनानगर-१३५००१ (हरियाणा)

ईश्वर भी आज कैद है

- हीरालाल आर्य

वेदों ने जिसका
उल्लेख किया।
ऋषियों ने गाया जिसको।
वह निराकार
सर्वशक्तिमान्
अजर
अमर
और सृष्टि रचियता है।
ऐसे परम ब्रह्म को
इस धरती के
मानव ने-
मन्दिरों
गिरजाघरों
मस्जिदों और गुरुद्वारों में
सीमित किया है।
मत-मतान्तरों के
जाल ने
साम्प्रदायिक विद्वेष ने
ईश्वर के नाम
छेड़ा घोर संग्राम है।

आज धरती
अशान्त है
क्लान्त है
नृशंस हत्याएँ
आये दिन होती है।
मानव के खून से सने हाथ
क्रूर कृत्य के लिए
उद्यत है।
मानव का राक्षस-रूप
आज साकार है।
क्योंकि वह भय रहित है
इस सभ्यता और विकास
के युग में।
इसलिए
हे, ईश्वर-पुत्र!
हे, मानव!
तेरे स्वच्छन्द राज्य में
ईश्वर भी आज कैद है।
अत: वह लाचार है।

नई आबादी, कुण्ड गेट,
शाहपुरा, जि. भीलवाड़ा, (राज)

योगविद्या के बिना कोई भी मनुष्य पूर्ण विद्यावान् नहीं हो सकता और न पूर्णविद्या के बिना अपने स्वरूप और परमात्मा का ज्ञान कभी होता है।

-महर्षि दयानन्द, यजुर्वेद, भावार्थ ७.२८

सब विद्वान् और विदुषी स्त्रियों की योग्यता है कि समस्त बालक और कन्याओं के लिये निरन्तर विद्यादान करें।

-महर्षि दयानन्द, यजुर्वेद, भावार्थ ७.३३

अतिथि यज्ञ के होता बनें

महर्षि दयानन्द सरस्वती की उत्तराधिकारिणी परोपकारिणी सभा आर्य जगत् की एक मात्र ऐसी संस्था है जो सामूहिक सहयोग से ऋषि द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कृत संकल्प है।

सभा निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। निरंतर अबाध गति से ऋषि उद्यान को आकर्षक एवं जन उपयोगी बनाने हेतु नव निर्माण करा रही है, वेद प्रचार पूरे देश में संचालित कर रही है, वेदों का एवं ऋषि ग्रंथों का प्रकाशन निरंतर जारी है।

प्रातः एवं सायं दैनिक यज्ञ– प्रवचन, वेद-पाठ, उपनिषद्, दर्शनादि शास्त्रों की कथा द्वारा वैदिक धर्म का कार्य नियमित रूप से आश्रम में चलता है। ***गुरुकुल***– आर्ष पद्धति से संचालित गुरुकुल में पढ़ रहे ब्रह्मचारी जो साधना एवं समाज सुधार का लक्ष्य लेकर अध्ययनरत हैं उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नि:शुल्क की जाती है। ***अतिथि सेवा***– अतिथियों को यथोचित सुविधा प्रदान करने हेतु सभा पूर्ण रूपेण प्रयासरत है एवं सभी सुविधाएँ आवास, प्रातराश, भोजन की व्यवस्था नि:शुल्क की जाती है। ***गोशाला***– गोशाला में चालीस के लगभग पशु हैं। इससे अधिक का स्थान नहीं है। आश्रमवासियों को गोशाला में उत्पादित दुग्ध का नि:शुल्क वितरण किया जाता है। ***वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम***– वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम में रहकर साधनारत वानप्रस्थियों एवं संन्यासियों की सभी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति सभा द्वारा नि:शुल्क की जाती है। स्वाध्याय एवं साधना की व्यवस्था है। ***विशाल पुस्तकालय***– इसमें दुर्लभ ग्रंथों का संग्रह है, सभा द्वारा शोध कर्ता छात्रों को शोध कार्य हेतु ग्रंथ नि:शुल्क प्रदान किए जाते हैं जिनका लाभ स्वाध्यायशील व्यक्ति भी उठा सकते हैं। ***व्यायामशाला***– योग्य शिक्षक द्वारा नगर के युवाओं को ऋषि उद्यान में नि:शुल्क व्यायाम प्रशिक्षण दिया जाता है। सभा द्वारा नियुक्त व्यायाम शिक्षक आसपास के गांवों से भी आर्यवीर दल का प्रशिक्षण शिविरों में प्रदान करते हैं।

ये सभी क्रियाकलाप आपके पावन उदार सहयोग से ही संभव हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि सभा का आधार ही आकाशीय दानवृत्ति है। आपको प्रतिदिन अतिथि मिलना संभव नहीं फिर अतिथि यज्ञ कैसे किया जाय इसका उपाय है, कुछ राशि प्रतिदिन अतिथि यज्ञ के नाम से निकाल ली जाये और उसको एकत्र कर अतिथि सत्कार में गुरुकुल में भोजन आदि के सहयोग में दे दी जाय।

सभा के धार्मिक क्रियाकलापों एवं आवासीय स्थल ऋषि उद्यान में उपर्युत पावन क्रियाकलाप लम्बे समय तक अबाध चलते रहें इसके लिए सभा की योजना है कि प्रतिदिन १० रुपये अथवा प्रतिवर्ष ५ हजार की राशि प्रदान करने वाले उदार यशस्वी दानदाताओं का नाम अतिथि यज्ञ के स्थायी सदस्यों में अंकित किया जाता है ऐसे सज्जनों के नाम का परोपकारी में प्रकाशन भी किया जाता है।

अनेक 'अतिथि यज्ञ के होता' सदस्यों का आग्रह है, निश्चित तिथि जन्मदिन, विवाह वर्ष गांठ या विशेष अवसर पर वे अपनी ओर से संस्था में भोजन कराना चाहते हैं। ऐसे महानुभावों से निवेदन है कि वे अतिथि यज्ञ के होता के रूप में एक दिन के भोजन व्यय की राशि पाँच हजार एक सौ रुपये भेजते हुए इच्छित दिन का विवरण सूचित करेंगे तो उसका उल्लेख आश्रम के सूचना पट्ट पर किया जा सकेगा।

यह अल्प राशि आप दैनिक संचय घट में जमा भी कर सकते हैं, वर्ष में लोग अरबों रुपए आग में पटाके फोड़कर जलाते हैं असावधानी से बिजली जलती छोड़ इसे गंवा देते हैं आदि ऐसी छोटी-छोटी असावधानियों को रोक कर हम उसकी बचत राशि इस पावन कृत्य हेतु सभा को वर्ष में आसानी से दे सकते हैं।

सभा शिविरों के आयोजन द्वारा जन सामान्य को ऋषियों की जीवन प्रणाली सिखा रही है। आप इस योजना में स्थायी सदस्य बनकर ऋषि का संकल्प *संसार का उपकार* की पूर्ति में एक स्तम्भ बनकर सभा को सम्बल प्रदान कर सकते हैं।

यदि अपने सामर्थ्य के अनुसार राशि को न्यूनाधिक करना चाहें तो आपकी स्वतन्त्रता है अधिक से अधिक लोग परोपकारिणी सभा से जुड़ सकें, आप ऐसा करके ऋषि दयानन्द के कार्यों को आगे बढ़ाने में सहायक होंगे इसलिए ऐसी राशि निश्चित की है। आप से प्रार्थना है अपना नाम पता और संकल्प लिखकर अवगत करायें और अतिथि यज्ञ के होता बनें। अपनी राशि प्रतिमाह अथवा सुविधानुसार मनीआर्डर/डीडी/चैक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थिति होकर कार्यालय में जमा करा सकते हैं। आपका दान ८०जी (आयकर की धारा) के अंतर्गत कर मुक्त होगा।

अत: आपसे निवेदन है कि आप भी अतिथि यज्ञ के होता बनिये। जिन महानुभावों ने हमारा निवेदन स्वीकार कर यज्ञ में अपनी आहुति दी है, उनके नाम यहाँ प्रकाशित किये जा रहे हैं।

अतिथि यज्ञ के होता

(१६ से ३१ दिसम्बर २०१३ तक)

१. श्री मुमुक्षु मुनि, अजमेर, २. श्री जगदीश प्रसाद, गिरदोदा, म.प्र., ३. श्री सुरेन्द्रसिंह आर्य, मुजफ्फरनगर, उ.प्र., ४. श्री विजयसिंह गहलोत, अजमेर, ५. श्री ब्रह्ममुनि वानप्रस्थी, अजमेर, ६. श्रीमती मेहता माता, अजमेर, ७. श्रीमती ऊषा बंसल, अजमेर, ८. श्री जगदीश प्रसाद, जोधपुर, राजस्थान, ९. डॉ. दिनेश, गाजियाबाद, उ.प्र., १०. श्री राजकुमार मलिक, गाजियाबाद, उ.प्र., ११. श्रीमती कमला देवी पंचोली, अजमेर, १२. श्री विनय कुमार झा, जयपुर, राजस्थान, १३. श्री नानूराम गुप्ता, झालावाड़, राजस्थान, १४. श्री राज मिश्रा, ज्वालापुर आश्रम, हरिद्वार, १५. स्वामी जगराम पुरी, बाड़मेर, राजस्थान, १६. श्री देशराज, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, १७. स्वास्तिकामः चैरिटेबल ट्रस्ट, अमरावती, महाराष्ट्र, १८. श्री रंजन हाण्डा, नई दिल्ली।

-परोपकारिणी सभा, अजमेर।

गौभक्तों से निवेदन

ऋषि उद्यान में परमार्थ हेतु गौशाला संचालित है। गौशाला में उत्पादित गौवों के दूध का वितरण सभी गुरुकुलवासियों, संन्यासियों एवं आगत अतिथियों को निःशुल्क किया जाता है। आप सभी गौ-भक्तों एवं उदारमना दानदाताओं से सभा का निवेदन है कि गौओं को उत्तम चारा मिले इसके लिए जो भी सज्जन चारा दान देना चाहें, उनका स्वागत है। यदि आप दूरस्थ प्रदेश के हैं तो कृपया चारे हेतु अनुमानित राशि सभा को ड्राफ्ट/चेक/नगद भेज सकते हैं। यशस्वी दानदाताओं के नाम परोपकारी पत्रिका में प्रकाशित किए जाएंगे। आपका दान गौवों के संवर्धन में सहायक होगा।

ऋषि उद्यान में संचालित गौशाला के दानदाता

(१६ से ३१ दिसम्बर २०१३ तक)

१. कै. चन्द्रप्रकाश व कमलेश त्यागी, रुड़की, उत्तराखण्ड, २. श्री आनन्द मुनि, हिसार, हरियाणा, ३. श्री महेश, अजमेर, ४. श्री जानकीलाल शर्मा, अजमेर ५. श्रीमती पद्मा शर्मा, अजमेर, ६. श्रीमती चन्द्रकान्ता कमल जोशी, अजमेर, ७. श्री जितेन्द्र, अजमेर ८. श्री विजयसिंह गहलोत, अजमेर, ९. श्री नन्दकिशोर, अजमेर, १०. श्रीमती उषा बंसल, अजमेर, ११. श्री अक्षय चौहान, अजमेर, १२. श्रीमती सरला देवी, जयपुर केन्ट, राजस्थान, १३. श्रीमती प्रेमलता शर्मा, अजमेर, १४. श्री कालूराम हलवाई, ब्यावर, राजस्थान, १५. श्री राजेन्द्र, पाली, राजस्थान, १६. श्रीमती अनुजा सिंघवी, मुम्बई, महाराष्ट्र, १७. श्रीमती अनुराधा चौहान, मुम्बई, महाराष्ट्र, १८. श्री मयंक कुमार, अजमेर, १९. श्री निरंजन सोनी, श्रीमाधोपुर, राजस्थान, २०. श्री राधेश्याम शर्मा, अजमेर, २१. श्री कैलाश धाकड़, उज्जैन, म.प्र., २२. श्री नानूराम गुप्ता, झालावाड़, राजस्थान, २३. श्री विजयकुमार भण्डारी, करनाल, हरियाणा, २४. श्री महेशचन्द मालू, ब्यावर, राजस्थान, २५. श्री गोपाल रामपाल भण्डारी, जोधपुर, राजस्थान, २६. श्री विनय कुमार झा, जयपुर, राजस्थान, २७. श्री केदारनाथ भार्गव, अजमेर, २८. श्रीमती मीना देवी अग्रवाल, अजमेर, २९. श्री अमित अग्रवाल, अजमेर, ३०. श्रीमती सपना आर्या, सुजानगढ़, राजस्थान, ३१. श्रीमती प्रेमवती आर्या, अजमेर, ३२. श्रीमती शकुन्तला देवी, दिल्ली, ३३. श्री शशी भूषण मल्होत्रा, दिल्ली, ३४. श्री दिनेश जोशी, अजमेर, ३५. श्री आलोक माथुर, गुड़गाँव, हरियाणा, ३६. श्री अनुराग शर्मा, अजमेर, ३७. श्री विपिन कीर्ति लखोटिया, बैंगलूर, कर्नाटक, ३८. श्री प्रशान्त शर्मा, अजमेर।

-परोपकारिणी सभा, अजमेर।

गुरुकुल दान

(१ दिसम्बर से ३१ दिसम्बर २०१३ तक)

१. श्री सुभाष स्वामी, अजमेर, २. श्रीमती अरुणा पारीक, अजमेर, ३. श्री महेन्द्र, गान्धीनगर, गुजरात, ४. श्री लक्ष्मण भाई, गान्धी नगर, गुजरात, ५. श्री गमनभाई लालजीभाई पटेल, गान्धीनगर, गुजरात, ६. श्री दिपेश भार्गव, अजमेर, ७. श्री पंकज कुमार गर्ग, कोलकाता, ८. श्री विरदीचन्द गुप्ता, जयपुर, राजस्थान, ९. श्री मोहनलाल, जयपुर, राजस्थान, १०. श्री राजश्री शर्मा, जयपुर, राजस्थान, ११. श्री मोहनलाल, जोधपुर, राजस्थान, १२. आचार्य सत्येन्द्र, अजमेर, १३. श्री महेशचन्द गुप्ता, देहरादून, १४. श्री महेन्द्र प्रताप, जयपुर केन्ट, राजस्थान, १५. ब्र. सोमेश, अजमेर, १६. श्रीमती रश्मि सुनिल विज, जालन्धर केन्ट, पंजाब, १७. श्री राधेश्याम शर्मा, अजमेर, १८. श्री विजय वशिष्ठ, सिंगापुर, १९. श्री आलोक माथुर, गुड़गाँव, हरियाणा, २०. श्री प्रवीण माथुर, अजमेर, २१. श्री जगदीश मल्होत्रा, जालन्धर, पंजाब।

–परोपकारिणी सभा, अजमेर।

दान

(१ अप्रैल से ३१ दिसम्बर २०१३ तक)

१. श्री संजय विरमानी, लुधियाना, पंजाब, २. रामप्यारी दिवानचन्द साधना ट्रस्ट, बैंगलूर, कर्नाटक, ३. श्री यशवान बन्देवार, छिन्दवाड़ा, म.प्र., ४. श्री उदयनाथ प्रधान, ओडिशा, ५. श्री के.बी. राय, दिल्ली, ६. श्रीमती आशा वर्मा, नई दिल्ली, ७. श्री दत्ताचार्य, आगरा, उ.प्र., ८. श्री ब्रह्मप्रकाश लाहौटी, सुजानगढ़, राजस्थान, ९. श्री हरपालसिंह, रेवाड़ी, हरियाणा, १०. डॉ. वेदप्रकाश, उदयपुर, राजस्थान, ११. श्री वेदप्रकाश आर्य, हिसार, हरियाणा, १२. श्री सहदेव बेधड़क, बागपत, उ.प्र., १३. श्री राकेश गिरी, अलीगढ़, उ.प्र., १४. सुश्री मधु, अजमेर, १५. श्री प्रकाशनील राठी, अजमेर, १६. श्री रमेश मुनि, अजमेर, १७. श्री रणधीर, कानपुर, १८. श्री बलवीर सिंह बत्रा, नई दिल्ली, १९. श्री वेद वसु, दिल्ली, २०. श्री सोहनलाल बंजारा, २१. डॉ. सुनील कुमार वैदिक, अजमेर, २२. श्रीमती तारवन्ती कोहली, दिल्ली, २३. मन्त्री आर्यसमाज, नासिक, २४. श्री भँवरलाल शर्मा, किशनगढ़, राजस्थान, २५. श्री सत्यनारायण शर्मा, किशनगढ़, राजस्थान, २६. श्री राम माधव गुप्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, २७. श्री श्याम गुप्ता, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, २८. श्री दयानन्द स्वामी, हैदराबाद, २९. श्रीमती भारती गुप्ता, अजमेर, ३०. श्री मनोज चौहान, अजमेर, ३१. श्रीमती निर्मला महेन्द्रा, नई दिल्ली, ३२. श्रीमती उर्मिला पोपली, नई दिल्ली, ३३. श्री गोपालकृष्ण, बैंगलूर, ३४. सरस्वती गौशाला, रेवाड़ी, हरियाणा, ३५. श्री कन्हैयालाल आर्य, गुड़गाँव, हरियाणा, ३६. श्री सम्मोद मित्र वेदालंकार, कौशाम्बी, उ.प्र., ३७. श्री वेदकुमार, गुड़गाँव, हरियाणा, ३८. श्री एम.एल. गोयल, अजमेर, ३९. श्री धरनाराम, हरियाणा, ४०. श्री देवकरण आर्य, सुरेती, हरियाणा, ४१. श्री पवन कुमार पुत्र रामकिशोर, ४२. आर्यसमाज बिगोद, राजस्थान, ४३. श्रीमती अनीता शर्मा, अलीगढ़, उ.प्र., ४४. श्री सुरेन्द्र आर्य, सहारनपुर, उ.प्र., ४५. श्री आशाराम आर्य साहू, छोटी सादड़ी, राजस्थान, ४६. श्री ईश्वरसिंह जांगिड़, मोहनपुर, हरियाणा, ४७. आर्यसमाज फतेहाबाद, हरियाणा, ४८. श्री हीरालाल आर्य, लाडनू, राजस्थान, ४९. श्री रामगोपाल, अजमेर, ५०. श्री राजेन्द्र प्रसाद तँवर, अजमेर, ५१. श्री अमरचन्द मंगल, अजमेर, ५२. श्रीमती नर्मदा देवी, पालु, ५३. श्री श्रवणसिंह आर्य, नागौर, राजस्थान, ५४. श्रीमती मनिषा नयनकुमार आचार्य, बीड़, महाराष्ट्र, ५५. श्री विजय सिंह मलिक, बेदल, हरियाणा, ५६. श्री मनीष सोनी, जयपुर, राजस्थान, ५७. श्री घनश्याम आर्य, पाली मारवाड़, राजस्थान, ५८. श्री जतनचन्द्र, अजमेर, ५९. श्री नन्दकिशोर, अजमेर।

–परोपकारिणी सभा, अजमेर।

अन्याय का सामना

- सुकामा आर्या

न खुशी से हो खुशी, न ग़म से हो ग़म का एहसास,
ऐसी भी कोई तदबीर, ए दिल कर दी जाए।

जीवन में कई क्षण ऐसे आते हैं, जब हमें कटुता, घृणा व सख्त व्यवहार का सामना करना पड़ता है। तब हृदय व्यथित हो जाता है, तेज़ तर्रार शब्द सीना बेध देते हैं, आंसु आते हैं, मन खिन्न हो जाता है। ऐसी स्थितियों में क्या किया जाए?

थोड़े समय के लिए एकान्त में जाकर आँख मूँद कर विचार करें कि 'स्थिति ऐसी थी' 'ये ऐसा हुआ' ये एक सत्य हो गया। चूंकि वो बात बीत गई- सो भूतकाल की बात हो गई, अब तो उसका अभाव है। उस अभाव के पीछे जो हमारे सामने वर्तमान है- जो भाव में है, उसको क्यों व्यर्थ किया जाए? किसी ने बुरा किया- तो किया। किसी ने बुरा बोला-तो बोला। उसके खाते में उसकी बुराई ज़मा हो गई है। हम ईश्वर को न्यायकारी मानते हैं। हमने प्रतिक्रिया नहीं की- शान्त रहे तो यह हमारी अच्छाई हो गई।

हम ये भली भाँति समझ लें कि हम दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को नियन्त्रित नहीं कर सकते। अगर हम किसी के घर में मेहमान बन कर गए हैं तो हम ज्यादा किसी विषय में हस्तक्षेप नहीं करते क्योंकि हमें पता होता है कि हमें आज या कल चले जाना है। हम सामञ्जस्य बिठा लेते हैं।

अब इसी विचार को विस्तृत करें। दुनिया ईश्वर ने बनाई, मनुष्य-शरीर ईश्वर ने बनाए, व्यवस्थाएँ उसकी हैं, प्रबन्धन उसका है, हम इस को स्वीकार करते हैं। हम तो अकिंचन हैं। इतनी बड़ी कायनात में हमारी औकात ही क्या है? हमें तो बस कर्म करने की स्वतन्त्रता है। तभी तो कहा जाता है-

तेरे अहकाम से दुनिया, मेरे आमाल से महशर,
यहाँ मेरी वहाँ तेरी खुशी से कुछ नहीं होता।

इसलिए हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में विचलित नहीं होना चाहिए। 'जो बीत गई सो बीत गई' हर काली रात की सुबह होती है। जीवन तो हमें स्वयं जीना है। सामञ्जस्य हमें ही बिठाना है। कार्य करेंगे, समाज में रहेंगे तो प्रतिक्रियाएँ तो होंगी ही, आक्षेप तो उठेंगे ही। लोग बाधाएँ भी खड़ी करेंगे। हमें अपनी योग्यता को, सामर्थ्य को बढ़ाना है।

बाधाएँ कब बाँध सकी हैं, आगे बढ़ने वालों को,
विपदाएँ कब रोक सकी हैं, मर कर जीने वालों को।

किसी संस्था में, परिवार में, कार्यालय में शत् प्रतिशत् परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल तो हो ही नहीं सकती हैं। हम सबके विचार, धारणाएँ, विश्वास, मान्यताएँ अलग-अलग हैं, सो व्यवहार और जीवन के प्रति नज़रियाँ भी अलग - अलग हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी एक छटी-छटाई मानसिकता और अपनी उम्मीदों के दायरे को विस्तृत करें। ये हमारे मानसिक सन्तुलन के लिए अत्यावश्यक है, नहीं तो हम कोल्हू के बैल की तरह उसी एक घटना या परिस्थिति के इर्द-गिर्द चक्कर काटते रहेंगे। अपने श्रम, समय, ऊर्जा व शान्ति की हानि कर बैठेंगे।

प्रयोगात्मक रूप से देखें- तो ऐसे निकट क्षणों के बाद एकान्त में, आँखें मूँद कर स्थिर होकर बैठें। अपने मस्तिष्क में उस सारी घटना को, दृश्य को सामने लाएँ जो आपको कष्टप्रद महसूस हुई हो। ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए, ईश्वर को सर्वज्ञ, न्यायकारी महसूस करते हुए उस घटना को अपने जीवन से दूर होता हुआ अनुभव करें। ईश्वर समर्पण करें। इस प्रक्रिया को बार-बार दोहराएँ जब तक वो घटना, दृश्य आपके मस्तिष्क से पूरी तरह समाप्त न हो जाए। ऐसा करके हम अपने मन को शान्त व सन्तुलित कर पाएंगे।

जब दो बच्चे घर में रहते हैं- एक झगड़ा करता है तो दूसरा जहाँ तक सम्भव होता है शान्त रहता है, जवाब तो देता है पर वो क्या मानता है कि शाम को पिता जी घर आएंगे तो उनको बताऊँगा। उसे विश्वास होता है कि पिता जी बड़े हैं, समझदार हैं, वो सही निर्णय करेंगे। दोषी को दण्ड देंगे।

अब इस बात को ईश्वर पर घटा कर देखें- वो हमारा परम पिता है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान् है, न्यायकारी है, क्या हम अपने जीवन में होने वाले अन्याय, दुर्व्यवहार को ईश्वर के न्याय पर नहीं छोड़ सकते? यथासम्भव हमें प्रतिकार करना चाहिए परन्तु अन्ततोगत्वा हमें अपने मानसिक सन्तुलन के लिए ऐसी घटनाओं को ईश्वर पर छोड़ना ही पड़ता है। सो जितना हम ईश्वर के शुद्ध स्वरूप को गहराई से समझेंगे, उतनी ही हमारी अन्याय के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी।

यहाँ एक दूसरा पहलू यह आता है कि हमें स्वयं अच्छा, सदाचारी, धार्मिक व ईश्वर की आज्ञाओं के अनुरूप बनना होता है। शरारती बच्चे का माता-पिता को पता होता

है। वे बिना बताए भी अंदाजा लगा लेते हैं कि शरारत किसने की होगी? उसी प्रकार अगर हम ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन यापन कर रहे हैं तो हमें यह विश्वास रहना चाहिए कि वह ईश्वर हमें ज्यों का त्यों - यथावत् जानता है, पहचानता है- वहाँ कोई असामञ्जस्य की वजह से भ्रान्ति उत्पन्न होने की सम्भावना नहीं है और चूँकि वो सर्वशक्तिमान् है, सर्वज्ञ है, पक्षपात रहित है। मैं ऐसे ईश्वर का मानने वाला हूँ। तब ही हम आज के संघर्षयुक्त, तनावयुक्त, टूटते सम्बन्धों से उत्पन्न विषादयुक्त संसार में शान्ति, सन्तोष एवं सौम्यता से जीवन बसर कर सकते हैं। तब अन्यायकारी के प्रति कोई द्वेष भाव रह ही नहीं जाता है। क्योंकि वह मानता है कि-

नाक़ामियों की वजह, कोई और ढूँढ लूँ।
कैसे कहूँ कि आपने धोखा दिया मुझे।।

ऋषि उद्यान, पुष्कर मार्ग, अजमेर

पुस्तक - परिचय

पुस्तक का नाम - वातायन

लेखक - वीरेन्द्र गुप्त

प्रकाशक - वेद संस्थान, मण्डी चौक, मुरादाबाद

पृष्ठ संख्या - २८०, **मूल्य** - पठन-पाठन एवं स्वस्थ विचारों को ग्रहण करना

जीवन अमूल्य निधि है। इसको उत्तम बनाने का प्रयास होना चाहिए। अनेक कवियों व लेखकों ने अपने विचारों से प्रेरित किया है। घटनाएँ सच्ची एवं घटित हों, वह जीवन को मोड़ दे देती हैं। ऐसा गुप्त जी ने ११४ बिन्दुओं के द्वारा उभारा है, वह वास्तव में प्रेरणादायी व अनुकरणीय है। उदाहरण के लिए 'मार्जन' १०३ बिन्दुओं को सरलतम रूप में प्रस्तुत किया है। ब्रह्म यज्ञ में मार्जन मन्त्र आया है। हम प्रतिदिन उच्चारण करते हैं। ओ३म् भूः पुनातु शिरसि..... ओ३म् सत्यं पुनातु पुनः शिरसि.....। पैर व शिर का घनिष्ट सम्बन्ध है। पैर में लगने पर सिर प्रभावित होता है। पैर के तलुवों में घी का प्रयोग करने पर सिर शीतल हो जाता है। शरीर में उत्तरी ध्रुव शीश है और दक्षिणी ध्रुव पाद है। इस मन्त्र में पुनः रुक्ति नहीं है। विचार स्वस्थ एवं ग्रहण करने योग्य है। लेखक को साधुवाद। पाठक लाभान्वित हों।

- देवमुनि, ऋषि उद्यान, पुष्कर मार्ग, अजमेर

अकेला पुरुष यथोक्त राजशासन कर्म नहीं कर सकता इस कारण और श्रेष्ठ पुरुषों का सत्कार करके राज कार्य्यों में युक्त करे।

-महर्षि दयानन्द, यजुर्वेद, भावार्थ ७.३१

जो सब गुणों से उत्तम हो उसी को सभापति करें और वह सभापति भी उत्तम नीति से समस्त राज्य के प्रबन्धों को चलावे।

-महर्षि दयानन्द, यजुर्वेद, भावार्थ ७.३५

वेद-गोष्ठी वर्ष २०१३ के पुरस्कार हेतु निबन्ध आमन्त्रित हैं

मुनि स्थिर निधि की ओर से वेद-गोष्ठी में पढ़े जाने वाले निबन्धों को पुरस्कृत करने की योजना है। पुरस्कार राशि निम्न प्रकार निर्धारित है-

प्रथम पुरस्कार - ६१००.०० रु.

द्वितीय पुरस्कार - ४१००.०० रु.

तृतीय पुरस्कार - ३१००.०० रु.

तृतीय पुरस्कार नव लेखकों ३० वर्ष की आयु तक के लिए निश्चित किया गया है।

जिन विद्वानों ने इस वर्ष ऋषि मेले के अवसर पर सम्पन्न वेद-गोष्ठी में निबन्ध वाचन किया है। यदि वे अपने निबन्ध में संशोधन करने के इच्छुक हैं तो वे ३१ जनवरी २०१४ तक अपने संशोधित निबन्ध संयोजक वेद-गोष्ठी, परोपकारिणी सभा, अजमेर के पते पर भेज सकते हैं।

यदि कोई विद्वान् अभी तक अपना निबन्ध नहीं भेज पाये हैं वे भी ३१ जनवरी २०१४ तक इसी विषय पर निबन्ध लिखकर भेज सकते हैं।

पश्चात् निबन्ध चयन समिति को भेजे जायेंगे। उनका निर्णय अन्तिम और मान्य होगा। पुरस्कार ऋषि मेला समारोह में प्रदान किये जायेंगे।

वेद-गोष्ठी का विषय ''**वेद और सत्यार्थप्रकाश का १२वाँ समुल्लास**''

- संयोजक वेद-गोष्ठी

जिज्ञासा समाधान – ५५

-आचार्य सोमदेव

जिज्ञासा १- आदरणीय सम्पादक जी, सादर नमस्ते। मैं परोपकारी पत्रिका की प्रतीक्षा में सदैव रहती हूँ और समय से प्राप्त भी होती है। आपका सम्पादकीय लेख एवं अन्य विद्वानों के लेख बहुत ही ज्ञानवर्धक होते हैं। हमें सामाजिक जीवन में जीने की कला एवं ईश्वर के समीप पहुँचने की प्रेरणा प्राप्त होती है। मैं हृदय से आप सभी विद्वानों की लम्बी आयु की ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। ताकि आर्यसमाज को विश्व में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो।

मेरी जिज्ञासा का विषय है **'देहदान'**

मृत्यु के पश्चात् दाह संस्कार प्राचीन काल या वैदिक काल से ही किया जाता है। ताकि पर्यावरण शुद्ध रहे। आजकल हर बड़े-बड़े शहरों में **विद्युत् शव दाह गृह** भी बनाये जाते हैं, ताकि समय कम लगे और मरघटों पर जो लूट होती है, उससे भी जनता को निजात मिले। साथ ही वृक्षों की भी रक्षा हो। जो कि पर्यावरण सन्तुलन के महत्त्वपूर्ण अंग हैं।

आजकल समाचार पत्रों में देहदान के लिये मेडिकल कॉलेजों द्वारा विज्ञापन निकलते रहते हैं कि अधिक से अधिक लोग नेत्रदान एवं देहदान करें। कई संस्थायें भी इस कार्य में कार्य कर रही हैं ताकि मेडिकल के छात्रों को मानव शरीर पढ़ाई के लिये उपलब्ध हो।

अत: मेरी जिज्ञासा है कि आप विद्वानों की इस विषय पर क्या राय है? करना चाहिये या नहीं? क्या ऋषि दयानन्द जी ने इस विषय पर कहीं कुछ लिखा है या नहीं? उत्तर की प्रतिक्षा में।

आशा आर्या, 'अभिनन्दन' १४, मोहन मेकिन्स रोड, डालीगंज, लखनऊ

समाधान १- आप देहदान विषय में हमारी मति जानना चाहती हैं कि देहदान किया जावे या न किया जावे, तो हमारे विचार में देहदान किया जा सकता है, कर सकते हैं। यदि उसके सदुपयोग होने की सम्भावना अधिक हो तो। ऐसा करने से उस शरीर के द्वारा चिकित्सा शास्त्र के छात्र शरीर विज्ञान को जानेंगे और अन्यों को जनायेंगे। पहले चिकित्सा महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में शरीर विज्ञान को साक्षात् जानने के लिए प्राय: अनाथ (लावारिस) शव का प्रयोग करते थे, देहदान का बहुत कम प्रचलन था। उस समय चिकित्सा शास्त्र को पढ़ने वाले छात्र कम होते हुए भी उन शवों से कम पूर्ति हो पाती थी। किन्तु आज इस शास्त्र को पढ़ने वाले (डॉक्टर बनने वाले) बहुत अधिक हो गये, इस कारण शव भी अधिक चाहिए। जो कि लावारिस बहुत कम मिलते हैं। पूर्ति करने के लिए कुछ चिकित्सा महाविद्यालय आदि (मेडिकल कॉलेज) विदेशों से शव खरीदते हैं जो कि बहुत मंहगा पड़ता है। इस कारण आज-कल देहदान के लिए विज्ञापन आदि के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, किया जा रहा है सो गलत नहीं है। जीते हुए शरीर के द्वारा परोपकार होता रहे और मरने के बाद भी शरीर परोपकार के काम आ जाये तो अच्छा ही है। किन्तु ऐसा सब कर भी नहीं सकते, नहीं करते, यदि सब करने लग जाये तो चिकित्सा संस्थान अपनी आवश्यकता से अधिक शवों को लेंगे भी नहीं।

देहदान करने वाला अपने जीवन काल में कम से कम २० किलो अथवा इससे अधिक घी का होम अवश्य करे अथवा अपने कुटुम्बी जनों को ऐसा करने के लिए कह जाये, ये वैदिक रीति है। क्योंकि चिकित्सा संस्थान उस शरीर का प्रयोग करने के बाद जिस-किसी प्रकार से उसको पञ्चतत्त्व में विलीन करेगा ही, जिससे जल-वायु की अशुद्धि होगी। वह अशुद्धि न हो इसका दायित्व तो संस्थान का ही है, किन्तु वह ऐसा नहीं करता, उसके स्थान पर देहदान कर्त्ता वा कुटुम्बी जन करते हैं तो महापुण्य के भागी होंगे।

अब रही प्राचीन काल से चली आ रही शरीर का दाह करने की परम्परा सो निश्चित रूप से उचित है। गाड़ने, जंगल में फेंकने, जल में बहाने आदि से अधिक श्रेष्ठ है। **'भस्मान्तं शरीरम्'** एक सामान्य नियम है कि शरीर का अन्त भस्म होने तक है, शरीर को भस्म करना चाहिए। किन्तु अपवाद प्राय: सब जगह मिलते हैं। अनेक बार किसी परिस्थिति विशेष में शरीर को भस्म नहीं कर पाते, जिस किसी प्रकार से उसको पञ्चतत्त्व में विलीन कर देते हैं। जैसे समुद्र में जहाज डूबते हैं तो सैंकड़ों लोग भी डूब मरते हैं, भूकम्प आने पर दब जाते हैं, बर्फ में दब जाते हैं, बाढ़ में बह जाते हैं तो उनका प्राय: दाह कर्म नहीं हो पाता है। इसलिए **'भस्मान्तं शरीरम्'** सामान्य नियम है, अपवाद रूप में देह दान किया जा सकता है।

वर्तमान की परिस्थिति में विद्युत् दाह गृह ठीक ही है। इससे काष्ठादि अग्निदाह की अपेक्षा बहुत कम प्रदूषण होता है। इसमें यदि शव के साथ घी सामग्री हम नहीं रख पाते तो पृथक् से उतने घी-सामग्री का होम कर देना चाहिए। स्वामी दयानन्द जी का इस विषय में सीधा-सीधा कोई लेख पढ़ने को नहीं मिला। हाँ सत्यार्थ प्रकाश के तेहरवें समुल्लास में शव को गाड़ने, जल में फेंकने से अच्छा जंगल में छोड़ना लिखा है कि मांसाहारी जीव-जन्तु खा जावें, यह कर्म भी अग्निदाह से तो हीन ही है। जंगल में छोड़ना लिखा है तो हम अपने देह का

दान चिकित्सा संस्थान को शरीराध्ययन के लिए भी कर सकते हैं। अस्तु।

जिज्ञासा २- आदरणीय आचार्य जी, सादर नमस्ते।

अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणीभिः।
दिवे दिव ईड्यो जागृवद्भिर्हविष्मद्भिर्मनुष्येभिरग्निः।।

(क) उपरोक्त वेद मन्त्र उपनिषद् प्रकाश पृष्ठ २४८ प्रकाशक वानप्रस्थ साधक आश्रम, रोजड़ में दिया है तथा भावार्थ दिया है कि आत्मा, हृदय में छिपा रहता है। डॉक्टर शल्य क्रिया द्वारा हृदय को (बाईपास सर्जरी में) अलग कर देते हैं फिर मनुष्य जीवित रहता है, कैसे? क्योंकि आत्मा तो उसमें है नहीं?

(ख) परमपिता परमात्मा ने वेदों का ज्ञान सृष्टि के प्रारम्भ में ४ ऋषियों अग्नि, आदित्य, वायु व अंगिरा को दिया था किन्तु वेद में मन्त्र के समय (ऊपर) ऋषि छाप दिया जाता है, क्या कारण है? कृपया स्पष्ट करने की कृपा करें।

कृष्ण गोपाल मेहरोत्रा आर्य, वार्ड नं. १, रनकपुर
(चम्पावत) उत्तराखण्ड

समाधान २- (क) जो मन्त्र आपने उद्धृत किया है वह वेद मन्त्र नहीं है, अपितु कठोपनिषद् वल्ली चार का आठवाँ मन्त्र है। आपकी जिज्ञासा इस मन्त्र के भावार्थ में कहे गये ''आत्मा हृदय में छिपा रहता है।'' इस वाक्य के आधार पर है कि डॉक्टर द्वारा हृदय की शल्य क्रिया द्वारा शरीर से अलग कर देने पर भी मनुष्य जीवित रहता है, कैसे? क्योंकि हृदय आत्मा का स्थान होने से हृदय के साथ-साथ शरीर से आत्मा हट गई (हृदय परिवर्तन करते हुए)। इसमें यह समझना, जानना चाहिए कि जिस हृदय की डॉक्टर लोग शल्य क्रिया करते हैं, उसमें आत्मा नहीं रहती, वह आत्मा का निवास स्थान नहीं है। इसलिए शल्य क्रिया से हृदय अलग कर देने पर भी मनुष्य जीवित रहता है।

शास्त्र में जहाँ आत्मा का निवास स्थान हृदय आता है, वहाँ शरीर में रक्त को धक्का देने (पम्प करने) वाला अङ्ग नहीं लेना चाहिए किन्तु इस विषय में जो महर्षि दयानन्द की मान्यता अनुसार हृदय प्रदेश लिखा है वह लेना युक्त है, लेना चाहिए। वह स्थान महर्षि ने अपनी ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका उपासना प्रकरण में लिखा है। उसका वर्णन परोपकारी जनवरी प्रथम अंक के जिज्ञासा-समाधान ५४ में कर चुके, कृपया वह देखें।

(ख) वेद मन्त्र के साथ ऋषि दिया जाता है, वह क्यों? इसके उत्तर में महर्षि दयानन्द ने जो लिखा है उसको यहाँ उद्धृत कर रहे हैं, उससे आपका समाधान हो जायेगा। ऋषि लिखते हैं ''ईश्वर जिस समय आदि सृष्टि में वेदों का प्रकाश कर चुका, तभी से प्राचीन ऋषि लोग वेदमन्त्रों के अर्थों का विचार करने लगे। फिर उनमें से जिस-जिस मन्त्र का अर्थ, जिस-जिस ऋषि ने प्रकाशित किया, **उस-उस का नाम उसी मन्त्र के साथ स्मरण के लिए लिखा गया है।** इसी कारण से उनका ऋषि नाम भी हुआ है और जो उन्होंने ईश्वर के ध्यान और अनुग्रह से बड़े प्रयत्न के साथ वेदमन्त्रों के अर्थों को यथावत् जानकर सब मनुष्यों के लिए पूर्ण उपकार किया है, **इसलिए विद्वान् लोग वेद मन्त्रों के साथ उनका स्मरण रखते हैं।**'' ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका प्रश्नोत्तर विषय:

वेद मन्त्र के साथ ऋषि लिखने का उपरोक्त महर्षि की मान्यता के अनुसार यह अभिप्राय है कि इतिहास की दृष्टि से हमें ज्ञात रहे कि किन मन्त्रों, सूक्तों का अर्थ प्रथम बार किन ऋषियों ने प्रकाशित किया था। उसकी जानकारी के लिए मन्त्र के साथ ऋषि लिखा होता है।

जिज्ञासा ३- आदरणीय मन्त्री, परोपकारिणी सभा, दयानन्द आश्रम, केसरगंज, अजमेर (राज.) सादर नमस्ते। निवेदन है कि मैंने, जिज्ञासा-समाधान स्तम्भ के अन्तर्गत निम्नांकित दो विषय, आप की सेवा में समाधानार्थ प्रेषित किये थे जिनके समाधान परोपकारी में अभी तक प्रकाशित नहीं हो सके, उनके समाधान पढ़ने के लिए उत्सुक हूँ। जिनका पुन: संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

(क)- बात यह है कि सुना था कि कभी आर्य प्रतिनिधि सभा लखनऊ द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि, हम आर्य समाजियों को हिन्दुओं से पृथक् अल्पसंख्यक घोषित किया जाय, परन्तु मान्य हाईकोर्ट द्वारा आर्य समाजियों को यह सुविधा प्रदान नहीं की गई।

तब आर्य प्रतिनिधि सभा लखनऊ ने इस आशय की अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्य समाजियों को हिन्दुओं से पृथक् अल्पसंख्यक घोषित न करके यह निर्णय दिया था कि आर्यसमाजी हिन्दुओं से पृथक् नहीं बल्कि हिन्दुओं का विशुद्ध (क्रीम) अभिन्न अंग हैं। अस्तु इस तथ्या की पुष्टि में उचित समाधान करने की कृपा करें।

(ख)- विषय यह है कि परोपकारी जून-प्रथम २०१२ के अंक में प्रकाशित ''प्रथम बार आर्य परिवार में स्वयंवर आयोजन।'' इसके 'स्वयंवर' शब्द के विषय में यह निवेदन था कि सीता जी ने अपने पिताश्री की प्रतिज्ञा को पूरी करने वाले श्री राम का वरण किया था न कि स्वयं की प्रतिज्ञा से। यदि सीता जी की स्वयं कि यह प्रतिज्ञा होती कि- मैं उसी को अपना पति, वरण करूँगी जो इस धनुष को तोड़ देगा, तभी स्वयंवर शब्द की सार्थकता प्रतीत होती है।

इसी प्रकार इस स्वयंवर में भी माता-पिता की ही प्रतिज्ञा होने की सम्भावना से यह स्वयंवर भी माता-पिता की इच्छा के अनुरूप होने वाले आजकल के विवाहों के समान ही हो

सकता है। न कि स्वयंवर।

इसका समाधान करने की कृपा करें।

- शिवप्रसाद आर्य, मु. बिजली खेरा, सी.एम.ओ. बंगला के सामने बांदा, उत्तर प्रदेश

समाधान ३- (क) आर्य समाजियों को अल्पसंख्यक घोषित करवाने के लिए लखनऊ सभा न्यायालय में गई, इसकी कुछ ही पुष्टि हुई। माननीय सत्येन्द्र सिंह जी (मेरठ) ने इलाहाबाद तक की बात को पुष्ट किया। आगे क्या हुआ इसकी जानकारी प्राप्त न हो सकी। आप इस विषय में लखनऊ सभा से सम्पर्क करके कृपया अधिक जानकारी प्राप्त कर लेवें। हाँ इस विषय में इतना अवश्य कहेंगे कि आर्य समाजियों को अल्पसंख्यक घोषित कराने के लिए जो भी न्यायालय गया उसने गलत किया, क्योंकि अल्पसंख्यकता की नीति देश के लिए घातक है, देश को तोड़ने वाली है, भारतीय जनसमुदाय को खण्डित करने वाली है। जो भी इस नीति का समर्थन करता है, वह देश के लिए हानिकारक बातों का समर्थक है, समर्थन कर रहा है। आर्य समाज की ओर से इस विषय में जिसने प्रयास किया, हो सकता है उसके कुछ निजी स्वार्थ हों, अपनी संस्थाएँ चला रहा हो अथवा इसकी हानियाँ न जानता हो।

अल्पसंख्यक है कौन? इस देश में वैज्ञानिक कम हैं, विद्वान् कम हैं, डॉक्टर, इन्जिनीयर कम हैं, गरीबों की अपेक्षा धनी कम हैं, छात्रों की अपेक्षा अध्यापक कम हैं, जो भी अधिकों की अपेक्षा कम है वही अल्प है, अल्पसंख्यक है। किन्तु सरकार की दृष्टि से इस देश के अन्दर हिन्दुओं (आर्यों) को छोड़कर मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी आदि सब अल्पसंख्यक हैं और यह सब सम्प्रदाय (मजहब) की दृष्टि से हैं। सरकार की यह दृष्टि केवल वोट के कारण है। सरकार हिन्दुओं से अतिरिक्तों को अल्पसंख्यक घोषित कर उनकी अतिरिक्त सहायता करके अपने वोट पक्के करती है। देश में अल्पसंख्यक मन्त्रालय बना रखा है। इसका मन्त्री भी अल्पसंख्यक में से है। जो समुदाय इस देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है, आगे समस्या बनेगा, पैदा करेगा, उसी समुदाय का मन्त्री इस मन्त्रालय का है। क्या प्रत्येक व्यक्ति इस देश में रहने वाला भारतीय नहीं है और यदि अपने को भारतीय मानता है तो अल्पसंख्यक कहाँ रहा, बहुसंख्यक हो गया। यदि कोई इस देश में रहता है, इस देश से सहायता सुरक्षा पाता है और गीत किसी अन्य देश के गाता है तो सरकार को उचित है कि उसको उसी देश में भेज देवें अथवा उसकी सहायता-सुरक्षा सब बन्द कर दे, यही न्याय है।

सभी मानव, मानव हैं इस दृष्टि से कोई अल्पसंख्यक नहीं है। कमजोर की, हीन की सहायता करनी ही चाहिए, करनी ही होती है, यही मानवता है। किन्तु उसकी सहायता सहयोग करते हुए बलवान्, समर्थ का भय दिखाकर, उनको आक्रामक, समर्थों का विरोधी बनाना यह केवल स्वार्थ पूर्ण नीति है। यही अल्पसंख्यक नीति के अनुरूप (तहत) हो रहा है।

इस नीति की नींव अंग्रेज रख गए, फूट डालो राज करो। अंग्रेजों ने सम्प्रदाय के आधार पर, जाति के आधार पर, धनी और निर्धन के बीच भेद पैदा कर इस देश को कमजोर किया, लूटा, दबाये रखा। आज उसी नीति को वर्तमान के शासक अधिक से अधिक पोषित कर रहे हैं, जो इस देश को रसातल में ले जाने को प्रयासरत हैं। इस देश में मुस्लिम, ईसाई आदि ही अल्प संख्यक क्यों और कश्मीर, नागालैण्ड जैसे राज्यों में हिन्दू अल्पसंख्यक क्यों नहीं? यही है ये दोहरी घातक नीति। इसलिए अल्पसंख्यकता की जो बात करता है, समर्थन करता है, चाहता है, वह राष्ट्र प्रेमी प्रतीत नहीं होता।

(ख) स्वयंवर विवाह में वर को चुनने की मुख्यता कन्या को ही होती है। स्वयंवर शब्द से भी यही ज्ञात हो रहा है। पहले प्राय: स्वयंवर विवाह ही होते थे, आज भी हो रहे हैं। पहले वीरता, विद्या को प्रमुखता देकर स्वयंवर होते थे, ऐसा इतिहास से ज्ञात होता है। आज धन, पद, भूमि, डिग्री (उपाधि) को प्रमुख रखकर स्वयंवर होते हैं। कन्या इच्छा प्रकट करती है कि वह एम.ए. पढ़े हुए से, डॉक्टर से, इन्जिनीयर से, सेना के अधिकारी से, सरकारी नौकरी वाले आदि से विवाह करना चाहती है। उसकी इस इच्छा को माता-पिता घोषित करते हैं, उस इच्छा के अनुसार ऐसी योग्यता वाले युवक से विवाह कर देते हैं, तो वह स्वयंवर विवाह ही है। अथवा माता-पिता की इच्छा है कि अमुक विशेष योग्यता वाले लड़के से अपनी कन्या का विवाह हो और कन्या, माता-पिता की इस इच्छा को स्वीकार करती है तो भी स्वयंवर ही कहावेगा। सीता जी के स्वयंवर विषय में भी ऐसा ही रहा होगा। वह तो वैदिक युग था उसमें जनक जैसे पिता, पुत्री की इच्छा के प्रतिकूल तो नहीं करेंगे और सीता जैसी पुत्री-जिसकी इच्छा ही, पिता की इच्छानुसार वर ग्रहण करना थी, तो निश्चित ही यह स्वयंवर विवाह था जहाँ पिता की इच्छा को पुत्री ने स्वीकार किया और विवाह सम्पन्न हुआ।

आपने जिज्ञासा में जिस स्वयंवर (परोपकारी जून प्रथम, २०१२ विज्ञापन वाला) के सन्दर्भ में जानना चाहा, उनसे सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ कि यहाँ भी उसी प्रकार कन्या व वर ने परस्पर प्रश्नोत्तर पूर्वक, प्रसन्नता से पहले एक दूसरे का वरण किया, पुन: विवाह सम्पन्न कराया गया, अत: यह भी स्वयंवर विवाह ही था, अधिक जानकारी के लिए आप स्वयं उक्त पते पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ऋषि उद्यान, पुष्कर मार्ग, अजमेर

संस्था - समाचार

१६ से ३१ दिसम्बर २०१३

१. स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस- जैसा कि विदित है २३ दिसम्बर का दिन आर्यजगत् में स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन सन् १९२६ को अब्दुल रशीद नामक एक मुस्लिम धर्मान्ध युवक ने स्वामी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस अवसर पर ऋषि उद्यान में भी बलिदान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रातः व सायंकाल के सत्र में आचार्य कर्मवीर जी, ब्र. उपेन्द्र जी, ब्र. वामदेव जी, ब्र. शोभित जी, ब्र. सोमेश जी, ब्र. निरञ्जन जी, माता ऊषा जी आदि ने स्वामी जी के जीवन के सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत किए। ब्र. लक्ष्यवीर जी ने कार्यक्रम का संचालन किया। वक्ताओं द्वारा प्रस्तुत स्वामी जी के जीवन की कुछ घटनाएँ इस प्रकार हैं-

''स्वामी श्रद्धानन्द जी का जन्म पंजाब के जालन्धर जिले के तलवन कस्बे में सन् १८५६ को हुआ। आपके बचपन का नाम मुन्शीराम था, आप छह भाई-बहनों में सबसे छोटे थे। सबसे छोटा होने के कारण आप माता-पिता के भी सर्वाधिक प्रिय थे। आपका परिवार काफी शिक्षित था, आपके पूर्वजों में लाला कन्हैयालाल जी, महाराजा रणजीत सिंह जी के दरबार में वकील बनकर रहे थे। आपके पिता नानकचन्द जी, अंग्रेज प्रशासन में नगर कोतवाल थे। परिवार में धार्मिक प्रवृत्तियों के कारण आपको भी धार्मिक संस्कार जन्म से ही प्राप्त हुए। आप बाल्यकाल से ही मेधावी व प्रतिभा के धनी रहे, लेकिन चूँकि आपके पिता पुलिस सेवा में थे, अतः इनका बार-बार बनारस, बदायूँ, बलियाँ, बरेली, मथुरा आदि में स्थानान्तरण होता रहा, जिससे आपके प्रारम्भिक अध्ययन में बाधाएँ आती रही। लेकिन परिवार धन आदि की दृष्टि से काफी सम्पन्न था।

इन सम्पन्नताओं और अनुकूलताओं के मध्य युवक मुन्शीराम अनेक दुर्गुणों से घिर गए। आप हुक्का, शराब आदि का नशा व माँस-भक्षण तक करने लगे थे। इसके साथ-साथ आप नास्तिकता की ओर भी जाने लगे थे। जब मुन्शीराम जी सन् १८७५ ई. में बनारस में पढ़ते थे, तब इनकी दिनचर्या में प्रातः काल अखाड़े में व्यायाम करना, फिर गंगा स्नान करके काशी विश्वनाथ के मन्दिर में पूजा करना शामिल था। एक दिन मुन्शीराम दर्शन के लिए गए, गली में दोनों ओर पुलिस लगी थी, मुख्य द्वार पर पहरेदारों ने युवक मुन्शीराम को अन्दर जाने से रोक दिया। पूछने पर पता चला कि रीवाँ की रानी दर्शन कर रही है, उनके दर्शन कर लेने पर ही सामान्य व्यक्तियों के लिए मन्दिर का द्वार खुलेगा। इस घटना से मुन्शीराम अत्यन्त दुःखी, निराश व हताश हुए, मन्दिर से सीधे घर आ गए, भोजन आदि भी नहीं किया। सतत् चिन्तन चलता रहा कि क्या सचमुच यह जगत्स्वामी का दरबार है, जिसमें एक रानी, उसके भक्तों को दर्शन करने से रोक देती है? क्या यह मूर्ति विश्वनाथ हो सकती है या वे देवता कहला सकते हैं, जिनके अन्दर ऐसा पक्षपात हो? यह सोचकर मुन्शीराम की हिन्दू देवी-देवताओं से आस्था समाप्त हो गई।

फिर इसी चिन्तन अवस्था में 'फादर लीफ' नामक एक क्रिश्चिन पादरी से सम्पर्क हुआ। मुन्शीराम इनके आचार-व्यवहार से अत्यन्त प्रभावित हुए। यह प्रभाव इतना अधिक था कि आपने ईसाईयत में दीक्षित होने का निश्चय कर लिया। बपतिस्मा की तिथि निश्चित करने पादरी लीफ के चर्च पहुँचे तो वहाँ पादरी दिखाई नहीं दिए, उन्हें खोजने का प्रयास किया तो अनायास उस कमरे में जा पहुँचे, जहाँ एक अन्य पादरी तथा नन परस्पर मिले हुए थे। इस घटना ने पुनः युवक मुन्शीराम के मन से श्रद्धा का बीज उखाड़ फेका। मुस्लिम मत से किसी आध्यात्मिक तृप्ति की आशा मुन्शीराम को नहीं थी, क्योंकि पिता के कार्यालय में मुस्लिम मतावलम्बियों के आचार-व्यवहार सम्बन्धी अनेकों मुकदमों से वे परिचित थे। इस प्रकार विभिन्न मतों का चक्कर लगा युवक मुन्शीराम पूर्ण नास्तिक से बन गए।

अन्ततः वह सुखद संयोग आया जब महर्षि दयानन्द जी धर्म प्रचारार्थ बरेली पहुँचे। महर्षि की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा नानकचन्द जी को सौंपा गया। नानकचन्द जी ने महर्षि का भाषण सुना, आप अत्यधिक प्रभावित हुए और मन में यह निश्चय कर लिया कि पुत्र मुन्शीराम के नास्तिकता की निवृत्ति महर्षि दयानन्द ही कर सकते हैं। पिता जी ने घर आकर सारी बातें बताई व अगले दिन प्रवचन सुनने के लिए चलने को कहा। मुन्शीराम ने प्रवचन में चलने की स्वीकृति तो दे दी किन्तु सोचते रहे कि एक संस्कृत पढ़ा साधु क्या बुद्धि की बातें करेगा। अगले दिन प्रवचन स्थल पर, उस दिव्य मूर्ति के दर्शन करते ही, उस तेजस्वी व्यक्ति से अत्यन्त प्रभावित हुए। फिर सभा में पादरी स्कॉट समेत १५-२० अंग्रेज पदाधिकारी भी उपस्थित थे तथा ध्यान से प्रवचन सुन रहे थे, इन दृश्यों ने भी मुन्शीराम पर गहरी छाप छोड़ी। महर्षि जी ऐसी युक्ति-युक्त बाते करते थे कि

विद्वान् भी दंग रह जाते थे। महर्षि दयानन्द निर्भीकता से जहाँ पुराणों आदि की मिथ्या बातों का खण्डन किया करते थे, वहीं अंग्रेज अधिकारियों की उपस्थिति में ईसाई मत का भी खण्डन करते थे। अंग्रेज इससे चिढ़ गए, उन्होंने महर्षि को कठोर न बोलने व ईसाई आदि मत का खण्डन न करने का सन्देशा भिजवाया। लेकिन महर्षि जी ने स्पष्ट उत्तर दिया कि कलेक्टर, कमिश्नर तो क्या यदि चक्रवर्ती राजा भी मेरे सत्य कहने से अप्रसन्न होगा तो भी मैं सत्य ही कहूँगा। महर्षि दयानन्द के इन निर्भीकता आदि गुणों ने मुन्शीराम के मन में अत्यधिक प्रभाव डाला, लेकिन अभी तक मुन्शीराम को अपने नास्तिकपने पर अभिमान था। उन्होंने एक दिन ईश्वर के अस्तित्व में आक्षेप कर डाले। पाँच मिनट के प्रश्न-उत्तर में महर्षि ने मुन्शीराम को निरुत्तर कर दिया। अगले दिन मुन्शीराम फिर प्रश्नों को ले गए, लेकिन फिर महर्षि ने निरुत्तर कर दिया, तीसरे दिन फिर यही स्थिति। अतः मुन्शीराम ने महर्षि दयानन्द से कहा- 'स्वामी जी आपकी तर्कना शक्ति बड़ी प्रबल है, आपने मुझे चुप तो कर दिया, परन्तु यह विश्वास नहीं दिलाया कि परमेश्वर की कोई सत्ता है।' महर्षि जी पहले हँसे, फिर गम्भीर होकर बोले- 'देखो! तुमने प्रश्न किए, मैंने उत्तर दिए, यह युक्ति की बात थी। मैंने कब प्रतिज्ञा की थी कि मैं परमेश्वर पर तुम्हारा विश्वास करा दूँगा।

चूँकि मुन्शीराम जी मेधावी थे, अतः आर्षग्रन्थों के स्वाध्याय करने से सत्य का निश्चय होने लगा। उत्तरोत्तर वे वैदिक धर्म के निकट आते गए तथा ईश्वर व वैदिक धर्म में विश्वास बढ़ता ही गया। सत्यार्थप्रकाश में महर्षि दयानन्द जी ने पठन-पाठन प्रकरण में गुरुकुलों की चर्चा की है, अतः मुन्शीराम जी ने बालकों के लिए गुरुकुल खोलने का मन बना लिया। लेकिन इस विचार को मूर्त्त रूप देना इतना आसान नहीं था- गुरुकुल स्थापना के लिए साधन, विद्यार्थी, अध्यापक आदि सभी विषयों पर शून्य से कार्य प्रारम्भ करना था। मुन्शीराम जी ने यह प्रस्ताव पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा के सामने रखा। सभा ने मुन्शीराम जी से कहा कि पहले आप एतदर्थ तीस हजार रुपये की राशि एकत्रित करें, पुनः सभा आपके प्रस्ताव पर विचार करेगी। [यह घटना सन् १९०० ई. के आस-पास की है, पाठक उस समय के तीस हजार रुपये के मूल्य का आंकलन कर सकते हैं।] लेकिन अपनी धुन के धनी मुन्शीराम जी ने यह कठिन कार्य अल्प समय में ही कर दिखाया। पुनः सन् १९०२ ई. में गंगा के तट पर, हरिद्वार के निकट कांगड़ी ग्राम में गुरुकुल की स्थापना की गई। मुन्शीराम जी ने अपने दोनों बालकों को भी विद्यार्थी के रूप में गुरुकुल में प्रवेश कराया। धीरे-धीरे मुन्शीराम जी की तपस्या से गुरुकुल चल पड़ा, अब मुन्शीराम 'महात्मा मुन्शीराम' बन चुके थे। कुछ ही समय में गुरुकुल की गूंज भारत के साथ-साथ ब्रिटेन तक पहुँची, और ब्रिटिश प्रधानमन्त्री जैसी बड़ी हस्तियाँ भी इस अनोखी शिक्षा पद्धति का अध्ययन करने गुरुकुल पहुँची। महात्मा मुन्शीराम अत्यन्त सरलता व सहजता से गुरुकुल का संचालन कर रहे थे, वे प्रतिदिन गुरुकुल के छात्रावासों के कई चक्कर लगाते। एक समय भ्रमण करते समय देखा कि एक विद्यार्थी बीमार है, गुरुकुलीय परम्परा में किसी छात्र के बीमार होने पर, किसी अन्य छात्र को उसकी सेवा में नियुक्त किया जाता था, लेकिन उस समय सेवा में नियुक्त छात्र वहाँ आस-पास नहीं था तथा बीमार छात्र को उल्टी आने लगी। उल्टी से विद्यार्थी का बिस्तर खराब न हो और आस-पास कोई पात्र न पाने पर महात्मा मुन्शीराम ने अपने दोनों हाथों में छात्र की उल्टी ले ली। ऐसे अनेकों संस्मरण तत्कालीन विद्यार्थी महात्मा जी के विषय में बताते हैं। जिससे महात्मा जी के दया, करुणा, सत्यनिष्ठा आदि भावों की गहराई का पता चलता है। गुरुकुल कांगड़ी की ही भाँति आपने गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ, गुरुकुल सूपा, गुरुकुल मुल्तान की भी स्थापना की। बालिकाओं के लिए कन्या विद्यालय जालन्धर जैसी संस्थाएँ स्थापित की।

इन कार्यों के बीच आपने संन्यास दीक्षा ग्रहण करने का मन बना लिया, संन्यास ग्रहण कर आप मुन्शीराम से स्वामी श्रद्धानन्द कहलाए। आपकी तत्कालीन राजनीतिक पैठ का इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सन् १९१९ ई. के अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन में आपको 'स्वागताध्यक्ष' बनाया गया और आपने साहस का परिचय देते हुए अधिवेशन के इतिहास में पहली बार स्वागत भाषण हिन्दी में पढ़ा। जब आप रोलेक्ट एक्ट का विरोध करते हुए चाँदनी चौक, दिल्ली की सड़क पर प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे, तब अंग्रेज सिपाहियों ने आपको आगे न बढ़ने की चेतावनी देते हुए, आप पर बन्दुकें तान दी थी, लेकिन निर्भीक संन्यासी को ये बन्दूकें क्या डरा सकती थी, स्वामी जी ने अपनी छाती आगे कर कहा चलाओ गोली। इस वीरता के आगे अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा, स्वामी जी को शान्तिपूर्ण आन्दोलन करने दिया गया।

आपकी नेतृत्व क्षमता का अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आप ऐसे पहले हिन्दू नेता थे, जिन्हें दिल्ली की जामा मस्जिद से भाषण देने के लिए बुलाया गया और इतिहास साक्षी है कि आपने इस ऐतिहासिक मस्जिद में पवित्र वेदमन्त्र के माध्यम से अपना वक्तव्य शुरु किया।

स्वामी जी ने विधर्मी बने अपने भाईयों को पुनः शुद्ध कर वैदिक धर्म में लाने का काम शुरू किया। इस बात पर कांग्रेस के कई तथाकथित असम्प्रदायिक नेताओं को आपत्ति थी, अतः आपको कांग्रेस व शुद्धिकार्य में से एक को चुनने को कहा गया। आपने सहर्ष शुद्धि कार्य को चुना और इन्हीं कार्यों की वजह से आप विधर्मियों के शत्रु बने और अन्ततः आपकी हत्या की गई।

इस प्रकार अपना सर्वस्व न्यौछावर कर स्वामी जी आर्य इतिहास में अमर हो गए। स्वामी जी का यह बलिदान तभी सार्थक होगा, जब हम भी उनके ही भाँति अपने जीवन का विकास करें और सच्चे वैदिक-धर्मानुयायी बने।

२. डॉ. धर्मवीर जी का प्रचार कार्यक्रम- सम्पन्न कार्यक्रम- (क) १७ दिसम्बर २०१३- अमरावती (महाराष्ट्र) में एक आर्य परिवार में यज्ञ सम्पन्न कराया।

(ख) १९ दिसम्बर २०१३- परोपकारिणी सभा के प्रधान श्री गजानन्द जी आर्य से भेंट तथा सभा की गतिविधियों की चर्चा।

(ग) २० दिसम्बर २०१३- श्री उमाकान्त जी उपाध्याय से भेंट कर, मार्गदर्शन प्राप्त किया।

(घ) २१ से २९ दिसम्बर २०१३- आर्यसमाज विधानसरणी, कोलकाता (पं. बंगाल) के कार्यक्रम में भाग लेकर विभिन्न विषयों पर उद्‌बोधन प्रदान किया।

आगामी कार्यक्रम- (क) १३-१४ जनवरी २०१४- कोलकाता में सभा-प्रधान श्री गजानन्द जी के यहाँ यज्ञ सम्पन्न करवाएँगे।

(ख) २०-२१ जनवरी २०१४- पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ में कार्यक्रम में भाग लेंगे।

(ग) २८-२९ जनवरी २०१४- भिण्ड, मध्य प्रदेश के कार्यक्रम में भाग लेंगे।

३. आचार्य सानन्द जी का प्रचार कार्यक्रम- सम्पन्न कार्यक्रम- दिनांक २० से २७ दिसम्बर २०१३ को आर्यसमाज छीपाबड़ौद, जि. बाराँ, राजस्थान में योग शिविर सम्पन्न कराया। आप प्रतिदिन प्रातः ७ से ८ तक 'वैदिक ध्यान' का अभ्यास करवाते थे तथा रात्रि सत्र में ८ से ९ बजे तक ईशोपनिषद् पर प्रवचन प्रदान करते थे। शिविर में लगभग ५० साधकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में श्री जितेन्द्र जी (आर्य वीर दल) भी आपके साथ थे।

आचार्य कर्मवीर जी व दीपक आर्य

पतों में नवीनीकरण व संशोधन की प्रक्रिया

सभी विद्वानों व परोपकारी के सुधी पाठकों से निवेदन है कि अपना नाम, पत्र व्यवहार का पूरा पता (पिन कोड सहित), दूरभाष संख्या और ई-मेल किसी भी माध्यम से भिजवाने का कष्ट करें जिससे कि परोपकारिणी सभा के वर्तमान के पतों में नवीनीकरण व संशोधन की प्रक्रिया में सहयोग मिल सके।

दयानन्द धर्मार्थ चिकित्सालय

परोपकारिणी सभा द्वारा संचालित ऋषि उद्यान में पिछले लगभग एक वर्ष से आयुर्वेदिक चिकित्सालय चल रहा है। चिकित्सालय में उपलब्ध सभी औषधियाँ निःशुल्क दी जाती हैं। ऋषि उद्यान में रह रहे डॉ. रमेश मुनि जी चिकित्सक के रूप में इस चिकित्सालय का कुशलतापूर्वक कार्यभार सम्भाल रहे हैं।

दानी महानुभावों से सहयोग की भी अपेक्षा है।

१. बैंक का नाम-**भारतीय स्टेट बैंक, डिग्गी बाजार, अजमेर।**
बैंक खाता संख्या-**10158172715**
IFSC-SBIN0007959

२. बैंक का नाम-**आई.डी.बी.आई**, पावर हाऊस के सामने, जयपुर रोड़, अजमेर।
बैंक खाता संख्या-**091104000057530**
IFSC-IBKL0000091

email : psabhaa@gmail.com

मन्त्री, परोपकारिणी सभा, अजमेर

जैसे जीव प्रेम के साथ अपने मित्र वा शरीर की रक्षा करता है वैसे ही राजा प्रजा की पालना करे।

-महर्षि दयानन्द, यजुर्वेद, भावार्थ ७.३७

आर्यजगत् के समाचार

१. सम्मेलन सम्पन्न- गत १५ दिसम्बर को बहरोड़ की कंचन वाटिका में राजस्थान सार्वदेशिक आर्य युवक परिषद् कार्यकर्त्ता सम्मेलन सम्पन्न हुआ। अध्यक्षता राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष यशपाल यश ने की एवं विशेष आमन्त्रित डॉ. अनिल आर्य, अध्यक्ष केन्द्रीय सार्वदेशिक आर्य युवक परिषद् रहे।

२. विद्वद् गोष्ठी व सम्मेलन- वैदिक आध्यात्मिक न्यास, अजमेर का द्वितीय वार्षिक स्नेह सम्मेलन एवं संगोष्ठी ७, ८, ९ फरवरी २०१४ को वानप्रस्थ साधक आश्रम, आर्यवन, रोजड़, गुजरात में होंगे। इस सम्मेलन में जहाँ विद्वानों को परस्पर परिचय व मिलने-जुलने का अवसर प्राप्त होगा, वहाँ पूज्य स्वामी सत्यपति जी के दर्शन व प्रवचन का लाभ भी प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम के विभिन्न सत्रों में अनेक विषयों पर परिचर्चाएँ होंगी, भजन-प्रवचन होंगे व जिज्ञासा-समाधान भी किया जायेगा। दोनों समय सामूहिक उपासना का अवसर प्राप्त होगा। विभिन्न विद्वान् कार्यकर्त्ता अपने विशेष कार्यक्रमों, अनुभवों, अन्वेषणों, प्रश्नों, शंकाओं व समस्याओं से अन्यों को अवगत कराएँगे, उन पर अन्य विद्वान् कार्यकर्त्ताओं के विचार, सम्मति, समाधान आदि भी सुनने को मिलेंगे। विद्वद् संगोष्ठी के विषय हैं- सृष्टि संवत्, आत्मा साकार है या निराकार, मोक्ष में जाने से पूर्व कर्माशय की समाप्ति हो जाती है या नहीं? बैक्टिरिया (जीवाणु)- वायरस (विषाणु) आदि सजीव हैं या निर्जीव? ये भोगायतन (भोग शरीर) हैं या नहीं?

इस सम्मेलन व विद्वद् संगोष्ठी में वे विद्वान् कार्यकर्त्ता भाग लेंगे जो वैदिक आध्यात्मिक न्यास के सदस्य हैं। आर्यसमाज में उत्साह, चेतना व प्राण बनाये रखने का सङ्कल्प लिए ये अधिकांश युवा विद्वान् कार्यकर्त्ता अपने-अपने स्थानों पर व देश-विदेश में प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। इस स्नेह सम्मेलन में तीन दिन के लिए एकत्र होकर ये परस्पर आध्यात्मिकता-ज्ञान-विज्ञान-उत्साह का आदान-प्रदान करते हुए भविष्य के लिए और अधिक गति-दृढ़ता आत्मविश्वास के साथ अपने-अपने कार्यस्थलों को लौट कर समाज को और अधिक लाभान्वित करेंगे।

३. बलिदान दिवस सम्पन्न- आर्यसमाज शाहपुरा, जि. भीलवाड़ा, राजस्थान के आर्यसमाज मन्दिर में दि. २३/१२/२०१३ को विशेष यज्ञ के साथ अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द का बलिदान दिवस मनाया। यज्ञ के मुख्य यजमान सन्तोकसिंह चौधरी, कन्हैयालाल आर्य, सत्यनारायण तोलम्बिया, चन्द्रप्रकाश झँवर थे। पुरोहित बालमुकन्द बगेरवाल थे। संगठन सूक्त के मन्त्रों द्वारा विशेष आहुतियाँ दी गयी।

४. बलिदान मनाया- अलवर शहर की समस्त आर्य समाजों एवं आर्य शिक्षण संस्थानों के सहयोग से अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द का ८७वाँ बलिदान दिवस समारोह अति श्रद्धापूर्वक दिनांक २५/१२/२०१३ को आर्यसमाज अरावली विहार (काला कुआँ) अलवर में मनाया गया। देर सायं तक चले कार्यक्रम में राजगढ़, खैरथल, ईथरोदा, रामगढ़, तिजारा तथा गोविन्दगढ़ आर्य समाजों के प्रतिनिधि एवं अलवर शहर के सैकड़ों धर्मप्रेमी भाई-बहिनों ने भाग लिया।

५. पुण्यतिथि एवं बलिदान दिवस मनाया- आर्यसमाज रामपुरा, कोटा द्वारा संचालित बाल भारती आर्य शिशु शाला एवं मातृ सेवा सदन उच्च प्राथमिक विद्यालय ने संयुक्त रूप से १९ दिसम्बर को अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल व अशफाक उल्ला खाँ को श्रद्धाञ्जलि दी तथा २३ दिसम्बर को श्रद्धानन्द बलिदान दिवस मनाया। आर्यसमाज के मन्त्री एवं विद्यालय के व्यवस्थापक श्री डी.पी. मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम का आरम्भ यज्ञ से हुआ तथा विद्यालय की प्रार्थना के पश्चात् प्रार्थना स्थल पर सैंकड़ों छात्र-छात्राओं को सम्बोधित किया।

६. बलिदान दिवस मनाया- आर्यसमाज रामां मण्डी, जि. बठिण्डा, पंजाब में युग पुरुष स्वामी श्रद्धानन्द जी बलिदान दिवस दिनांक २२/१२/२०१३ को श्रद्धापूर्वक मनाया। पं. कुलदीप शर्मा भास्कर घरौंडा, चौड़ा माजरा से पधारे। पण्डित जी ने अपनी मधुर वाणी द्वारा कार्यक्रम में पधारे सभी धर्म प्रेमी माताओं, बहनों एवं भाईयों, बच्चों को भजन कार्यक्रम द्वारा मन्त्र मुग्ध कर कार्यक्रम को चार चाँद

लगाए।

७. वानप्रस्थियों-संन्यासियों के लिए आगामी साधना-शिविर- प्रयाग में विगत कई वर्षों से आर्य उप प्रतिनिधि सभा (जिला सभा) अपने स्तर पर वेद प्रचार करती आ रही है। इस वर्ष आर्य उप प्रतिनिधि सभा की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने यह निर्णय लिया है कि परम्परा से हट कर आर्यसमाज के मन्तव्य ''जप-उपासना-धर्म व मोक्ष'' को सिद्ध करने के लिए 'एक माह का वानप्रस्थियों हेतु' साधना शिविर लगाया जाये। आचार्य श्री दिनेश शास्त्री जी के नेतृत्व में हम साधकों को संस्कृत भाषा का न्यूनतम ज्ञान देने तथा वेद मन्त्रों का शुद्ध उच्चारण करना सिखायेंगे। हम आर्यसमाज के आदरणीय संन्यासियों व विद्वानों से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि माघ मेले को पाखण्ड समझने के बजाय इस अवसर का सदुपयोग करें, हम आप सभी को आदर आमन्त्रित करते हैं। यहाँ पर आवास व भोजन की समुचित व्यवस्था रहेगी।

सम्पर्क- मन्त्री ०९३०५९९०१४३

८. पुरस्कार व कम्बल वितरण- आर्यसमाज खेड़ा अफगान में आर्यसमाज का आजादी में योगदान एवं आतंकवाद विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें प्रथम विजेता को ५०० रु., द्वितीय विजेता को ३५० रु. तथा तीसरा स्थान पाने वालों को २५० रु. नगद एवं आर्यसमाज का साहित्य व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर कम्बल वितरण का आयोजन भी किया गया।

९. वार्षिकोत्सव सम्पन्न- आर्यसमाज सेक्टर ६, भिलाई नगर, जि. दुर्ग, छ.ग. का ५४वाँ वार्षिकोत्सव एवं अथर्ववेद महायज्ञ का कार्यक्रम २०, २१ एवं २२ दिसम्बर २०१३ को सम्पन्न हुआ। इसकी पूर्व सन्ध्या पर एक भजन एवं प्रवचन का कार्यक्रम सियान सदल, नेहरू नगर में भी आयोजित किया गया। भारत के ख्याति प्राप्त विद्वानों ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इनमें गुरुकुल आमसेना के संस्थापक स्वामी धर्मानन्द सरस्वती, बिजनौर उ.प्र. के भजनोपदेशक पं. योगेशदत्त, रोहतक हरियाणा से आचार्य सत्यव्रत एवं छत्तीसगढ़ प्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान आचार्य अंशुदेव प्रमुख थे।

वैवाहिक समाचार

१०. २८ वर्षीय युवक शिक्षा- इंजीनीयरींग व होटल मैनेजमेन्ट कोर्स इग्लैण्ड से, व्यवसाय- स्वयं का होटल ग्रील इन, मुखर्जीनगर, मैट्रो स्टेशन, दिल्ली में, कृषि योग्य भूमि- ६ एकड़ गाँव में, वर्जित गोत्र- मलिक, मोहन, सिहाग, के लिए सुंस्कारों वाली पढ़ी-लिखी लड़की चाहिए। नौकरी वाली को वरीयता दी जायेगी।

सम्पर्क- रविन्द्रसिंह, ०९८१३०६९००१

११. भूमिका, पंजाबी खत्री, निवास अजमेर राजस्थान, कद ५ फुट ४ इंच, शिक्षा एम.एस.सी. फूड ऑफ न्यूटरेशन स्लॉट हेतु संस्कारवान् पढ़े-लिखे युवक की आवश्यकता है। **सम्पर्क- ०९५८७९३६६७७**

१२. विश्वकर्मा, २५ वर्षीय युवक हेतु स्वजाति या आर्य परिवार की सुशिक्षित एवं संस्कारित लड़की की आवश्यकता है। युवक की ऊँचाई ६ फुट २ इंच, शिक्षा एम.बी.ए. उर्त्तीण, नौकरी, सिद्धि विनायक मल्टीनेशनल कं. सूरत, गुजरात में सेवारत, वेतन रु. २८०००/- मासिक हेतु युवती की आवश्यकता है। लड़की की ऊँचाई ५.५ फुट या इससे अधिक हो।**सम्पर्क- ०८२३३६६५५९८**

शोक समाचार

१३. आर्यसमाज के कर्मठ कार्यकर्त्ता, सेवा भावी एवं समर्पित अजमेर वासी आदरणीय श्री सोहनलाल जी कटारिया के सुपुत्र श्री कृष्णसिंह कटारिया का निधन दिनांक २४/१२/२०१३ को हो गया, उनकी आयु ६२ वर्ष थी। इससे परिवार को गहरा आघात लगा। परोपकारिणी सभा, मृतात्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना एवं परिवार को असह्य दुःख सहन करने की शक्ति प्राप्त करने की कामना करती है।

१४. आर्यसमाज पंचवटी, नासिक के संस्थापक सदस्यों में से एक श्री सुखदेव शिवनारायण चाण्डक का लम्बी बिमारी के बाद २८ नवम्बर को रात्री ८.३० बजे मृत्यु हो गयी है। वे ९० वर्ष के थे। उनका पूरा जीवन आर्यसमाज के प्रचार में ही व्यतीत हो गया। वे कर्मठ कार्यकर्त्ता भी थे।

१५. कन्या गुरुकुल डोभी, हिसार के संस्थापक व कुलपति महात्मा महेन्द्रसिंह आर्य की मृत्यु दिनांक ३/१२/२०१३ को हुई। वे काफी समय से कैंसर रोग से पीड़ित थे। उनकी आयु ६५ वर्ष थी। वे नारी शिक्षा व आर्यसमाज के प्रचार-प्रसार का कार्य जीवन पर्यन्त करते रहे। उनके निधन से आर्यसमाज को भारी क्षति हुई है।

१६. आर्यसमाज मानसरोवर, जयपुर के प्रधान अर्जुन देव कालड़ा की माताश्री का नवम्बर के अन्तिम सप्ताह में पैतृक गाँव रोहतक में ९७ वर्ष की आयु में देहावसान हो गया। परोपकारी परिवार की ओर से हार्दिक श्रद्धाञ्जलि।

वेद प्रतियोगिता के पुरस्कार

ऋषि मेला-२०१३

आर जे/ए जे/80/2013-2014 तक प्रेषण : १५ जनवरी , २०१४ RNI. NO. ३९५९/५९

परोपकारिणी सभा के तत्त्वावधान में संचालित
ओडिशा बाढ़-पीड़ित सहायता केन्द्र

प्रेषक:
परोपकारिणी सभा
दयानन्द आश्रम, केसरगंज, अजमेर
(राजस्थान) - ३०५००१

डाक टिकिट